खण्ड-175, अंक-5
शुक्रवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1878
(3 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
21 SEP 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८२)

अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
पद्म नाथसिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री

शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मथुरा-वृन्दावन के बीच स्थित "हासानन्द वर्मा गोचर भूमि ट्रस्ट" के सम्बन्ध में जानकारी

**१--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मथुरा एवं वृन्दावन के बीच में स्थित "हासानन्द वर्मा गोचर भूमि ट्रस्ट" की भूमि को लावारिश समझ कर पंचायत के अधीन किया जा रहा है ?

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--यह कहना सही नहीं है कि मथुरा-वृन्दावन में स्थित हासानन्द वर्मा गोचर भूमि ट्रस्ट की भूमि को लावारिश समझ कर पंचायत के अधीन किया जा रहा है बल्कि बात यह है कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप जमींदारों (जिनमें गौशाला इत्यादि संस्थाएं भी शामिल हैं) की कुल ऐसी भूमि जो खातों के अतिरिक्त थीं सरकार में निहित हो गई। ऐसी भूमि या तो गांव समाजों को प्रबन्ध के लिये दे दी गई है या इसका प्रबन्ध सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है।

जहां तक उपरोक्त ट्रस्ट की भूमि का सम्बन्ध है वह भी इसी तरह निहित हो चुकी है और उसका प्रबन्ध भी इसी तरह किया जा रहा है। मगर इस मामले की तहकीकात हो रही है और यह साबित होने के बाद कि यह ट्रस्ट रजिस्ट्रीशुदा है और यह जमीन जमींदारी उन्मूलन से पहले इसी ट्रस्ट की थी, इस जमीन का पट्टा इस ट्रस्ट के नाम कर दिया जायगा।

श्री रणंजयसिंह--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसकी जांच कौन कर रहा है, कब से कर रहा है और कब तक जांच पूरी होने की संभावना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा यह जांच हुई थी और जहां तक मेरी इत्तला है शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और इस ट्रस्ट से बातचीत भी हुई है और उस बातचीत में कुछ सुझाव भी ऐसे आये हैं, जो दोनों ने मंजूर कर लिये हैं।

श्री रणंजयसिंह--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस भूमि का गांव-सभा ने किसी अन्य प्रकार से उपयोग तो नहीं किया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब यहां एक रिप्रेजेन्टेशन आया तब एक आदेश इस तरह का यहां से निकाल दिया गया था कि यह जो जमीन है और जो गांव समाज में निहित है वह जब तक दूसरी कोई आज्ञा न हो, तब तक किसी को उठाई न जाय। इसके पहले कोई जमीन उठाई गई हो तो मुझे इत्तला नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि का रकबा कितना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--भूमि का रकबा तो काफी होगा, क्योंकि यह कई गांवों में फैली है, लेकिन यह कुल कितनी है मैं नहीं बतला सकता। मेरे ख्याल में यह काफी जमीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि "हासानन्द वर्मा गोचर भूमि ट्रस्ट" जो है उसको अगर यह भूमि दी जाय तो वह इसे किस काम में लायेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह एक पब्लिक ट्रस्ट है। यह नहीं मालूम कि वह रजिस्ट्रीशुदा है या नहीं। केवल गायों को चरने के लिये इस जमीन का वह इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह की कार्यवाही होगी जिससे कि पब्लिक का भला हो और जो पब्लिक यूटिलिटी के काम होंगे उनके लिये वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इलाहाबाद जिले में हैजे की रोक-थाम के कार्य

**२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १ जुलाई, १९५६ से आज तक कितने आदमियों को कालरा की बीमारी के कारण मृत्यु हुई तथा कितने आदमी बीमार हैं?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--इलाहाबाद जिले में १ जुलाई से ३० जुलाई सन् १९५६ तक हैजे की बीमारी से केवल एक बीमार और एक मृत्यु हुई।

**३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कालरा की बीमारी को रोकने के लिये अब तक उस स्थान पर जहां मृत्यु हो रही है, कौन-कौन से उपाय किये गये?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिन ग्रामों में हैजे, कै व दस्त (Gastro entritis) की बीमारियां हुई थी उनके उपचार के लिये निम्नांकित प्रबन्ध किये गये :—

(१) हैजे व कै-दस्त (Gastro entritis) की बीमारी से बचने के लिये १८,२६० टीके लगाये गये ।

(२) २,५०० कुओं में लाल दवा छोड़ी गई।

(३) बीमारों को मुफ्त आवश्यक औषधियां दी गईं ।

(४) बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये आवश्यक कर्मचारियों तथा सामग्री का प्रबन्ध किया गया ।

(५) परिस्थिति सन्तोषजनक है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कालरा अस्पताल में मरीजों को लाने के लिये वहां कोई एम्बुलेन्स का प्रबन्ध नहीं है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--वैसे तो हर जिले में एक-एक एम्बुलेन्स हैं। कहीं तो वह एम्बुलेन्स कालरा अस्पताल के साथ लगी हुई है और कहीं वह एम्बुलेन्स वहां के जिले के अस्पताल के साथ लगी हुई है। हर जिले में कई एम्बुलेन्सेज नहीं हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हर जिले में कई एम्बुलेन्स रख सकें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि वहां एम्बुलेन्स कई वर्ष से बेकार पड़ी है और उसका प्रबन्ध नहीं हो सका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

लखनऊ में होने वाली उद्योग प्रदर्शनी के संबंध में पूछताछ

**४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री इस प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया व्यय होगा, और वह कब की जायेगी ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)-- जी हां, ऐसा आयोजन करने का विचार है। प्रदर्शनी लखनऊ में सन् १९५७ के शीतकाल में करने का विचार है। व्यय का अनुमान अभी तैयार नहीं है।

**५--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)-- क्या उद्योग मंत्री उसमें प्रदेश के गृह-उद्योगों को विशेष स्थान देंगे ?

श्री बनारसीदास--गृह उद्योगों को उपयुक्त स्थान दिया जायगा।

**६--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)-- क्या वे प्रदर्शनी में छोटी-छोटी मशीनों का प्रदर्शन करने तथा जापान और दूसरे देशों से भी छोटी-छोटी मशीनें संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--विदेशों से छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की कुछ मशीनों को मंगाने का और उनके प्रदर्शन का प्रयास किया जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--जहां तक छोटी मशीनों का सवाल है क्या सरकार अम्बर चर्खा को यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट में प्रदर्शन के लिये रखने का विचार रखती है ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४-६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यू पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में तो कपड़े और बनी-बनाई चीजें रखी जाती हैं। बहरहाल अम्बर चर्खा तो कोई १५ हजार या २० हजार के करीब प्रदेश में लगेंगे। तो उनका तो प्रदर्शन विभिन्न स्थानों में प्रदेश में जब लग जायंगे तो सरकार द्वारा होता ही रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि उद्योग प्रदर्शनी आम चुनाव के पहले हो जायगी या बाद को ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पहले तो इरादा था कि चुनाव के पहले हो लेकिन समय इतना कम था कि अब निर्णय यह किया गया है कि १९५७ के शीतकाल में वह रची जाय।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार अपने प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों से भी इन मशीनों के मंगाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां। सब जगह से सहयोग लेने का प्रयत्न किया जायगा।

मिनिमम वेजेज ऐक्ट का प्रवर्त्तन

**७--श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट किन-किन जिलों में लागू है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट, १९४८ ई० उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बतायेगी कि ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट लागू है सब जिलों में ?

आचार्य जुगल किशोर--जी नहीं। किन्तु ४ के अतिरिक्त सभी जिलों में लागू है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि वह चार जिले कौन-कौन हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार को इस बात की कोई सूचना मिली है जिन जिलों में एग्रीकल्चरल लेबर के लिये मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट लागू है उन जिलों में खेतिहर मजदूरों को उसके मुताबिक मजदूरी नहीं मिल पा रही है ?

आचार्य जुगल किशोर--ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि मिनमम वेजेज़ ऐक्ट सम्पूर्ण रूप से लागू करने के लिये कितने इंसपेक्टर हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जैसा कि मैंने बताया मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट सभी जिलों में लागू है ४ जिलों के अलावा। उन जिलों के बारे में भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कुछ आदेश आये। पार्लियामेंट में इस तरह का एक बिल रखा गया है जिसके जरिये से इस ऐक्ट का संशोधन किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैंने पूछा कि इस ऐक्ट को लागू करने के लिये सरकार ने कितने इंसपेक्टर नियुक्त किये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--संख्या तो मैं अभी बता सकता। कोशिश की जा रही है काफी तादाद में इंसपेक्टर्स नियुक्त किये जायं ताकि इस कार्य को पूरी तरह से देखभाल कर सकें।

नोट--अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ७ श्री राजनारायण ने पूछा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि इन जिलों में जहां पर ऐक्ट लागू है वहां कितने एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों पर लागू है ?

†आचार्य जुगल किशोर---१२ जिलों में तो सभी फार्मों पर लागू है और अन्य जिलों में यह ऐक्ट चार पहाड़ी जिल यानी अलमोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल व नैनीताल को छोड़ कर ५० एकड़ व इससे अधिक के फार्म पर लागू है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि वह १२ जिले कौन-कौन हैं जिनमें सभी फार्मों पर मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट एग्रीकल्चरल लेबर के लिये लागू है ?

आचार्य जुगल किशोर---सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर, और जालौन।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जब गाजीपुर जिले में यह ऐक्ट लागू है तो उसी के पास बनारस का जो जिला है उसमें एग्रीकल्चरल लेबर के लिये तमाम खेतों के लिये मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट क्यों नहीं लागू है ?

आचार्य जुगल किशोर---इसलिये कि इसका प्रबन्ध नहीं हो सका, इसलिये नहीं लागू किया गया।

आई० टी० कालेज, लखनऊ से विवाहित महिला टीचरों की बर्खास्तगी पर आपत्ति

**८---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Government या Aided Girls schools या कालिजों में विवाहितों Women teachers का रखने के खिलाफ कोई सरकार की नीति है ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि लखनऊ के आई० टी० कालेज में चार महिलाओं को विवाहित होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---जी हां, खबर तो मैंने भी सुनी है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब आई० टी० कालेज एडेड कालेज है तो सरकार की नीति के विरुद्ध इसने इन अध्यापिकाओं को विवाहित होने के कारण क्यों बर्खास्त किया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि वह प्राइवेट कालेज है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस एडेड इन्स्टीट्यूशन ने सरकार की इस नीति का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, उसकी जांच तो हो रही है लेकिन वह कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है। अब उसमें जब यह मालूम हो जायगा कि सरकार कुछ कर सकती है तो अवश्य उसमें कुछ किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार अपनी इस नीति पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिन एडेड संस्थाओं को सरकार सहायता करती है वह सरकार की नीति के विरुद्ध यदि काम करें तब भी वह एड देना जारी रहेगा ?

---

†७ सितम्बर, १९५६ को दिए गए वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, वह एड बन्द कर दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स में या रेगुलेशन्स में इस प्रकार का कोई स्टेट्यूट्स या रेगुलेशन्स नहीं है कि विवाहित महिलाओं को विश्वविद्यालय की नौकरी में न लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता । वह ओटोनाम्स बाडी के बारे में कुछ नहीं कह सकत ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी जानकारी सरकार को दी गयी है कि उसने सरकारी आज्ञा का उल्लंघन किया है उस मामले में कोई जांच करा कर उसका जल्द फैसला करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने बतलाया कि मेरे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है सिर्फ अखबार में देखकर मुझे यह मालूम हुआ । उसके बाद हमारे एक साथी ने भी फोन किया था । उनको मैंने यही जवाब दिया कि रिप्रेजेंटेशन आने पर लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज कर वाइस-चांसलर से पूछा जा सकता है कि वाकया क्या है क्योंकि यह कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित है ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता

*१— श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में हरिजन छात्रावास के लिये भवन निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिले में हरिजन छात्रावास के लिये भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वहां पर हरिजनों का एक होस्टल है जिसको सरकार एड देती है । इसलिये गवर्नमेंट का कोई होस्टल बनाने का विचार नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हरिजन छात्र जिस छात्रावास में रहते थे पिछली बाढ़ में वह धराशायी हो गया है और अब उनके रहने की कोई जगह नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रतिवर्ष प्लानिंग कमेटी की ओर से जो हरिजन सम्मेलन होता है उसमें इस तरह का प्रस्ताव पास होता है कि आजमगढ़ शहर में कोई हरिजन छात्रावास नहीं है और इसलिये एक छात्रावास बनाने के लिये सरकार से मांग की जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है । अगर कोई मकान किराये पर मिलेगा, जिसके लिये मेरा ख्याल है कि वहां के अधिकारी प्रयत्न कर रहे होंगे, तो सरकार उसका किराया दे देगी । बनवाने का इस वक्त कोई इरादा नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी रामसुन्दर जी पांडेय की सूचना को नोटिस समझ कर भविष्य में भवन निर्माण करने के लिये कोई प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, उसकी सूचना को मैं नोटिस नहीं समझ सकता ।

आजमगढ़ जिले के लिये कुओं और हैण्ड पम्पों की स्वीकृति

*२—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में पानी पीने के लिये कितने कुयें और हैन्डपम्प इस वर्ष स्वीकृत हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम—१९५५-५६ में निम्नांकित कूप तथा हैन्ड पम्प स्वीकृत हुये थे:—

तहसील			कूप	हैन्डपम्प
मुहम्मदाबाद	..	..	२	१
घोसी	..	..	१	—
फूलपुर	..	..	१०	१
लालगंज	..	..	२	—
सगड़ी	..	..	३०	—

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो हैन्डपंप्स स्वीकृत हुये हैं उनके लिये कितने प्रार्थनापत्र प्लानिंग कमेटी में आये थे ?

डाक्टर सीताराम—इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन जिला नियोजन समिति में जितने भी प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर विचार करते हुये ही कुयें बनवाने के लिये रुपया दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो कुओं के लिये धनराशि दी गयी है या जो प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये हैं वह हरिजनों की आबादी के लिहाज से स्वीकृत किये जाते हैं या प्रार्थना-पत्रों के हिसाब से ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कायदा यह है कि हरिजनों के लिये पीने के पानी का इन्तजाम वहां किया जाता है जहां १६ घर से ज्यादा हरिजनों के होते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार उन कारणों को बतलाने की कृपा करेगी कि किस कारण से इतना कम-बेशी बटवारा हुआ है ? यानी कहीं एक है कहीं २० है।

श्री हरगोविन्द सिंह—दो कारण हो सकते हैं या तो यह कि जहां बस्ती है वहां पीने के पानी की दिक्कत न हो और दूसरे यह कि वहां के लोग उत्सुक नहीं हों, कुआं बनवाने के लिये और इसलिये उन्होंने दरख्वास्त न दी होगी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हरिजन बस्ती के लिये जितने कुएं और जितने हैन्ड पम्प स्वीकृत हुये हैं इस वर्ष के लिये उनमें से कितने बन गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जितने बन गये हैं उनको तो आपने पूछा था, उसका उत्तर दे दिया गया है। अब कितनी दरख्वास्तें पड़ी थीं और कितनी स्वीकृत हुईं, यह तो आप प्लानिंग कमेटी के मेम्बर होंगे, इसको अच्छी तरह से जानते होंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में हरिजनों को पानी पीने के लिये कुओं की नितान्त आवश्यकता है, तो सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करेगी कि तत्काल उन बस्तियों में कुओं का निर्माण करा दिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर उनकी दरख्वास्त नियमों के अनुकूल आयी तो जितने कुओं की जरूरत होगी उसका इन्तजाम कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे कि कुओं के निर्माण के लिये और दरख्वास्तें आयीं थीं जिनमें से इतना कम मंजूर हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिले की आबादी को देखते हुये प्रांत के सब जिलों से ज्यादा रुपया उसको दिया जाता है। आवेदन-पत्र ज्यादा आ सकते हैं लेकिन उसको चुनने का अधिकार जिला नियोजन कमेटी को है।

आजमगढ़ जिले के साहित्यकारों को पुरस्कार देने के सम्बन्ध में जानकारी

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में आजमगढ़ जिले के किन-किन हिन्दी एवं उर्दू कवियों तथा लेखकों को पुरष्कृत करने के लिये प्रदेशीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से सिफारिश की है ?

डाक्टर सीताराम—किसी के लिये नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि आजमगढ़ जिले के किसी कवि के लिये सन् १९५५-५६ में सहायता के लिये सिफारिश नहीं की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—क्योंकि शायद उनको सहायता की आवश्यकता नहीं थी और इसलिये कि किसी ने दरख्वास्त भी नहीं भेजी।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कोई इस प्रकार का परिपत्र आया है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का आधा भाग केंद्रीय सरकार वहन करेगी ? यदि हां तो क्या शिक्षा मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार की इस संबंध में लिखापढ़ी कब से हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—फरवरी सन् १९५६ से चल रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि भारत सरकार ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन में कितनी वृद्धि के लिये प्रांतीय सरकार को लिखा था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वे चाहते हैं कि किसी अनट्रेंड टीचर को ४० रु० से कम न दिया जाय और ट्रेंड टीचर को ५० रुपये से कम न दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि भारत सरकार की इस सम्मति पर प्रान्तीय सरकार ने अपनी क्या सम्मति प्रकट की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रांतीय सरकार ने अपना सुझाव भारत सरकार के सम्मुख इस संबंध में रखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सुझाव भारत सरकार के सम्मुख रखा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सुझाव यह रखा है कि आप बतलावें कि कितना रुपया देंगे और कब तक देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो केंद्रीय सरकार की ओर से पत्र-व्यवहार हो रहा है, क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार से कहा है कि वे वेतन का आधा हिस्सा देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अगर वेतन का आधा हिस्सा जैसे ४० रुपया दिया जायगा उसका आधा २० रुपये केंद्रीय सरकार देगी तो जरूर प्रांतीय सरकार उसको मान लेगी लेकिन उनसे लिखा-पढ़ी हो रही है कि आपके आधे का क्या माने हैं, और आप कितने दिनों तक इसको देंगे, हमेशा देते रहेंगे कि नहीं।

गुरुकुल-कांगड़ी के वाचनालय तथा पुस्तकालय को पृथक-पृथक अनुदान का न मिलना

*५---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार गुरुकुल-कांगड़ी के पुस्तकालय तथा वाचनालय को पृथक-पृथक अनुदान देने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों पर रायल्टी

*६---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्कूल और कालेजों में स्वीकृत पुस्तकों की रायल्टी से सरकार को पिछले तीन वर्षों में कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

डाक्टर सीताराम---कक्षा १ से ८ तक की राजकीय पाठ्य पुस्तकों पर सन् १९५३-५४ में १,७८,९६९ रु० १५ आने ६ पाई, सन् १९५४-५५ में ४,११,७७२ रु० ११ आने ९ पाई और १९५५-५६ में ३,३४,५३६ रु० १ आना ९ पाई, राजस्व मिला। कक्षा ९ से १२ की पाठ्य पुस्तकों पर कोई राजस्व नहीं लिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में जो आमदनी में अन्तर है उसका क्या कारण है।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसके दो कारण हैं। एक तो दरयाफ्त से यह मालूम हुआ कि पब्लिशर्स को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिये रायल्टी की दर बढ़ा दी गई और दूसरा यह भी कि किताबें नई आयी थीं जिनकी छपाई बहुत हुई। इस कारण राजस्व में वृद्धि हुई ।

जौनपुर जिले की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

*७---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा किस-किस विद्यालय को विविध अनुदानों के अन्तर्गत कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एक †तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

*८---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[९ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रारम्भ होने का समय

*९---**श्री इस्तफाहुसैन** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी कब से चालू होगी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

†तालिका छापी नहीं गई ।

डाक्टर सीताराम—यथासंभव शीघ्र।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अब कौन-सी कार्यवाहियां बाकी हैं जिन के पूरे हो जाने पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी चालू कर दी जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐक्ट लागू कर दिया गया है और उसके अलावा सब कार्यवाहियां बाकी हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—मैंने सवाल किया था कि कौन सी कार्यवाहियां पूरी हो जाने पर यूनिवर्सिटी चालू होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे कहने का मतलब यह था कि अभी ऐक्ट लागू किया गया है, अभी वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, फिर हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स बनाये जायेंगे जो लेबोरेटरीज आदि को फिट-अप करेंगे और उसके बाद क्लासेज शुरू होंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी ने अपने सुझाव वाइसचांसलर के संबंध में दे दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट में देखा होगा कि ऐक्ट लागू होने पर फाउन्डेशन सोसाइटी ३ आदमियों की कमेटी बनायेगी और उसकी स्वीकृति से वाइसचांसलर मुकर्रर होगा, अगर इससे पहले कोई सुझाव भेजा गया था तो वह कानून की दृष्टि में सुझाव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि फाउन्डेशन सोसाइटी ने सूचना दी है कि सरकार द्वारा अबतक फाउन्डेशन सोसाइटी को कोई पत्र इस संबंध में नहीं भेजा गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो ऐक्ट लागू होने पर ही भेजा जा सकता है और वह चूंकि अभी लागू हुआ है इसलिये अब भेजा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि क्या अगली जुलाई से गोरखपुर विश्वविद्यालय चालू हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, कोशिश यही की जा रही है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि फाउन्डेशन सोसाइटी के पास कब पत्र भेजा गया, ऐक्ट लागू होने के बाद ?

श्री अध्यक्ष—मैंने तो यह सुना कि भेजा जायगा, शिक्षा मंत्री जी इसे स्पष्ट कर दें।

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी ऐक्ट लागू हुये एक हफ्ता हुआ है, इस वक्त तो नहीं बता सकता कि वह पत्र चला गया या नहीं लेकिन चांसलर को तो लिखा गया है कि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी से कहें कि वह ३ आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर करें लेकिन चांसलर ने अभी लिखा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार की तरफ से चाँसलर के पास कब पत्र गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप अगर आवें तो मैं आप को बता दूंगा कि वह कब भेजा गया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि अगर फाउन्डेशन सोसाइटी के पास पत्र न गया हो तो उसको आज या कल में भेज देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—न गया होगा तो जरूर चला जायगा।

*१०–१२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[२२ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न १४–१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उससे और केंद्रीय सरकार से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का स्केल बढ़ाने के संबंध में कोई लिखा-पढ़ी चल रही है। यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। फरवरी, १९५६ से।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है और क्या उसने अपना निश्चय केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है ?

डाक्टर सीताराम—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों के संशोधित वेतन क्रम में वेतन नियमित रूप से देने के लिये जिला परिषद् के सहायतार्थ जो प्राविधान किया गया है उसी पर भारत सरकार से सहायता मांगी गयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उक्त अध्यापकों के वेतनक्रम में क्या संशोधन किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई संशोधन तो नहीं किया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि केन्द्रीय सरकार के पास जो प्रान्तीय सरकार ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन के स्केल को बढ़ाने के लिये लिखा है तो क्या स्केल और कितना स्केल बढ़ाने के लिये लिखा है ?

श्री हरगोविंद सिंह—आपने बजट में देखा होगा, जो स्केल उसमें लिखा है वही फाइव ईयर प्लान में भी दिया हुआ है और वही रहेगा।

श्री राजनारायण—इस तरह से उत्तर देंगे तो कैसे काम चलेगा। They should come prepared, they are paid for it.

श्री अध्यक्ष—यह जो आप का आक्षेप है, यह अनुचित है। प्रश्नों के बारे में जो वे उचित उत्तर समझें उसे वे देते हैं। वैसे जो अब आप पूछ रहे हैं वह बात मूल प्रश्न में नहीं पूछी गयी है। आप का पूरक प्रश्न है। उस विषय में जवाब देने को अगर वह तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है तो यह उत्तर वह दे सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जिस समय सरकार ने वेतन बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा उस वक्त क्या सरकार ने इसका तखमीना लगाया था कितना रुपया प्रान्तीय सरकार को खर्च करना पड़ेगा। अगर हां, तो कितना ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रश्न मेरी समझ में कम आ रहा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइमरी स्कूल के टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई है वह बजट में भवन के सम्मुख रख दी थी। हर एक के पास बजट की कापी है उसमें वह उसे देख सकता है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना में भी उसे रक्खा गया है। वह पंचवर्षीय योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्वीकृत है। उसके अलावा जो दूसरा प्रश्न उठता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है उनका निर्णय यह है कि ४० रु० अनट्रेड और ५० रु० ट्रेंड को मिलना चाहिये। इसके बारे में दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया जा चुका है कि लिखा-पढ़ी हो रही है।

ऐंग्लो-इंडियन स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की मांग

*१५--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के एंग्लो-इंडियन स्कूलों को राज्य से सहायता दी जाती है अथवा नहीं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, सहायता दी जाती है ।

*१६--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में कितने हैं ?

डाक्टर सीताराम--३५ ।

*१७--श्री गज्जूराम--क्या यह सत्य है कि इन स्कूलों में जिनको सरकारी सहायता दी जाती है हरिजन विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके यह आदेश शीघ्र ही जारी करेगी कि हरिजन विद्यार्थियों से फीस न ली जावे जैसा अन्य विद्यालयों में होता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है जो मैं समझता हूं नियम ७० के अनुसार जो इस प्रकार है: "The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence." नियमानुसार नहीं है । इस लिये अर्जेन्ट नहीं है । मैं इसकी इजाजत इसलिये नहीं देता हूं क्योंकि रिसेंट अक्यूरेंस का कोई विषय न होने पर भी उसे सदन में ले आवें । मैं किसी के प्रचार के कार्य के लिये अपने को उपयोग में लाने के लिये बाध्य नहीं हूं । इसलिये मैं उसको पढ़ कर नहीं सुनाता हूं और मैं इसको उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं । मैं इसको अवैध करार देता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक निवेदन है काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने भी यह व्यवस्था दी है और प्रचलित परिपाटी भी है कि सरकार की किसी नीति के सम्बन्ध में भी कामरोको प्रस्ताव लाया जा सकता है. और मेरा ख्याल है कि उर्दू जबान के सम्बन्ध में सरकार की नीति गलत है ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप अपनी बात का केवल प्रचार करना चाहते हैं, मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसका यह अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि ....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बहस न करें । मेरा निश्चय हो चुका ।

श्रम मन्त्री द्वारा वक्तव्य देने के समय को बढ़ाने की मांग

श्री अध्यक्ष--माननीय श्रम मंत्री जी आज इस विषय में कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)––मुझे खेद है कि मैं आज वह सूचना नहीं दे रहा हूं जिसके बारे में मैंने पिछली दफा जिक्र किया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ८ तारीख तक उसे पेश करने की आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष––अभी तक आपके पास सूचना नहीं आ पायी है।

श्री आचार्य जुगल किशोर––जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष––तो फिर ८ तारीख को वक्तव्य आप दे दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)––मैं यह जानना चाहूंगा कि फिर किस तारीख को सूचना देंगे ?

श्री अध्यक्ष––८ तारीख कहा उन्होंने। ८ तारीख तक मैंने उन्हें समय दे दिया है।

राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)––श्रीमन्, मैं राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५६ पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५८–३६५ पर)

*उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६

खण्ड २

२––विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में––

(क) "दलित वर्ग" (depressed classes) से तात्पर्य है "हिन्दू समाज की कोई भी जाति या वर्ग जो किसी रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार (custom, usage or practice) के कारण किसी मन्दिर में प्रवेश करने से अथवा वहां उपासना करने से अपवर्जित (excluded) हो।"

(ख) "हिन्दू" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिदेश (reference) है, जो सिख, जैन या बौद्ध धर्म का अनुयायी हो तथा "हिन्दू मन्दिर" के अभिदेश का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

(ग) "मन्दिर" से तात्पर्य है कोई स्थान, उसका नाम चाहे जो भी हो, जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में, समर्पितत हो, अथवा उसके लाभार्थ हो, अथवा अधिकारत: उसके प्रयोगार्थ (use as of right) हो और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध (subsidiary) उपासना-स्थल (shrines), मठ, देवस्थान, शिवालय, मंडप तथा ऐसे मंदिर से संलग्न समस्त भूमि (lands) है।

---

*२५ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

(घ) "उपासना" से तात्पर्य है ऐसी धार्मिक सेवा जिसे किसी मंदिर में अधिकांश उपासक करते हों या करें अथवा उसमें भाग लें, तथा इसके अन्तर्गत--

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(क) अनुसूचित जातियों (scheduled castes) से तात्पर्य है ऐसी जातियों, मूलवंश या आदिम जातियों अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिम जातियों के भाग या उनमें के यूथ जो संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं"।

श्रीमन्, यह संशोधन बड़ा टेक्निकल है। अगर इस बिल का उद्देश्य हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करने का है तो इस बिल में डीप्रेस्ड क्लास की डेफिनीशन उस हिसाब से नहीं आ पाती जो डेफिनीशन कांस्टीट्यूशन में दी गई है। मेरा ख्याल है कि इसका अर्थ यह हो जायगा कि हम हरिजनों को तो मन्दिर में शायद प्रवेश न करा सकें लेकिन नयी हरिजन जातियों का हम निर्माण कर देंगे। इसका अर्थ बहुत साफ शब्दों में निकल आयेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। दलित वर्ग (डीप्रेस्ड क्लास) से तात्पर्य है "हिन्दू समाज की कोई भी जाति या वर्ग जो किसी रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार (कस्टम, यूसेज आर प्रैक्टिस) के कारण किसी मन्दिर में प्रवेश करने से अथवा वहां उपासना करने से अपवर्जित (एक्सक्लूडेड) हों।"

यह तो अवश्य है कि इसकी सीमा इस बिल में बढ़ी हुई है लेकिन अगर कानूनी बात होगी तो उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं और मैं यह समझता हूं कि जहां तक अनटचेबिल्स का मामला है, अनुसूचित जातियों का मामला है हम कोई नयी अनसूचित जाति या नये अनटचेबिल्स की कौम नहीं पैदा कर सकते क्योंकि हमारे कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि वह प्रेसीडेंट आफ इंडिया ही इसको कर सकते हैं। इसलिए हम नयी जाति जो अनटचेबिल कही जाय नहीं बना सकते। उसकी रेलीवेंट धारा ३४१ जो है वह मैं पढ़ कर बता देना चाहता हूं। इस धारा में यह है--

'राष्ट्रपति' राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या आदिम जातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के सम्बन्ध में अनसूचित जातियां समझी जायेंगी।

यानी जितनी यह लिस्ट है उसके बारे में प्रेसीडेंट साहब निकालेंगे और उस लिस्ट के अनुसार ही जाति अनुसूचित मानी जायगी। उसमें स्टेट को या और किसी को अधिकार नहीं होगा। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की लिस्ट है जिसमें सब स्टेट्स की जातियों का जिक्र है। इनके अलावा और कोई भी नयी जातियों का निर्माण नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपका संशोधन इससे बिलकुल पृथक् मालूम होता है। इसमें "दलित वर्ग" की व्याख्या की गयी है और आप "अनुसूचित जातियों" के द्वारा करना चाहते हैं।

श्री रामसुमेर--इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि "दलित वर्ग" के स्थान पर "अनुसूचित जातियां" रख दिया जाय और उसके कारण दे रहा हूं :

श्री अध्यक्ष--यानी आगे चल कर "दलित वर्ग" शब्द हट जायगा ?

श्री रामसुमेर—मैं पूरे वर्ड्स चेंज कर रहा हूं। प्रस्तावना में मैंने संशोधन दिया हूँ।

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस ऐक्ट को कार्य में लाने के लिए मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामसुमेर जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को प्रेस न करें। उनके इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि यह जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उसका दायरा बहुत संकुचित हो जायगा। उनका कहना ठीक है कि अनसूचित जातियों की अगर लिस्ट बनानी हो तो वह सेक्शन ३४१ के अनुसार होगा, लेकिन हम अनुसूचित जातियों की लिस्ट नहीं बनाने जा रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि कोई भी बा हो, चाहे उसकी गिनती होती हो या नहीं अगर वह मन्दिर में नहीं जाने पाता तो उसको जाने का अधिकार दे दिया जाय। और यदि उनकी बात मान ली जायगी तो यह कानून केवल उन्हीं लोगों के लिए रह जायगा जिनकी गणना आज अनुसूचित जातियों में है, जिनका नाम फेहरिस्त में लिखा जायगा, जो कि अनुच्छेद ३४१ के अनुसार होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी शेड्यूल्ड कास्ट में गिनती नहीं है, लेकिन दलित हैं इस लिए वे मन्दिर में नहीं जाने पातीं। इसलिए हमारा कहना यह है कि इसको संकुचित न करके चाहे अनुसूचित हो, या न हो जो भी मन्दिर में नहीं जाने पाता उसको जाने का अधिकार दिया जाय।

उनके संशोधन के मानने से दायरा संकुचित हो जायगा। इसलिए वह इसको संकुचित न करें, दायरा पूरा रहने दें ताकि सब लोग मन्दिर में जा सकें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कोई तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या डिप्रेस्ड क्लास की कोई लिस्ट है? शेड्यूल्ड कास्ट्स की तो है। अगर कोई हो तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा वह माननीय रामसुमेर जी के संशोधन को कवर करेगा। और अगर नहीं है तो जो कानून के अन्दर एक बात कही गयी है उससे, उस अधिकार से वंचित हो जाना पड़ेगा। इसलिए अगर वह सफाई कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "दलित वर्ग" की जो व्याख्या इसमें दी है वह उससे स्पष्ट हो जायगा, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मुझे दुःख है कि मैं रामसुमेर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। इसके कारण हैं श्रीमन्। सबसे पहले मैं आपके द्वारा माननीय रामसुमेर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह देखेंगे कि अब इस बिल का नाम है "उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६"। और जो उनका मंशा है कि अनुसूचित जातियों से, मेरा ख्याल है कि ६३ जातियां अनुसूचित घोषित हुई हैं और ४१ के मुताल्लिक यह है कि गवर्नर महोदय जिसको चाहे उसको वह अनुसूचित घोषित कर सकते हैं तब वह अनुसूचित मानी जायगी। तो खामख्वाह यहां "अनसूचित" रख कर गवर्नर महोदय को एक अधिकार और देने जा रहे हैं कि वह जिसे चाहें अनुसूचित रखें या न रखें। पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि दलित वर्ग बड़ा व्यापक है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा अगर "दलित वर्ग" रख दिया जाय तो अनुसूचित में तो नट भी हैं, धोबी भी हैं और कलाबाज कौम एक होती है वह भी है, इनको हिन्दू धर्म से कोई मतलब नहीं है और मंदिर प्रवेश से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका आगे चल कर बड़ा अनर्थ होगा और इस बिल का जो मंशा है उसका भी प्रतिघात होगा और एक बड़ा बावेला खड़ा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि "दलित वर्ग" बड़ा व्यापक है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अनसूची में नहीं हैं लेकिन मन्दिर में नहीं प्रवेश कर पातीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय रामसुमेर जी इसे वापस लेंगे।

श्री रामसुमेर---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामसुमेर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(ख) 'हिन्दू' के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिदेश (reference) है जो बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किन्हीं भी स्वरूपों या विकासों को मानने वाले व्यक्ति जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी और स्वामी नारायण सम्प्रदाय हैं।"

श्रीमन्, हिन्दू शब्द की डेफिनीशन को व्यापक करना चाहता हूं और आशा है कि मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं श्री रामसुमेर जी का उद्देश्य यह है कि जो सेंटर का अनटचेबिलिटी आफेसेन्ज ऐक्ट है उसमें जो ऐक्सप्लेनेशन दिया है उसी को वह ले आये हैं। इसमें यह है कि:---

"For the purpose of this section and section 4 persons professing the Buddhist, Sikh or Jain religion or persons professing the Hindu religion in any of its forms or developments including Vir, Shav, Lingayat, Adivasis, followers of Brahmo, Prarthana, Arya Samaj and Swami Narain Sampradaya, shall be deemed to be Hindus."

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक निवेदन है कि जल्दी में इसका अनुवाद किया गया है इसलिये शायद इसकी भाषा ठीक करनी हो इसलिये माननीय अध्यक्ष को भाषा ठीक करने का अधिकार दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह स्वीकृत हुआ कि जो अंग्रेजी के ऐक्ट में भाषा दी हुई है उसका सही अनुवाद किया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री अध्यक्ष---भाषा के सुधार करने का मुझे अधिकार दिया गया है अब मैं इस संशोधन को पढ़े देता हूं और राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(ख) 'हिन्दू' के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिदेश (reference) है जो बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किन्हीं भी स्वरूपों या विकासों को मानने वाले व्यक्ति जिसके अन्तर्गत वीर शैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी और स्वामी नारायण सम्प्रदाय हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "रुप में" के बाद शब्द "हो" बढ़ा दिया जाय।

[श्री नारायणदास]

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विशेष बात नहीं है । इसमें जो "हो" शब्द है शायद छूट गया है उससे इसका कलेवर बढ़ जाता है । मैं इसलिये चाहता था कि ग्रामों में देवी-देवताओं के स्थान होते हैं, उसको लोग जोत लेते हैं और अपने प्रयोग में ले आते हैं । इससे कठिनाइयां पैदा होती हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें शब्द "हो" बढ़ा दिया जाय ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि "रूप में" के बाद कामा (,) गलती से छप गया है । इसमें है " .....के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में समर्पित हो अथवा उसके लाभार्थ हो ।" तो रूप में के बाद कामा गलत है । शायद इसी वास्ते माननीय सदस्य को इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता पड़ी ।

श्री नारायणदास---अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह थी कि समर्पित आदि शब्द जो हैं वह ऐसे हैं कि जो समर्पित हो या लाभार्थ हो या और किसी किस्म का हो । मगर वह अधिकार पूर्ण हो मन्दिर की डेफिनिशन में यह आता है मगर वह जमीन जहां यह है कि जैसे ग्राम देवियां या देवता हैं, तो वह स्थान मिट्टी का बना हुआ होता है । उसमें कोई लिखा-पढ़ी होती नहीं है और ऐसी बस्तियां भी हैं पुरानी जिसमें ऐसी उक्त अधिकार की बात रही हो या न रही हो लेकिन लोग उसको प्रयोग में लाते हैं । तो इससे मेरा यह भाव था कि "हो" शब्द इस बात को जाहिर करता है कि कोई भी मन्दिर जहां पर भी हो वह स्थान मन्दिर में मान लिया जाय । मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसे मानने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) वह समझते हैं कि शब्द 'समर्पित' और 'रूप में हो' दो अलग चीजें हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं तो समझता था कि आगे जो शब्द आये हैं उनसे वह ज्यादा व्यक्त हो जाता है जो वह चाहते हैं । लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता हूं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसे रखा जाय और इससे ज्यादा सहायता मिलेगी तो बढ़ा दिया जाय, मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "रूप में" के बाद शब्द "हो" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामेश्वरलाल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "समर्पित" के पहले शब्द "व्यवहरित एवं" बढ़ा दिया जाय । और इसके साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करूंगा कि जो यह "हो" शब्द बढ़ाया गया है वह निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह तो स्वीकार हो गया । 'हो' से वही अर्थ निकलता है कि व्यवहरित हो ।

श्री रामेश्वरलाल---तो मैं उतना ही संशोधन पेश करता हूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा ऐसा खयाल है कि यदि पहले "हो" शब्द न आया होता तो इसकी शायद आवश्यकता होती । लेकिन "हो" शब्द आने के बाद तो यह सुपरफ्लुअस हो जायगा । हो और व्यवहरित हो, इसमें कोई फर्क नहीं है तथा इससे भाषा बिल्कुल बिगड़ जायगी ।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामेश्वर लाल से) क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वर लाल---जी हां ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री नारायणदास—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ६ के शब्द "देवस्थान" के आगे शब्द "देवी मंदिर, पवित्र स्थान" बढ़ा दिये जायं।

इसमें श्रीमन्, कोई खास बात नहीं है। इस बिल में जो शब्द दिये हुये हैं वह सब पुंलिग में दिये हुये हैं। मठ, देवस्थान, शिवालय, मंडप यह सब पुंलिग वाचक हैं। इसमें देवियों का स्थान और वह पवित्र स्थान नहीं आते हैं। इसलिये मेरा ख्याल यह था कि देवी स्थान भी इसमें होने चाहिये, क्योंकि देवी मंदिरों में अक्सर केवल देवियां रहती हैं, वहां और मूर्तियां नहीं रहतीं जैसे अन्नपूर्णा का मंदिर है, या काली या दुर्गा का मंदिर है और इससे उसका जो बिल में है मतलब पूरा नहीं होता है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को समझने में कुछ-कुछ भ्रम हुआ है। देव स्थान का शब्द केवल इस कानून में ही नहीं बल्कि इस देश में बीसियों कानूनों में आया है और उसमें देव, देवी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि किसी का स्थान हो सब आ जाते हैं। इसमें इस तरह से अलग कर देने से दिक्कत हो जायगी। देव और देवी हो जाने से कोई न कोई छूट जायगा, लेकिन इसमें सब आ जाते हैं। आप जानते होंगे कि कानून में मैंने इनक्लूड्स वोमेन। जहां पुरुष का जिक्र आता है वहां स्त्री आती ही है। पवित्र स्थान से संबंधित जो भी स्थान हैं उन सब का जिक्र इसमें आ गया है, तालाब, कूप, स्रोत अथवा जलप्रणाली तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जो पवित्र हो और उसका जिक्र इसमें न आया हो और व्यर्थ के शब्द कानून में नहीं रहने चाहिये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस संशोधन को वापस ले लें, यह अनावश्यक है।

श्री नारायणदास—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो भाव है उससे मेरा विचार मिलता तो नहीं है, कारण उसमें यह है कि जो देवियां है, जैसे काली हैं, दुर्गा हैं या और दूसरी देवियां है वे सब पृथक रहती हैं। उनका इतिहास भी पृथक रहा है और देवताओं के साथ वे सम्मिलित नहीं रहती हैं। कुछ एक देवियां जैसे राधा जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मी जी है, वह तो मंदिरों में देवताओं के साथ रहती हैं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—आप को उनके कोप का भय तो नहीं है?

श्री नारायणदास—जी हां, है। चूंकि वह देवी मंदिर है, पृथक है और उनमें कोई देवता नहीं रहता है इसके अतिरिक्त उनका इतिहास भी बड़ा प्राचीन है, वह विशेष महत्व रखती हैं अपने स्थान पर खास कर इसलिये कि उन देवियों की हरिजनों में या कुछ आदिम निवासियों में बड़ी महत्ता है, इसलिये मैं यह चाहता था। यही नहीं, आप बंगाल में देखिये। वहां देवी के अलग मंदिर है, काली मंदिर हैं। वहां के लोग शक्ति के उपासक हैं और वह किसी और देवता को नहीं मानते सिवाय उस देवी के। तो इसलिये मेरा यह विचार था कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस भावना को अपने सामने रखें और इसको स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। जहां तक पवित्र स्थान की बात है उसके बारे में तो यह है कि रामचन्द्र जी का खड़ाऊं रख दिया जाता है और उस में कोई देवता या देवी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वह एक पवित्र स्थान है और वह भी मंदिर में आता है। इसी प्रकार कहीं-कहीं महापुरुषों के चिन्ह हैं और वे सब स्थान पवित्र स्थान में आते हैं। ऐसे पवित्र ताल हैं कि जो पवित्र स्थान में आते हैं। जहां तक तालों की बात है वह तो ठीक है लेकिन जहां देव मूर्तियां नहीं रहती हैं और वह भी पवित्र स्थान है, मेरा भाव उन्हीं से था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ६ के शब्द "देव स्थान" के आगे शब्द "देवी मंदिर, पवित्र स्थान" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय---

"स्पष्टीकरण---परन्तु जो मंदिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने अपने स्वयं अथवा कुटुम्ब द्वारा उपासना के लिये बनवाया हो वह इसमें सम्मिलित न होगा।"

मैं समझता हूं कि यह संशोधन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किये गये बिल के उद्देश्यों के अन्दर है। इस बिल का भी संभवतः यह अर्थ नहीं है कि जो प्राइवेट मंदिर हों, जो किसी व्यक्ति ने अपने घर में उपासना के लिये बना रखें हों उसमें सबको जाने की इजाजत हो। लोक सभा द्वारा पारित अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में भी जहां इसकी व्याख्या की गयी है वहां पर लोकोपासना स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है और तमाम जगह लोकोपासना स्थान शब्द का बराबर प्रयोग किया गया है। इसलिये मैंने यह समझा कि यह स्पष्टीकरण यहां पर दे दिया जाय। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया गया है उसके भावों से तो मुझे कोई विरोध नहीं है क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं उन सब में यह चीज तो रहती ही है कि जो प्राइवेट रूप से अपने पूजापाठ करने के लिये किसी ने मंदिर बनाया हो वहां पर पब्लिक घुसने नहीं पाती है चाहे वह हरिजन हों या और कोई दूसरे हों। तो जो कानून बनाया जा रहा है तो वह तो प्राइवेट स्थानों के लिये बनाया नहीं जा रहा है, वह वैसे भी बच जायेंगे। अगर इसकी आवश्यकता पड़ती तो सरकार उसका प्रबन्ध करती। इसलिये यह अनावश्यक है।

दूसरी चीज यह है कि हमारा यह जो विधेयक है उसमें मंदिर की जो परिभाषा दी गयी है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो मंदिर हिन्दू समाज के लिए होगा। समुदाय के लिये जो स्थान उपासना के रूप में हो और जो उनके लिये बना हो। तो उसकी परिभाषा में अन्तर नहीं आता है। इसलिये वह प्राइवेट मंदिर अपने आप बच जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन पेश किया गया है अनावश्यक है। इस संशोधन से एक कानूनी दिक्कत भी पैदा हो सकती है। एक तरफ तो इस विधेयक में मंदिर शब्द की परिभाषा की गयी है कि जो सार्वजनिक रूप से उपासना का स्थान हो वह मंदिर है और दूसरी तरफ इस संशोधन में जो मंदिर शब्द रखा गया है उसमें प्राइवेट मंदिर का भी नाम लिया गया है। उसका भी एक निश्चित अर्थ किया गया है तो इससे कानूनी दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। माननीय सदस्य को चाहिये कि इसको वापस ले लें अब भी, इसके संबंध में कोई कानूनी अन्तर नहीं पड़ता है और न पड़ेगा।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---जो संशोधन हमारे मित्र ने पेश किया है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। उनका यह कहना कि व्यक्तिगत रूप से जो पूजा करने के लिये बना हो वह उसमें नहीं आना चाहिये। तो वह जो मंदिर के पुजारी होंगे वह भी कहने लगेंगे कि यह मंदिर भी हमारी फेमिली की पूजा के लिये बना है और हम तो इसमें अपने इष्ट-मित्रों को ही आने देंगे दूसरे को नहीं आने देंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत है और उनकी फैमिली के लिये बना है। इस तरह से हम यह समझते हैं कि इस कानून की जो मंशा है वह खत्म हो जायगी। यदि माननीय सदस्य अपने घर में ठाकुर जी रखकर पूजा करावें तो कोई हरिजन ऐसा नहीं है जो उनके घर में चढ़ जायगा कि हम तुम्हारे ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे। यह संशोधन इस कानून के मंशा को ही बदल देता है और यह संशोधन महा रिएक्शनरी है। मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त इसे वापस ले लेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं भी जो स्पष्टीकरण जगदीशप्रसाद जी ने रखा है उसका घोर विरोध करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जोर के साथ विरोध करते मगर उन्होंने केवल एक अपील उनसे वापस लेने की की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--आप गुरू के गुरू बनना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--वह तो हम कभी बन नहीं पावेंगे ।

यह सही है कि जो कुछ समाजवाद के बारे में हमने माननीय सम्पूर्णानन्द जी से सीखा है जब कि वह और हम जेल में थे और वह उस समय मंत्री नहीं थे, उससे भी हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह संशोधन का जबरदस्त विरोध करते। उन्होंने कह दिया कि भाव तो ऐसा ही है। अब भाव भी वापस जा रहा है। आपने उसमें स्वयं शब्द जोड़ा है। अगर उसे भी मानलें तो उसका अर्थ हो सकता है कि परन्तु जो मंदिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने अपने व्यक्ति अथवा कुटुम्ब द्वारा उपासना के लिये बनवाया हो वह इसमें सम्मिलित नहीं होगा तो कुटुम्ब की परिभाषा क्या है ? एक कुटुम्ब के लोग सारे उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं और चन्दा देकर मंदिर बनवा सकते हैं और तमाम लोग उसमें जाकर पूजा कर सकते हैं। यह भी माना जा सकता है कि किसी एक कुटुम्ब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बनवाया होगा, किसी एक कुटुम्ब का उसमें ज्यादा पैसा आया होगा। इसलिये यह स्पष्टीकरण अनर्थ करने वाला है। मुझे दुख है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य भी आज ऐसा संशोधन रखने के लिये प्रेरित होते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपको किसी माननीय सदस्य को उपदेश करने का अधिकार नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना दिल टटोलें जैसा रामनारायण जी कह रहे थे वैसा नहीं है। अगर कोई शख्स अपने घर में पूजा के लिये मंदिर बनवा ले तो उसके घर में कोई न घुस सकेगा, क्योंकि वह क्रिमिनल ट्रैसपास हो जायगा। इसलिये उन दोनों को एक साथ न रखा जाय क्योंकि माननीय सदस्य का संशोधन यह नहीं कहता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी पूजा करने के लिये अपने घर में कोई मंदिर या मूरती रख लेता है तो उसके घर में कोई दूसरा पूजा के लिये नहीं जाय। यह उनकी मंशा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि परन्तु जो मंदिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने अपने व्यक्ति अथवा कुटुम्ब द्वारा उपासना के लिये बनवाया हो। किसकी उपासना के लिये बनवाया हो, कहां बनवाया हो, उसमें दूसरे लोग पूजा कर सकते हैं या नहीं या केवल वही एक व्यक्ति पूजा कर सकता है ? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यह स्पष्टीकरण मान लिया जायगा तो मंदिर की परिभाषा को यह चौपट कर देगा। इसलिये मैं सम्मानित सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सदन में विशेष चर्चा न करके इसे जल्द से जल्द वापस ले लें।

†श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय राजनारायण जी उन्हें सद्बुद्धि देना चाहते थे और उनके अधिकारों को भी संकीर्ण करना चाहते थे। उनके संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि जो उन्होंने आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड का हवाला दिया कि वह ट्रेसपास हो जायगा तो मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह स्पष्टीकरण नहीं रहता है तो यह भी हो सकता है कि कल माननीय राजनारायण जी किसी के घर में कह सकते हैं कि यह मंदिर है और इसलिये उसकी पूजा के लिये मैं इस घर में भी प्रवेश करूंगा। इस प्रकार से आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड दोनों अपनी जगह पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य इसे शीघ्र से शीघ्र वापस ले लें, मैं इसमें भी कोई बात नहीं पाता हूं जिसके लिये माननीय सदस्य को लज्जा आनी चाहिये या उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जितने भी इस संबंध में कानून बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का या हमारा सन् ४७ का सब पब्लिक परपजेज के लिये जो मंदिर हैं, उनके लिये बने हैं। उनसे किसी कुटुम्ब या व्यक्ति का लगाव या संबंध नहीं है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। जहां

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

की व्यक्ति या कुटुम्ब का प्रश्न है, वह तो एक ऐसी चीज़ है जो इस विधेयक से कोई संबंध नहीं रखती है। इस प्रकार के हजारों मंदिर हो सकते हैं जो किसी के घर में हैं और वे पब्लिक के लिये नहीं हैं। यदि ऐसे मंदिरों के लिये कानून बनाये जाते हैं तो वह इस सूबे में पनप या फूल नहीं सकेंगे। यह ठीक है कि वह मार्क्स के अनुसार पहले किसी के घर को नेशनेलाइज कर दें। उसके बाद वह यह भी कहें कि ठीक है, घर भी उनका, कुटुम्ब भी उनका, उनकी सम्पत्ति भी उनकी। यदि राजनारायण जी यह कहने के लिये तत्पर हों तो मैं उनकी वीरता की प्रशंसा करता हूं और उसके लिये मैंने कल भी उन्हें बधाई दी थी और आज भी इस दुस्साहस के लिये उन्हें बधाई दे सकता हूं। स्वेज कैनाल के बाद उन्हें यह बुद्धि आ सकती है। उनको जो यह भ्रम कभी-कभी हुआ करता है वह उस पर कभी-कभी सोच लिया करें। उन्होंने चेतावनी दी, धुड़की दी, धमकी दी और अनुरोध भी किया और माननीय सदस्यों को ऐसा दर्शाया मानों कि उन्होंने पाप कर दिया हो इस संशोधन को पेश करने से। वह अपनी वीरता और साहस के लिये प्रशंसा चाहते हैं जिसके लिये मैं कल भी उनकी प्रशंसा कर चुका हूं, आज भी उनको बधाई दे चुका हूं और भविष्य में भी देता रहूंगा। डिस्क्रीशन इज़ दी बैस्ट पार्ट आफ दी वेलर। लेकिन माननीय राजनारायण में बिलकुल विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष--आप श्री राजनारायण पर ज्यादा टीका-टिप्पणी न करें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका अनुरोध है कि इसको वापिस ले लिया जाय तो अच्छा हो, उनका यह केवल अनुरोध है। अगर वह वापिस नहीं होता तो माननीय मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से दूसरे संशोधनों को स्वीकार कर लिया है उसी प्रकार से इसको भी कर लें। अगर वे दूसरी प्रकार भी सोचते हैं तो भी ठीक ही है जहां तक माननीय राजनारायण जी का संबंध है, मैं विवश हूं। मैं कहूं तो क्या कहूं। अध्यक्ष महोदय, अनुचित बात का जवाब तो अनुचित ही हो सकता है, उसके लिये संसार में कोई इलाज नहीं है।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है और यदि ईमानदारी से देखा जाय तो यह विधेयक हमी से संबंधित है। हमारी वजह से ही सरकार इसको लायी। उनको हमारे बारे में कहने की इजाजत दे दीजिये और फिर हमें भी थोड़ा उसका जवाब देने का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने की और सदन में वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरे की गलती से वह सही नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि दूसरे गलती न करें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं दूसरी गलती करना नहीं चाहता और जो अनड्यू इम्पार्टेंस वह चाहते हैं उसकी भी मैं जरूरत नहीं समझता।

इसके विषय में मैं यह कह रहा था कि इस स्पष्टीकरण से माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो सेंट्रल के ऐक्ट्स हैं या इस प्रदेश के ऐक्ट्स हैं तथा इस संशोधन को देखा जाय तो उनके उद्देश्यों में किसी प्रकार भी भिन्नता प्रतीत नहीं होती? कोई भेदभाव नहीं है। जो चीज माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं वही चीज माननीय सदस्य भी चाहते हैं और भविष्य में संदेह निवारण के हेतु ही यह संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया गया है। मैं तो उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि उनके इस संशोधन से महान् लाभ हुआ है। यह दूसरी बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उससे सहमत न हों। जब सरकार एक चीज़ चाहती है और उसी का स्पष्टीकरण हो रहा है तो उसमें आपत्ति की क्या बात है। वह डरते किस बात से हैं। यहां परदे की कोई चीज चल नहीं सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी, कमला पति जी और माननीय राजनारायण जी को यह शंका है कि कहीं विश्वनाथ जी का मंदिर किसी व्यक्ति या कुटुम्ब की संपत्ति न हो जाय। यदि वे समझते हैं

कि इसमें कुछ ऐसा आता है तो उसको हटा दिया जाय, उसको सामने नहीं आने देना चाहिये और उस चीज को नुक्तेनजर रखते हुये और उस विचार से दूसरा विधेयक वह लावें और यदि वे समझते हैं कि विश्वनाथ मंदिर ऐसी चीज है जिसका किसी कुटुम्ब से संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति से प्रयोजन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि यह स्पष्टीकरण स्वीकार न किया जाय। श्रीमन् यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, यह सिद्धांत का संशोधन है जिसमें फ्रीडम आफ वर्शिप को स्वीकार किया गया है। किस तरह हम उपासना करें इसमें कोई सरकार बाधा नहीं डाल सकती है। जो धर्म हम अपना निर्वाह करना चाहते हैं या जिसका अवलम्बन हम करना चाहते हैं उसमें किसी तरह से भी कोई सरकार बाधा नहीं डाल सकती है। यह हमारा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा हमें दिया गया है और जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। यह भी उन्होंने कहा कि कुछ विचारों में परिवर्तन हुआ करता है। क्या माननीय कमलापति त्रिपाठी को इससे इंकार हो सकता है कि यदि विचारों में परिवर्तन न हो यदि कुटुम्ब में बाधक न हो तो कौन आपत्ति हो सकती है जिसमें इस संशोधन को स्वीकार करने से आप भाग रहे हैं ?

मान्यवर, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्य से अपील की कि वे इसको वापस ले लें, मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक रहस्य है और उनको भय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुभवी होने के कारण, और विद्वान होने के कारण राजनीति और कूटनीति के पंडित होने के कारण अपने विचारों को प्रकट करने से रोका, अपने ऊपर संयम रखा, नियंत्रण रखा मगर अपोजीशन ने न अपने ऊपर संयम रखा, न नियंत्रण रखा और जो उनको भय था उसको सदन के सम्मुख रख दिया।

श्री राजनारायण--हम कूटनीतिज्ञ नहीं हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर यदि वे कूटनीतिज्ञ होते तो मुझे बहुत ही हर्ष होता। मान्यवर यह देखने से जरूर प्रतीत हो रहा है कि किसी समय पर हम इस संशोधन से भाग रहे हैं। जब समय आवेगा उनका कि हम भारतीय संविधान को दिन प्रतिदिन बदलते रहें तब उसकी पवित्रता को स्वीकार करने के लिये हम तैयार न हों और केवल साप्ताहिक समाचार का रूप उसे देकर हम भारतीय संविधान के पीछे रहना चाहते हैं। जब उससे लाभ उठाना चाहें तब तो भारतीय संविधान की दुहाई दें और जब न लाभ उठाना चाहें तो इस संशोधन पर नारा उठावें और यह कहें कि सोसाइटी स्टेटिक नहीं है, डाइनेमिक है, भारत अग्रसर होने जा रहा है, फिर यह ऐसा मार्ग अपना रहा है आदि आदि इस तरह की बातें कहना अपोजीशन के लिये कोई शोभा नहीं देता। जब भारतीय संविधान के संशोधन का प्रश्न उठता है तो यह जवाब दिया जाता है कि सोसाइटी स्टेटिक नहीं है डाइनेमिक है। परिस्थिति ऐसी है जिसके अनुकूल हमें चलना है और ऐसी परिस्थिति में यह औचित्यपूर्ण है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन कर लें। तो उसी भारतीय संविधान में श्रीमन् आप स्वयं देखेंगे कि यह कहा है कि जहां पर जो उपासना की विधि हो उसमें किसी सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति या कुटुम्ब का माने रावण जैसे कुटुम्ब से हो, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा भी कुटुम्ब हो सकता है जो पूरे प्रदेश में फैला हो। तो श्रीमन्, इस कलयुग में रावण जैसा कोई परिवार हो तो उसके लिये भले ही कहा जाय लेकिन साधारण परिवार के लिये साधारण कुटुम्ब के लिये ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। अगर उसको यहीं पर ठीक नहीं किया जाता है तो श्रीमन्, अब तक तो मंदिर प्रवेश का प्रश्न उठता रहा है आगे चल कर गृह प्रवेश का प्रश्न उठा करेगा। हर मंदिर घर का और हर घर मंदिर का स्वरूप धारण कर लेगा। तो उसके लिये वह भेदभाव और डिस्क्रिशन क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस परिस्थिति में स्वीकार करेंगे ? क्या वह यह चाहते हैं, क्या उनकी यह चेष्टा या इच्छा है, क्या श्री कमलापति जी चाहते हैं कि वह इसके निर्णायक हों कि कौन सा मंदिर गृह है और कौन सा गृह मंदिर है और यदि यह चेष्टा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय दोस्त का संशोधन स्वीकार किया जाय। सरकार के लिये यह एक ऐसी वस्तु

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

है जिस पर उसको स्पष्टतः आना होगा और चलना होगा। यह संशोधन वह नहीं है जो हश्रअप कर दिया जाय या उस को कुछ कहकर दबा दिया जाय। या तो सरकार को इसे स्वीकार करना होगा या इससे इंकार करना होगा। आखिर वह चाहती क्या है, क्या वह चाहती है कि उपासना की विधि में भी हस्तक्षेप हो या जो व्यक्ति या कुटुम्ब का मंदिर हो उनमें भी हस्तक्षेप हो ?

श्री अध्यक्ष--अब आप दोहरा रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मैं इसीलिये समाप्त करने के वास्ते दोहरा रहा हूं क्योंकि उधर के भाषण से यह प्रतीत हुआ कि इस संशोधन में कोई महत्व की वस्तु नहीं है। इसीलिये मैं इसको जरा थोड़ा और हेमरिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कहना है "I was rather hammering it, Sir" अब मैं समाप्त करता हूं।

***श्री जयपाल सिंह** (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने अपने जो विचार व्यक्त किये उनसे विवश होकर मुझे बोलना पड़ा। जहां तक इस संशोधन के विषय का संबंध है उससे स्पष्ट है कि वह चाहते क्या हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो उसका नतीजा यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने लिये मंदिर बनायेगा तो कुछ दिन बाद जब वह मर जायगा तो वह पब्लिक प्रापर्टी हो जायगा और इसके अनुसार अगर वह पब्लिक प्रापर्टी न हो सकेगा तो वह भी यार दोस्तों में या दूर के परिवार के लोगों तक ही सीमित हो जायगा और उसका नतीजा यह होगा कि धर्म के काम के लिये बनाई गई चीज़ भी पब्लिक परपज में इस्तेमाल नहीं होगी और इस तरह से उसको बांधने से तो जो हमारे समाज का एक प्रगति का रास्ता है, उसमें भी बाधा पड़ेगी। ऐसी अवस्था में यह कहना कि उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता उठ जायगी, यह गलत है। यह तो स्पष्ट है कि हर आदमी जैसे चाहे पूजा-पाठ या अपनी धार्मिक उपासना कर सकता है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में भी कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करना चाहती और न वह कोई ऐसा कानून बनाने वाली है कि जो इस प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक हो। ऐसी हालत में यह कहना कि यह धारा इस रूप में स्वतंत्रता में बाधक होगी यह मैं समझता हूं कि एक भ्रमोत्पादक बात है और मैं निवेदन करूंगा कि जहां ऐसे मन्दिर पहले से बने हैं वहां भी इससे नाना प्रकार के वाद-विवाद पैदा हो जायंगे और लोग कहने लगेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इसको अपने लिए बनाया था और उसमें अब कोई नहीं जा सकता और इस तरह से अनेक वाद-विवाद खड़े हो जायंगे। इसलिए मझे सन्देह है कि यह संशोधन बुद्धिभ्रम का काम करेगा और इसलिए मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं और यह हमारे समाज की प्रगति में रुकावट डालेगा इसलिए मैं श्री जगदीशप्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और माननीय मुख्य मंत्री जी के कथन को स्वीकार करें।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, यह जो स्पष्टीकरण दिया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मन्दिर या मस्जिद या कोई स्थान जो पूजा या उपासना के हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो सार्वजनिक होते हैं और दूसरे निजी। और पहले से ही यह प्रश्न न्यायालयों के समक्ष बराबर रहा है। मन्दिरों के विवाद उठते हैं कि प्रमुख मन्दिर प्राइवेट है या पब्लिक। जो पब्लिक मन्दिर होते हैं उनके लिये एक क्राइटेरियन होता है उनमें यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसे स्थापित किया था उसकी मंशा क्या थी। बहुधा एक ट्रस्ट डीड होता है उसके प्रतिबन्धों के अनुसार काम चलता है। अगर यह पता नहीं चलता कि यह मन्दिर कब स्थापित हुआ तो जिस प्रकार वह परम्परा से चला आया है दो सौ, चार सौ वर्ष से उससे मालूम हो जाता है कि यह स्थान पब्लिक टेम्पिल है या प्राइवेट है। जो विधेयक रक्खा गया है उसका अर्थ बहुत साफ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां पर और व्यक्ति जा सकते हैं वहां पर आन ग्राउंड आफ अनटचेबिलिटी (छुआछूत के कारण) दूसरे नहीं रोके जायंगे। जो पब्लिक टेम्पिल हैं वहां के लिये तो स्पष्ट है ही। जैसे शिव जी के मन्दिर हैं।

शंकराचार्य जी ने चार मठ स्थापित किये थे और चारों में शिव जी की स्थापना कर दी थी। उनका मतलब था कि यह पब्लिक प्लेस आफ वर्शिप हो जाय। ध्येय यह था कि उनकी उपासना सार्वजनिक हों और वे सबके लिये हों। शिव जी की पूजा कहीं भी किसी के लिये वर्जित न हो। जैसे काशी विश्वनाथ का मन्दिर पब्लिक टेम्पिल है। बनारस में गोपाल जी का टेम्पिल प्राइवेट है लेकिन बहुत बड़ा मन्दिर है। वहां भी बहुत से लोग दर्शन के लिये जाते हैं। इस विधेयक के जो अर्थ होते हैं उसके अनुसार गोपाल जी के मन्दिर में नहीं जा सकते लेकिन विश्वनाथ जी के मन्दिर में कोई भी जा सकता है। मतलब यही लगाया जायगा कि जो प्राइवेट मन्दिर होता है उसमें इजाजत की जरूरत होती है। उसके जो प्रबन्धक हैं वे कह सकते हैं कि हमारे यहां कोई नौकर नहीं है, हमारे पुजारी बराबर नहीं रहते और हम अपने निजी गृह में मन्दिर रखे हुए हैं। यदि सब लोग आने लगें तो अपने घर की हम कैसे रक्षा करेंगे। ऐसी स्थिति में इजाजत लेकर वहां प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन गोपाल जी का मन्दिर बनारस में खुला रहता है और कुछ लोगों को वहां अधिकार दिया है दर्शन का जिनको द्विज कहते हैं--वही जा सकते हैं। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने जब एक वर्ग को जाने दिया तो अछूतपन के कारण दूसरे को क्यों रोका? कानून उनकी सहायता में आ जायगा। यह प्राइवेट मन्दिर के लिये भी लागू हो सकता है। पब्लिक के लिये कोई प्रश्न है ही नहीं क्योंकि पब्लिक मन्दिर में सब लोग जा ही सकते हैं।

जब कोई धारा साफ न हो तब स्पष्टीकरण लगाया जाता है। बहुधा स्पष्टीकरण लगाने से धारा का मतलब निरर्थक हो जाता है। स्पष्टीकरण का मतलब ही यह होता है कि धारा साफ नहीं है। यहां स्पष्टीकरण लगाने से मतलब विपरीत हो जायगा इस का मतलब ही यही है कि जहां भी कोई मन्दिर हो, जिसमें किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जा सकता हो और पूजा उपासना कर सकता हो वहां अछूतपन के कारण कोई नहीं रोका जायगा। विधेयक को देखने से ही स्पष्ट है कि अछूतपन के कारण कोई रोका जा रहा है तो वह अब नहीं रोका जायगा। कोई यह अर्थ लगा सकते हैं कि जो डीड है उसमें यह लिखा हुआ है कि जिन्होंने स्थापित किया था उसके अनुसार यहां पर द्विज ही जा सकता है हरिजन नहीं। इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स दिये हुये हैं उसमें भी यह लिखा हुआ है कि केवल छुआछूत के कारण अगर कोई रोका जा रहा हो तो अब से नहीं रोका जायगा। यदि ऐसा हो तो इसको और व्यापक कर दिया जाय। अन्य धाराओं को भी देख लिया जाय और ऐसा अधिकार दिया जाय कि छुआछूत के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति रोका जा रहा हो तो अब से न रोका जायगा। इसको व्यापक कर दिया जाय। क्योंकि सिर्फ छुआछूत के कारण रोकने से उसका अर्थ सीमित हो जाता है। ऐसे भी बहस करने वाले मिलते हैं जो चाहते हैं कि वे हरिजनों को जाने भी न दें और वे सबसे ज्यादा उनके प्रिय भी बने रहें। वे कहते हैं कि हरिजनों को वे छुआछूत के कारण कहां रोकते हैं वे तो इस कारण रोकते हैं कि जिसने इस मन्दिर को स्थापित कराया है उसने ऐसा डीड में लिखा दिया है कि जिसको पुजारी ट्रस्ट्र मुतवल्ली या जो कोई प्रबन्धक हो वह जिसको अधिकार दे वही जा सकते हैं। सावन झूला, राम नवमी, जन्माष्टमी, होली यह बड़े-बड़े उत्सव होते हैं इनमें बहुत भीड़ रहती है। ऐसे वक्त अगर उस मन्दिर का एक प्रबन्धक मन्दिर के द्वार पर खड़ा हो जाय और एक से कहने लगे कि तुम जा सकते हो और दूसरे को मना करे तो कह सकते हैं कि आप एक को जाने देते हैं और दूसरे को रोक रहे हैं। ऐसा हो सकता है। इसलिये उसको व्यापक कर दिया जाय कि किसी प्रकार की कोई बहस अब न्यायालयों के सामने न आवे और इस विधेयक के बनने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद न हो और विवादग्रस्त विषय यह न रहे। इसलिये अगर इसको व्यापक बना दिया जाय तो स्पष्टीकरण

[श्री कालिका सिंह]

की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि नहीं तो आगे चल कर ऐसा हो सकता है दूसरे स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। फिर उसके बाद भी किसी तीसरे स्पष्टीकरण लगाने की आवश्यकता हो। विधेयक बनता है तो उसका एक स्वरूप होता है एक रुप-रेखा होती है। उसमें अगरचे कहीं बदलना होता है तो बहुत सोच विचार कर बदलना होता है। इसलिये मैं इस स्पष्टीकरण का या जो संशोधन सम्मुख रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन भी इसी प्रकार है। इसीलिए मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिसको माननीय जगदीशप्रसाद जी ने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन देर से आया। मैंने उसको उपस्थित करने की इजाजत नहीं दी।

श्री बेचनराम गुप्त—मैं उसको उपस्थित भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो माननीय जगदीशप्रसाद जी के संशोधन पर बोल रहा हूं। मंत्री जी ने कहा कि जो परिभाषा मन्दिर की इस विधेयक में दी गई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी मन्दिर उसमें नहीं आ सकते। परन्तु मैं देखता हूं जो इसकी शब्दावली है वह इतनी व्यापक है कि उसमें निजी मन्दिर भी शामिल हो सकते हैं और मन्दिर की जो परिभाषा इसमें दी गई बहुत ही व्यापक है अतः यह आवश्यक होता है कि यह स्पष्टीकरण इसमें अवश्य जोड़ दिया जाय। माननीय कालिका सिंह जी ने जो तर्क दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। कुछ मन्दिर ऐसे होते हैं जिनके पीछे ट्रस्ट होते हैं और उससे यह जाहिर हो सकता है कि यह पब्लिक मन्दिर है या प्राइवेट है। मगर आप देखेंगे कि बहुत से मन्दिर ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे कोई ट्रस्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि काशी में प्रायः हर एक के मकान में एक मन्दिर है और उसमें शिवरात्रि के दिन और जन्माष्टमी के दिन जनता दर्शन के लिए जाती है। तो इस वास्ते वह यह नहीं कह सकते कि चूंकि शिवरात्रि के दिन या जन्माष्टमी के दिन दर्शन के लिए जाते हैं उससे उनको अधिकार उन मन्दिरों में भी प्रवेश का होगा जो कि निजी प्राइवेट मन्दिर हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक मालूम होता है कि यह स्पष्टीकरण इसमें जोड़ दिया जाय कि जो निजी मन्दिर हैं उसमें हरिजनों को अगर वह चाहें तो उनको अधिकार रहे रोक दें या अगर वह न चाहें तो दूसरी बात है। मगर निजी, जो प्राइवेट मन्दिर हैं उसमें इस प्रकार का व्यापक अधिकार देना यह उचित नहीं मालूम होता है। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन माननीय जगदीशप्रसाद जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। विधेयक में जो मन्दिर की परिभाषा की गई है वह काफी व्यापक है और व्यापक ही नहीं उससे खास तौर से स्पष्ट हो जाता है कि मन्दिर का अर्थ उस स्थान से जो सार्वजनिक और समस्त हिन्दू जाति के पूजन के लिए है, होगा। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्दिर का अर्थ पब्लिक टेम्पिल से है। पब्लिक टेम्पिल और प्राइवेट टेम्पिल का सब से बड़ा भेद यही है कि जिस मन्दिर में जनता स्वतन्त्र रूप से जा सके, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी की इजाजत के; वह पब्लिक टेम्पिल है और जो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने लिए अपने पूजन के लिये या अपने कुटुम्ब के पूजन के लिए बनवाया हो और दूसरे को उसमें स्वतन्त्र रूप से जाने का अधिकार न हो वह निजी मन्दिर होगा। यही परिभाषा में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मन्दिर का अर्थ उसी मन्दिर से है जिसमें समस्त हिन्दू कम्यूनिटी जा सके। तो इससे जाहिर है कि यह

पब्लिक टेम्पिल से इसका मतलब है और यहां टेम्पिल की परिभाषा में प्राइवेट टेम्पिल नहीं आता। अब मैं इसमें यह विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं कि यह जो स्पष्टीकरण है उसका अभिप्राय तो यही है कि साफ तौर से यह जाहिर कर दिया जाय कि इस परिभाषा के अन्दर प्राइवेट टेम्पिल नहीं आता। लेकिन इस की जो भाषा रखी गई है वह भाषा स्वयं ऐसी गोल है और इस भाषा का एक अर्थ यह भी निकल सकता है कि वह मन्दिर जो किसी व्यक्ति से या किसी कुटुम्ब के द्वारा बना हो उसमें वह सम्मिलित न होगा। इसका दूसरा अर्थ अगर आप देखें तो यह भी होगा कि मन्दिर तो कोई न कोई बनायेगा, चाहे व्यक्ति बनवाये या कुटुम्ब बनवाये। भाषा को अगर आप देखें तो यह है-- "परन्तु जो मन्दिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने अपने व्यक्ति अथवा कुटुम्ब द्वारा", यह तो बनाने का हुआ, कि किसने बनाया, अब किस लिए बनाया, उपासना के लिए बनाया। यहां यह नहीं कहा जाता कि उपासना केवल कुटुम्ब ही करेगा या वह व्यक्ति ही करेगा। इसका दूसरा अर्थ भी निकल सकता है कि मन्दिर तो चाहे किसी ने बनाया लेकिन उपासना के लिए बनाया। तो यह अगर भाषा मानी जायगी तो जो सारा स्पष्टीकरण है वही गलत हो जायगा। हालांकि उनका मंशा उस मन्दिर से है जो किसी व्यक्ति विशेष ने केवल अपने ही कुटुम्ब की उपासना के लिए बनवाया हो। लेकिन वह इसका अर्थ नहीं निकलता। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जिसकी शब्दावली ऐसी हो वह संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन (स्पष्टीकरण) का घोर विरोध करता हूं। इसलिए कि यह स्पष्टीकरण जो है अस्पष्ट, प्रतिक्रियावादी, अनावश्यक और विधेयक के उद्देश्यों के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि इस स्पष्टीकरण का समर्थन करने के लिए माननीय अवधेशप्रताप सिंह के अलावा कोई दूसरा न होगा। लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय बेचनराम गुप्त जैसे इस सदन के सदस्य ने भी इसका समर्थन किया है। माननीय अवधेशप्रताप को यह आपत्ति है कि यदि यह स्पष्टीकरण नहीं माना जाता तो वह मन्दिर जो किसी के खुद के घर में बना है या किसी ने निजी उपासना के लिए अपने या अपने कुटुम्ब के लिए बनाया है तो उसमें बाहर के दूसरे लोग भी घुसने की चेष्टा करेंगे। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह तो साधारण बुद्धि की बात है कि जब इतने कानून कायदे मौजूद हैं तो उसमें किसी के घर में घुसने की कौन हिम्मत कर सकता है। उसके लिए बहुत से रोकथाम हैं, तो कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस संशोधन को मान लें तो एक सीधा मतलब यह होगा कि बड़ा भारी झंझट पैदा होगा कि जगह-जगह, हर तहसील में, हर गांव में, इस तरह के मुकदमे हरिजनों के खिलाफ चलेंगे कि वह जिस मन्दिर में जाना चाहते हैं वह तो निजी मन्दिर हैं।

किसी व्यक्ति ने अपने लिए या अपने कुटुम्ब विशेष के लिए बनाया है इसलिए किसी बाहर के व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो विशेष रूप से इस प्रान्त में मुकदमे पैदा हो जायंगे और जो इस विधेयक का मकसद है और जो बनारस विश्वनाथ मन्दिर को लेकर हरिजनों के मन्दिर प्रवेश में मुकदमा उत्पन्न हो रहा है और सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो ऐसे और बहुत से मुकदमे जारी हो जायंगे। सेंट्रल ऐक्ट कितना साफ है कि जो कि अनटचेबिलिटी का ऐक्ट है। वह कितना क्लियर है, उसके रहते हुए इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिविल कोर्ट की अनधिकृत चेष्टा के कारण, और मैं क्या कहूं, मेरी माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत हुई। उनसे मालूम हुआ कि वहां तो अधिकारियों के विरुद्ध भी आरोप है। मैंने पूछा कि क्या वह फरीक मुकदमा है, तो उन्होंने बताया कि वह फरीक मुकदमा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर

[श्री रामसेवक यादव]

इंजंक्शन जारी हो गया। तो मैंने कहा कि यह कैसे हो गया? तो मुकदमे में ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए यह जो स्पष्टीकरण है, जिसको "अस्पष्टीकरण" कह सकते हैं उसके रहते हुए कितने मुकदमे चलेंगे और क्या, क्या दिक्कतें पैदा होंगी, यह अगर ध्यान से देखा जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

जैसा कि काटजू साहब ने अभी फरमाया इस सदन के सामने कि किसी व्यक्ति या कुटुम्ब ने तो बनवाया ही होगा, वही बनवाते हैं, तो इसमें झगड़ा पैदा होगा कि कैसे बना है। यदि किसी के दरवाजे पर पड़ता है तो कहा जायगा कि यह निजी है या उपासना के लिए है। तो इससे झगड़े पैदा होंगे। तो अवधेशप्रताप जी ने कितने दूर की बात इस संशोधन के द्वारा पेश करने की कोशिश की है कि जहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचने की वह कुचेष्टा करते हैं। उन्होंने राजनारायण जी का नाम बहुत लिया कि राजनारायण जी से खतरा है। क्या खतरा है यह समझ में नहीं आया। उनका नाम लेकर कार्ल-मार्क्स और दुनिया भर के सिद्धान्तों का जिक्र कर दिया। जिस वक्त जनरल डिस्कशन चल रहा था तो उसमें माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि हरिजनों को अधिकार देने और न देने का प्रश्न जो है वह एक जटिल हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अधिकार देना नहीं चाहते हैं। यह येन-केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से उनके अधिकारों को रोकने की चेष्टा किया करते हैं, तो अगर हम ध्यान दें तो जो स्पष्टीकरण दिया है अगर उसको अपना लिया जाता है तो विधेयक का जो मकसद है वह उसको पूरा पूरा खत्म कर देता है। तो एक ओर तो इस घोषणा के द्वारा आप चाहते हैं कि हरिजनों का मन्दिर प्रवेश हो और दूसरी ओर यह स्पष्टीकरण जोड़ करके जितने भी अधिकार दिये जाते हैं उनसे कहीं ज्यादा अधिकार उनसे छिन जायंगे और मुझे डर है कि इस उत्तर प्रदेश में कोई भी मन्दिर ऐसा नहीं होगा जो इसके अन्दर न आ जाय और इस तरह से जितने अधिकार और दूसरे मन्दिरों में भी मिले हैं वह भी छिन जायेंगे, विश्वनाथ जी के मन्दिर का तो मामला खटाई में पड़ा ही है।

उस दिन माननीय कमलापति जी त्रिपाठी ने यह कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा हरिजनों को विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन किया गया और उसने ही ऐलान किया था, तो इस कथन के विपरीत उनके पक्ष के सदस्यगण जब इसी तरह की बात करते हैं तो मुझे शक पैदा होता है और अगर इस तरह की चीजें हुई तो इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों का शक मजबूत होगा और जो एक विशाल जन-समूह है उनके अन्दर भ्रम पैदा हो जायंगे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर महोदय, इस बिल के ऊपर अभी बहुत सी तकरीरें हुई, मैंने भी उनको सुना है। मैं जानता नहीं हूं कि इस पर मेरे लिये कुछ कहना कहां तक सही होगा। लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं कि जो तकरीरें मैंने सुनी हैं उनसे मेरा ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी पैदा हो रही है। मकसद जो मैंने मुख्य मंत्री जी की तकरीर से समझा वह यह है कि इस बिल से उन मन्दिरों में जाने की सब लोगों को इजाजत दी जा रही है, जो पब्लिक मन्दिर कहलाते हैं और जिनके अन्दर सबको जाने का हक है। लेकिन कुछ कस्टम्स ऐसे पैदा हो गये कुछ अर्से से कि जिनकी वजह से कुछ जातियों के लोगों को जाने से रोक दिया जाता है। इस बिल का मकसद यह है कि जो लोग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिसएबिल्ड कर दिये गये हैं, उनकी डिसएबिलिटी दूर हो जाय और हर एक को मन्दिरों में जाने का मौका मिले और किसी किस्म की रोक-टोक न रहे। यही मंशा इसका मालूम होता है और मुख्य मंत्री जी ने भी यही अपनी तकरीर में भी कहा है।

हमारे सामने जो संशोधन आया है उसमें एक बुनियादी बात उठा दी गई है और इस संशोधन के ऊपर इस कदर बहस हुई कि आया हर मन्दिर पब्लिक मन्दिर समझा जाय या वह किसी खास इंडिविजुअल का या किसी खानदान का बनाया है, वह पब्लिक मन्दिर हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह सही है कि बिल सिर्फ उनसे ही ताल्लुक रखता है जो पब्लिक टेम्पिल कहलाते हैं और इस बात की वजाहत इस बिल की दफा २ के सब-क्लाज (सी) में हो चुकी है। जहां टेम्पिल की तारीफ दी गई है। इसके हेडिंग को पढ़िये "यू० पी० टैम्पिल ऐंट्री (डिक्लेरेशन आफ राइट) बिल, १९५६, इससे ऐसा मालूम होता है कि जितने भी मन्दिर हैं उन सब पर यह लागू होता है लेकिन दफा २ में जो मन्दिर की तारीफ दी गई है उससे ख्याल पैदा होता है कि यह पब्लिक मन्दिरों के लिये है, प्राइवेटों के लिये नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि अगर इसके नाम में "यू० पी० पब्लिक टैम्पिल ऐंट्री (डिक्लेरेशन आफ राइट) बिल, १९५६ कर दिया जाय तो यह दिक्कत दूर हो जाती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बिल का मकसद सामने आ गया है और इस बिल के ऊपर जो बहस हुई और ख्यालात का इजहार हुआ वह भी हमने सुने और मौजूदा वक्त और उन हालात में जिनमें हम रह रहे हैं यही मुनासिब होगा कि इस बिल में जो टेम्पिल की तारीफ दी गई है वही रखी जाय और उसी को लागू किया जाय और जल्दी किया जाय। मुझे अन्देशा हो रहा है कि कहीं इस तारीफ के बाद ऐसा न हो कि जो लोग चाहते हैं कि अनटचेबिल्स मंदिरों में न जायं, उनको एक लूपहोल मिल जाय और उसकी बुनियाद पर जितने मन्दिर बनें वह सब यह कह कर बनाय जायं कि प्राइवेट मन्दिर हैं ताकि हमेशा के लिये बैक डोर से कोशिश करने लगें कि जो कानूनन या कांस्टीटयूशन से मुमानियत की गई है कि किसी भी जाति को मन्दिर में आने से न रोका जाय इस मकसद को फौत करने के लिये यह शर्त रखा करें कि जो मन्दिर बनें उनको प्राइवेट रखा जाय या वह मन्दिर किसी जाति के नाम पर बनाये जायं जिससे आइन्दा के लिये कानून का मकसद फौत हो जाय और उनको एक लूपहोल मिल जाय कि वह इस कानून की मंशा को फौत कर दें। मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि मुनासिब ज्यादा यह हो कि अगर इसका नाम "उत्तर प्रदेश पब्लिक टेम्पिल एंट्री (डिक्लेरेशन आफ राइट) बिल, १९५६" कर दिया जाय तो यह चीज बिल्कुल साफ हो जाय और इसमें किसी गलतफहमी की गुन्जायश नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस अमेंडमेन्ट में तो यह चीज सही नहीं समझता मगर इस बात पर भी हम सब लोग जरा गौर करें कि क्या यह मुनासिब होगा कि इसके अन्दर कोई ऐसा प्राविजन रख दिया जाय जिससे इस बात की जमानत हो सके कि जो लोग इसकी मंशा और मकसद को फौत करना चाहते हैं और इसके जरिये से कांस्टीटयूशन को फ्लाउट करना चाहते हैं उनके लिये कोई गुंजायश या लूपहोल बाकी न रहे। इन मुख्तसिर अल्फाज के साथ मैं अपने ख्यालात को इस सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को देखने से मुझे एक कहावत याद आती है :

"जाको मारो चाहिये बिन छूरी बिन घाव,
वाको यही बताइये घुइयां पूरी खाव।"

यानी बिल का विरोध तो किया नहीं जा सकता और न यही कहा जा सकता है कि हरिजन मन्दिर में न जा सकें इसलिये ऐसा संशोधन पेश कर दो कि जिससे हरिजनों का मन्दिर प्रवेश का मामला या अनटचेबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट जैसे डिस्प्यूट में पड़ा

[श्री रामसखन]

हुआ है उसी तरह यह उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश विधेयक भी डिस्प्यूट में पड़ जाय और हरिजनों का मन्दिर प्रवेश का मामला सदा खटाई में पड़ा रहे। जो प्राविजन बिल में रखा गया है वह इतना स्पष्ट है कि उसके रहते हुये किसी संशोधन को लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से ऐसे प्राइवेट मन्दिर हैं जिनमें होली, दिवाली, जन्माष्टमी या शिवरात्री के दिन ही आम लोगों को जाने का अधिकार होता है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह प्राइवेट मन्दिर क्यों न हो, यदि एक दिन के लिये भी वह सार्वजनिक उपयोग के लिये खोला जाता है तो जिस एक दिन के लिये वह खुलता है उस दिन हरिजनों को भी जाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिये। यदि इस संशोधन को मान लिया गया तो इस बिल की जो आत्मा है उसी पर कुठाराघात होता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल इस चीज को बताया था और मैंने भी कहा था कि सेन्ट्रल ऐक्ट में यह साफ नहीं है कि टेम्पिल क्या है बल्कि उसमें दिया है पब्लिक प्लेस आफ वर्शिप। इसीलिये यह सारा झगड़ा खड़ा हुआ। पब्लिक हो या प्राइवेट हो इसी के क्लेरिफिकेशन के लिये इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसलिये नहीं बल्कि नया प्राविजन इसलिये किया गया है कि कोई अदालत इंजंकशन आर्डर इश्यू नहीं कर सकती। तो इस प्राविजन के रहने पर भी अगर अदालत में मुकदमा दाखिल हो जाता है और इन्जंक्शन आर्डर इश्यू हो जाता है तो न सरकार कुछ कर सकती है और न हमारे नेता कुछ कर सकते हैं और फिर वही कानून और कोर्ट का प्रोसीजर चालू होगा और हरिजनों का मन्दिर प्रवेश का मामला खटाई में पड़ जायगा। इसलिये मेरा यह कड़े शब्दों में विरोध है कि इस संशोधन को कतई सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि यह मूलभूत बिल की स्प्रिट के विरुद्ध है और हरिजनों के मन्दिर प्रवेश की अभिलाषा पर कुठाराघात करता है। इन शब्दों के साथ में फिर संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय,यहां जो संशोधन प्रस्तुत है उस पर मुफस्सिल और हाईकोर्ट को दो रूलिंग भी पेश हो गयी। इसलिये बड़ा असमंजस मालूम हो रहा है कि कौन सी राय पसन्द की जाय। पर वास्तविक दुनिया में जब चला जाय तो कानून जो बनता है उसकी मंशा यह हुआ करती है कि जहां तक हो वह साफ होना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह चीज तो न्यायालय की है और वह यह तय करेगा कि यह मंदिर प्राइवेट है या पब्लिक है इसलिये इस प्रकार का कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। पर इसके बरअक्स कानून की यह मंशा हुआ करती है कि जहांतक हो, कोशिश यह की जाय कि कानून में अदालत को वहीं दखल देने की जरूरत हो जहां कि बावजूद कोशिश के वह नासाफ हो। इसलिये शुरू से ही नासाफ बिल रखा जाय यह उचित नहीं जान पड़ता।

दूसरी बात यह कि जैसा मैंने वास्तविकता का जिक्र किया, उस पर यदि हम सोचें कि जो संशोधन इस समय पेश है अगर वह मंजूर कर लिया जाय तो उससे वाकई क्या गड़बड़ी पड़ेगी। इस बात पर भी लेजिस्लेचर का ध्यान होना चाहिये। इसमें बात यह है कि अगर हम प्राइवेट मंदिरों में सब लोगों को प्रवेश करने की इजाजत दे देंगे तो देखने में बात बड़ी अच्छी है, अच्छी मालूम भी होती है, लेकिन आप देखें कि इसमें दिक्कत क्या होगी। जो उस मंदिर का ओरजिनेटर है, जिसने उस मंदिर को बनवाया है उसकी आज इच्छा हुयी कि हम आज मंदिर के पूर्व की तरफ का बरेन्डा गिरवा कर उधर एक कोठरी बनवा दें और इस तरफ दरवाजा रखें, लेकिन आप अगर संशोधन मंजूर करने की इजाजत दे दें तो दूसरे ही दिन ईजमेंट का सवाल आ जायगा कि हम तो हर जन्माष्टमी के दिन आते थे और इसलिये आपको वहां कोठरी बनवाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इस सहूलियत पर विचार करते हैं तो इस पर भी विचार करें। दोनों रूलिंग जो पेश की गयीं वह कहीं भी लागू नहीं होती है। तो

जहां तक बिल का सवाल है वह साफ होना चाहिये। अगर यह बिल केवल पब्लिक मंदिर के लिये ही है तो उनका संशोधन, जो हमारे माननीय सदस्य ने पेश किया है मान लेने से बिल और साफ हो जाता है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यदि बिल की मंशा है कि प्राइवेट और पब्लिक का सवाल नहीं, दोनों में प्रवेश करने की इजाज़त देनी चाहिये तो यह भी साफ हो जाना चाहिये और इस बिल को किसी न किसी तरह से और साफ होना चाहिये कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के मंदिरों में सब को प्रवेश होता रहेगा। इस तरह से नासाफ चीज रख देने से दिक्कत पैदा हो जायगी। बड़े बड़े शहरों में आप देखें। वास्तविकता की बात आप बनारस और मथुरा में जाकर देखिये। माननीय सूचना मंत्री जी के घर में भी एक मंदिर है। यदि उसमें आप इजाजत दे दें। तो उनको भी कोई हक नहीं होगा कि वे पूर्व का दरवाजा बन्द कर दें और पश्चिम का दरवाजा खोलें। इस तरह की बात सामान्य रूप से करने में तो अच्छी है, राजनारायण जी ने जो तकरीर की उसको सुन कर सभी प्रसन्न हुये होंगे, लेकिन आप देखें कि वास्तविकता क्या है। यह बात इसी तरह की है कि आप कहें कि हर मजदूर को चार रुपया रोज मजदूरी मिलनी चाहिये। यह बात पसन्द तो सब को आती है, मजदूर को भी, लेकिन मजदूरी देने वाले को भी तो सोचना पड़ेगा कि वह प्रसन्नता से साल भर तक यदि चाहे भी तो उस मजदूर को चार रुपया रोज मजदूरी दे सकता है या नहीं। तो इस तरह से जो संशोधन यहां प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (ज़िला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। जो परिभाषा मंदिर की है उससे बिलकुल स्पष्ट है कि वह पब्लिक मंदिर के लिये है। उसमें साफ दिया है कि 'जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में, समर्पित हो, अथवा उसके लाभार्थ हो, अथवा अधिकारतः उस के प्रयोगार्थ हो।" याने इसमें यह दिया है कि मंदिर वह है जो पब्लिक को या उसके किसी भाग को समर्पित हो या ट्रस्ट कर दिया गया हो या उसके लाभ के काम में आता हो या उपयोग में आता हो।

मंदिर दो तरह के होते हैं। या तो उनको जनता बनाये या उसको किसी व्यक्ति ने बनाया हो। एक निजी व्यक्ति बनाता है और वह व्यक्ति उस मंदिर को जब बनायेगा तो वह अपने प्रयोग में भी लायेगा और अपने खानदान के प्रयोग में भी लायेगा। अगर वह जनता के लिये छोड़ देता है तो फिर वह पब्लिक हो जाता है। मैं जानता हूं कि बिजनौर में मेरे बुजुर्गों ने एक मंदिर बनाया है और उसके लिये कुल पैसा उन्होंने अपने पास से लगाया है। वह सर्व-साधारण के लिये है। उसमें मैं भी जाता हूं और मेरे परिवार के लोग भी जाते हैं और उसमें आम जनता भी जाती है। जब आम जनता जाती है तो वह पब्लिक हो गया न कि प्राइवेट रहा। आज जो संशोधन इस सदन के सन्मुख है उसमें शब्द हैं कि "जो मंदिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने अपने व्यक्ति अथवा कुटुम्ब द्वारा उपासना के लिये बनवाया हो वह इसमें सम्मिलित नहीं होगा" अगर वह अपने लिये बनाया गया है तो उसके तो कुछ मायने थे जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने बनाया तो वे मंदिर इस्तेमाल करते थे, मैं भी इस्तेमाल करता हूं और मेरे परिवार के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं और जनता भी प्रयोग में लाती है। जिसको जनता प्रयोग में लाती है वह पब्लिक है। इसके अन्दर यदि इस शब्द को शामिल कर लिया गया है और यह परिभाषा मान ली गयी तो इसमें वह मंदिर भी प्रमाण है जो किसी एक व्यक्ति ने बनाया था। जिसको वह भी प्रयोग करते थे, और इसके परिवार के लोग भी प्रयोग करते हैं और साथ ही और जनता भी प्रयोग करती है।

हमारे सामने जो विधेयक है उसका मंशा यह है कि जो मंदिर है उसको सारी जनता या उसका कोई समुदाय के लाभार्थ बनाया गया हो या जिनका जनता प्रयोग करती हो चाहे किसी एक व्यक्ति ने बनाया हो और चाहे वह जनता ने बनाया हो वह सारे पब्लिक हैं। इसमें पब्लिक के लिये रखा गया है। जो पब्लिक मंदिर हैं, वे आम जनता के लिये हैं उसमें सब जा सकेंगे चाहे वह किसी एक विशेष व्यक्ति के बनाये हुये हों या समाज के बनाये हुये हों। आज

[श्री रतनलाल जैन]

अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो उसके मायने हो जायेंगे हर एक प्राइवेट मंदिर जिसको किसी एक व्यक्ति ने अपने या अपने कुटुम्ब के लाभ के लिये बनाया हो तो इसमें वह भी आ जायेंगे जिसमें आम जनता जाती हो। इसलिये यह संशोधन बिलकुल मुहमिल है और बड़ा व्यापक है और किसी तरह से मानने के योग्य नहीं है। जो परिभाषा विधेयक की है वह बिलकुल स्पष्ट है। वह एक आम मंदिर जो सब जनता के लिये है उसी के लिये रखा गया है। वे मंदिर एक्लक्लुडेड हैं जो किसी व्यक्ति ने अपने या अपने कुटुम्ब के प्रयोग के लिये बनाये हों और जिसमें और जनता नहीं जाती हो। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि ऐसे भी मंदिर हैं जो प्राइवेट हैं और जिनमें जनता नहीं जाती है। जन्माष्टमी या किसी और विशेष दिन आम जनता उनमें जाती है। अगर आम जनता उस दिन जाती है तो उसमें हमको यह भी अधिकार होगा कि उसमें हरिजन भी जा सकते हैं। यह चीज उस रोज के लिये मान ली गयी है कि वह जन्माष्टमी या शिवरात्रि के दिन के लिये ही पब्लिक मन्दिर हैं। जब उसमें आम जनता उपयोग के लिये जाती है तो उसमें हरिजन भी जा सकते हैं इस विधेयक का मंशा केवल यह है कि चूंकि वे हरिजन हैं उनके लिये रुकावट नहीं होनी चाहिये। अगर कोई एक मंदिर में.....

श्री अध्यक्ष--अभी आप और समय लेंगे क्या ?

श्री रतनलाल जैन--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रतनलाल जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में जो मंदिर की व्याख्या की गयी है वह सार्वजनिक मंदिर की है। अब सार्वजनिक मंदिर के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह जनता द्वारा बनाया गया हो। वह जनता द्वारा भी बनाया गया हो सकता है और किसी व्यक्ति द्वारा भी बनाया गया हो सकता है। सार्वजनिक वह होता है जब वह जनता के लिये या उसके किसी भाग के लिये समर्पित होता है, लाभार्थ हो या प्रयोग में आता हो तो वह सार्वजनिक होता है। तो इसमें जो कसौटी है वह बनाने वाले की नहीं है बल्कि कसौटी यह है कि वह किसके प्रयोग में आता है। यह कसौटी सार्वजनिक मंदिर की है उसमें वह प्राइवेट मंदिर भी आ जाते हैं जो किसी व्यक्ति ने या किसी परिवार ने बनाये हैं और जनता के उपयोग में आते हैं लेकिन अगर वे केवल किसी व्यक्ति या किसी परिवार के काम में आते हों तो वह इसमें से निकल जाते हैं। वह सार्वजनिक मंदिर नहीं है। तो अगर वह जनता या जनता के किसी भाग के प्रयोग में आता है तो वह सार्वजनिक हुआ और अगर वह किसी व्यक्ति के प्रयोग में आता है तो वह प्राइवेट हुआ तो इस परिभाषा में से हर एक प्राइवेट मंदिर निकल जाता है और किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती। यह जो संशोधन आया है वह बहुत ही मोहमिल है। जो भी व्यक्ति मंदिर बनायेगा वह अपने लाभ के लिये भी उसको रख सकता है, स्वयं भी पूजा कर सकता है और अगर उसके साथ-साथ उसको वह जनता के लाभ के लिये भी छोड़ देता है तो वह सार्वजनिक है। अगर अपने लिये रखता है तो प्राइवेट हो जाता है। यह संशोधन बहुत ही व्यापक है और किसी तरह भी मानने के योग्य नहीं है।

इस विधेयक में एक खूबी और है कि वह सब के लिये एकसा लागू होता है। मुझे पहले का अनुभव है और जो कानून पहले थे उनके कारण एक बाधा आयी उसमें जैन समाज की तरफ से और जो प्रतिक्रियावादी थे उनकी तरफ से यह कहा गया कि क्योंकि हर एक हरिजन जैन धर्म का उपासक या अनुयायी नहीं है इसलिये उसको मंदिर में नहीं आना चाहिये। आज इस विधेयक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह उन मंदिरों से भी लागू होता है जो बौद्ध, सिख अथवा जैनियों के भी है केवल शर्त यह है कि जो भी आता है उसे उस ढंग से उपासना

करनी चाहिये जिस ढंग से वहां उपासना होती है । इसलिये जो रुकावट पहले विधेयकों में थी वह रुकावट भी इससे दूर हो जाती है। उज्जैन और दिल्ली में प्रतिक्रियावादियों ने यह दलील दी थी कि हम तैयार हैं उन लोगों के लिये जो जैन धर्म की उपासना करें। क्योंकि हरिजनों में ऐसे उपासक नहीं है इसलिये उनको मंदिर में नहीं आना चाहिये। यह कमी भी इस विधेयक से पूरी हो जाती है । इसलिये मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। संशोधन के द्वारा जो शब्द रक्खे गये हैं मैं उनको बिलकुल अनावश्यक ही नहीं समझता बल्कि मोहमिल और गलत समझता हूं। इसलिये इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री शारदाबख्श सिंह (ज़िला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार का यह संशोधन आपके सम्मुख रखा गया है, मैं समझता हूं कि बिलकुल अनावश्यक है और मंदिर शब्द की जो व्याख्या इस विधेयक में की गयी है उसके होते हुये इसकी कोई आवश्यकता न थी। एक बात मुझे और कहनी है कि इस विधेयक पर विचार करने के समय और संशोधन रखने के समय एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिये कि विधेयक किस उद्देश्य और किस भावना से आया है। इस विधेयक पर संशोधन जिस प्रकार से रखा गया है और उसके सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उसमें ऐसा लगता है कि ऐसे शब्द के साथ कोई दो वर्ग हैं और वे अनुचित लाभ एक दूसरे पर उठाना चाहते हैं। इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि वे समाज के अंग हैं, वे हमारे भाई हैं और हमने उनके साथ भ्रमवश से, अज्ञान से किसी तरह से ऐसा व्यवहार किया है जो नहीं होना चाहिये तो हम उसको भविष्य में सुधारना चाहते हैं।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमको नहीं भूलना चाहिये कि वे एक ही शरीर के अवयव हैं, और उन दोनों को एक दूसरे पर आश्रित रहना है। हम उनको समझा कर प्रेम के साथ आत्मीयता के साथ कह सकते हैं कि एक अन्याय अगर कोई हमने किया है तो उसको हटा कर अब हम न्याय करना चाहते हैं। आज यह भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि अगर यह संशोधन न माना जाय तो यदि किसी ने घर में तो मंदिर बनाया होगा उसमें भी हरिजन लोग घुस जायेंगे। यह ऐसी कल्पना है कि यदि कानून में कोई कभी हो कि हम सार्वजनिक स्थान में भी हरिजनों को नहीं आने देना चाहते, तो हरिजनों को अधिकार है कि वे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिये किसी भी समय किसी के घर में घुस सकते हैं। यह कल्पना तभी हो सकती है जब इस बात को हम न समझने पर मजबूर हों। यह ऐसी बात है जो अज्ञान के कारण ही हो सकती है। यदि हम आपस में समझा बुझा कर उदारता के साथ एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहें बल्कि अन्याय को हटा कर इस पृष्ठभूमि में काम करना चाहें तो यह काम आसानी से हो सकता है। यदि दलित वर्ग समझे कि हमको किसी न किसी प्रकार से अपने अधिकार को प्राप्त करना है, ज़बरदस्ती अपने अधिकार को मनवाना है तो हो सकता है कि इसके लिये वे ऐसा करें और दूसरी तरफ सवर्ण यह समझें कि हमारे अधिकार को जबरदस्ती दूसरे को दिलाना चाहते हैं और हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है तब इस प्रकार की भावना जो माननीय सदस्य की है वह हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके अर्थ का बहुत ही अनर्थ हो सकता है।

हमें हरिजन भाइयों को समझाना है कि उनके साथ अज्ञान के कारण पुराने दिनों में जो अन्याय हुआ है उसको वे भूल जायं, उनमें आत्म-विश्वास पैदा करना है कि चूंकि अज्ञान के कारण ऐसा अन्याय हुआ है, उसको वे भूल जायं, मैं समझता हूं कि तभी समाज सबल बन सकता है। जब इसमें मंदिर की व्याख्या लिख दी गयी है तो फिर उस बारे में सन्देह प्रकट करने की क्या आवश्यकता है ? इसमें जो "मंदिर" की व्याख्या दी गयी वह यह है कि "मंदिर से तात्पर्य है कोई स्थान, उसका नाम चाहे जो भी हो, जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में, समर्पित हो, अथवा उसके लाभार्थ हो" इससे साफ मालूम होता है कि अगर अपने घर के अन्दर किसी कोठरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा बख्श सिंह]

में कोई मंदिर बनाता है और वहां उपासना करता है तो हरिजन समाज इस बात के लिये अंदोलन नहीं करेगा कि हम घर में घुस कर उपासना करेंगे । बल्कि ऐसा स्थान जो हिन्दू सम्प्रदाय के लिये सर्मापित हो, जो सार्वजनिक हो उसमें हिन्दू समाज के सभी लोग जा सकेंगे। अस्पृश्य लोगों को उससे अलग नहीं रखा जा सकेगा । इसी आशय से यह विधेयक आया है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि यह डिक्लेयरेटरी कानून है, यह अस्पृश्यता का निवारण करने के लिये कानून है, जिसका मंशा यह है कि जो लोग अछूत हैं अछूत होने के कारण उनको किसी अधिकार से वंचित न किया जाय इसीलिये कहा गया है कि मंदिर वह होगा कि जो उपासना के लिये हिन्दू समाज को सर्मापित हो चुका हो और उसमें अछूत होने के कारण किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन यदि कोई ऐसा मंदिर हो कि जो सर्मापित न किया गया हो तो उससे तो यह नतीजा निकलता है कि वहां केवल अछूतों को ही रोक का सवाल नहीं है, वरन् वहां तो सवर्णों को भी इसका अधिकार नहीं है कि वह प्राइवेट मंदिर में जायं । अगर कोई मंदिर प्राइवेट लोगों के लिये है और केवल कुटुम्ब के लिये ही बनाया गया है वहां अछूत या सवर्ण का सवाल ही नहीं है वहां तो कोई भी नहीं जा सकता। इसलिये इसमें कोई भेदभाव का सवाल नहीं है कि केवल अछूत होने के कारण ही कोई किसी मंदिर में नहीं जा सकता और सवर्ण जा सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है । अगर किसी ने प्राइवेट रूप से मंदिर बनाया है और वह उसको सार्वजनिक रूप से नहीं खोलना चाहता और उसको उसने जनता के लिये सर्मापित नहीं किया है तो उसमें हरिजन, अछूत या सवर्ण किसी के भी जाने का सवाल नहीं है । मंदिर तो वह है जो स्थान पूजा का है और जो समाज को इस कार्य के लिये सर्मापित कर दिया गया है । अगर इन शब्दों को मंदिर की परिभाषा में पढ़ा जाय तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

एक बात और है और वह यह है कि इससे एक गलतफहमी भी पैदा हो सकती है । यह भी हो सकता है कि सारे हिन्दू समाज के लिये कोई मंदिर बनवाया जाय और उसको कह दिया जाय कि यह प्राइवेट है । जो लोग इस भावना से बनाते हैं तो वहां पूजा करने के लिये अगर सवर्ण जायेंगे तो अछूत भी जायेंगे, अगर वह कह देते हैं कि हिन्दू समाज आ सकता है तो उसमें हरिजन भी जा सकते हैं । अगर हिन्दू समाज की व्यवस्था है तो हरिजन उससे अलग नहीं हैं, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि किसी सवर्ण को । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है और इस व्याख्या को जो मंदिर की परिभाषा में दी हुयी है ध्यान में रखते हुये इसकी जरूरत नहीं है ।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, यह तरमीम जो एक शुबहे के मातहत पेश की गयी है उस पर जो तकरीरें हुयी उनको मैंने भी बहुत गौर के साथ सुना । मैं समझता हूं कि मजहबी एतबार से दोनों किस्म के हक हर मजहब वाले को हैं । अगर ऐसा इबादतखाना बने जो अवाम के लिये वक्फ हो या इस नियत से बनाया जाय या बनाने के बाद एलान कर दिया जाय कि उसके अन्दर उस मजहबी तरीके के इबादत करने वाले या मानने वाले आ सकते हैं तो उसके अन्दर हरिजनों के लिये कोई रोक न हो इसी मंशा से यह बिल आया है लेकिन मेरे पहले मुअज्जिज मेम्बर ने यह तकरीर फरमाई और शुबहे की तरफ इशारा किया । फर्ज कीजिये कि एक मंदिर कहीं बना और बनाने वाले की मंदिर के बनाते वक्त यह नियत रही कि हमारे परिवार वाले, हमारे मुरीदीन हमारे इबादत परस्त वहां इबादत करेंगे, लेकिन मैं अर्ज करूं कि अगर किसी का परिवार बड़ा हो और हल्क-ए इबादत बड़ा हो और १०० या ५० आदमी ऐसे हों जो वहां जाने लगें तो ऐसी सूरत में हरिजनों को भी थोड़ा ख्याल हो सकता है और फिर इसके अलावा ऐसा एलीमेंट भी मौजूद है कि चाहे कानून हो या न हो लेकिन कोशिश करेगा कि अगर ५० आदमी भी जाते हैं तो वह कहेंगे कि हम भी जायेंगे और इस कानून की रू से वह रोके नहीं जा सकते ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये जहां पर इस बिल में लफ्ज़ मंदिर आया है वहां पर अगर उस की तारीफ साफ कर दी जाय तो मेरे मुअज्जि भाई की तरमीम की मंशा पूरी हो जाय कि मंदिर से इस बिल में उस मंदिर से मुराद है जो आम हिन्दुओं की इबादत के लिये वक्फ हो और उस के अन्दर हरिजन और गैर हरिजन सभी आ सकते हैं। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण आ सकते हैं, लेकिन अगर यह तारीफ नहीं करते और इबादतखाना जिसको मंदिर से मुराद देते हैं तो यह शक ज़रूर पैदा होता है। गाजीपुर के जिले में मैंने देखा १०, १५ वर्ष पहले एक मस्जिद का ऐसा किस्सा पड़ा था। वह एक घर के अन्दर जनाने घर के हाते के अन्दर है। वह बिलकुल मस्जिद की तरह बना हुआ है। मैंने उसके लिये थोड़ी सी जंग भी की थी कि जब मस्जिद बन चुकी है तो जो चाहे नमाज पढ़े, आप पर्दा कराइये, आप रोक नहीं सकते यह मस्जिद बनी थी घर में। मैंने बड़े बड़े मौलवियों और आलिमों से पूछा क्या कोई इस नीयत से मस्जिद बनवा सकता है कि सिर्फ उसी के घर वाले नमाज पढ़ें तो उन्होंने जवाब दिया कि हां, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे इसमें शक पैदा हुआ। इस बिल की मंशा बहुत अच्छी है और इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जानी चाहिये कि अगर कोई इस किस्म का शक पैदा हो सकता है जिससे गड़बड़ी हो तो दूर कर दी जाय। अगर मंदिर की तारीफ में यह एग्जेम्पशन नहीं रक्खा जाता और इसको साफ नहीं करते तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वह तरमीम जो मेरे मोहतरिम भाई ने पेश की है वह कबूल फरमाई जाय। हरिजनों को ही नहीं बल्कि गैर हरिजनों को भी वह रोक सकें। जब खानदान वालों के लिये ही उन्होंने उसको बनाया है तो उस इबादतखाने में जिसको वह मंदिर कह रहे हैं किसी के जाने की इजाजत न हो। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस पहलू को भी वह जरा देख लें जिसमें थोड़ी सी खामी पैदा हो सकती है---अपने कानूनदानों से मश्विरा कर लें और अगर मुनासिब समझें तो इस तरमीम को मंजूर कर लें। जो तरमीम पेश की गयी है उसके वे अल्फाज चाहे वे मंजूर न करें लेकिन मफहूम वह आ जाय। उसमें मंदिर की तारीफ थोड़ी सी बदल दी जाय।

श्री अध्यक्ष---तारीफ पढ़ लेते तो मालूम हो जाता। शतिया बहस न करके अगर पढ़ कर के जो चीज इसमें मौजूद है उस पर आप यदि बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शिवनाथ काटजू---मौलाना साहब तरमीम की ताईद कर रहे हैं या मुखालिफत कर रहे हैं यह जाहिर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---ऐसा ही मुझे भी लग रहा था।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस शक को दूर करने के लिए इस तरमीम का मंजूर कर लेना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---इस विधेयक में क्या तारीफ दी है, उसको फर्ज करके फिर उसके ऊपर बहस न करें। पहले इसे पढ़ लें, कि कौन सी चीज इसमें मौजूद है तब बहस करें और सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---मैंने जहां तक समझने की कोशिश की है उसके मुताबिक यह मंशा निकलता है कि यह एक्जेम्पशन अगर बिल में पैदा हो जाता है तो इस तरमीम की जरूरत नहीं है और अगर नहीं होता तो पुरइसरार अर्ज करूंगा कि इस तरमीम के मंजूर कर लेने से यह शुबहा साफ हो जाता है। मैं इस तरमीम के मफहूम की ताईद करता हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---मैं अपने परम मित्र श्री जगदीशप्रसाद जी द्वारा जो वास्तव में बड़े कठोर नास्तिक हैं इस संशोधन का विरोध तो नहीं करता हूं .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कुछ आपने ऐसे अल्फाज कहे जो उनकी शान के खिलाफ हैं। उनको सुनने में तो कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा—उन्हें कोई एरताज नहीं है। जो उन्होंने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध तो नहीं करता हूं किन्तु मैं इसे जैसा भी यह विधेयक हमारे सामने है उसके होते हुए बिलकुल रिडन्डेन्ट ख्याल करता हूं। उसका कारण यह है कि विधेयक में जहां पर मन्दिर की परिभाषा दी गयी है, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि :—

"मन्दिर का तात्पर्य है कोई स्थान, उसका नाम चाहे जो भी हो, जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में, समर्पित हो .....।"

तो मतलब यह हुआ कि उसका नाम चाहे जो भी हो जो हिन्दू समाज, हिन्दू समाज एक ऐसा व्यापक शब्द आ जाता है जो अर्थ को साफ कर देता है। इसमें केवल जो प्राइवेट मन्दिर हो सकते हैं वहां अगर किसी परिवार की बात आती तब तो इसमें से यह अर्थ निकल सकता था कि वास्तव में यह बिल और इसमें जो मन्दिर शब्द है, वह किसी परिवार के लिए हो सकता है। लेकिन जहां पर मन्दिर शब्द आया हुआ है, "जो हिन्दू समाज अथवा उसके किसी भी सम्प्रदाय के निमित्त" तो इससे स्पष्ट है कि वही मन्दिर की परिभाषा स्वीकृत है जो कानून की दृष्टि से जो मन्दिर समाज के लिए समर्पित है, किसी व्यक्ति तथा परिवार के लिए नहीं। जितने भी मन्दिर लोगों ने अपनी पूजा के लिए बनाये हैं वस्तुतः वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए बनाये गये हैं और उसके ऊपर बाहर के लोगों का किसी प्रकार का अधिकार न तो कानून स्वीकार ही करता है और न समाज की स्वीकार कर सकता है। किन्तु यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस मन्दिर शब्द के पहले यदि "सार्वजनिक" शब्द और लगा देते, और इस संशोधन को स्वीकार कर लें, कि सार्वजनिक मन्दिर से तात्पर्य यह है, तो उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है। लेकिन इस परिभाषा के होते हुए मैं ख्याल करता हूं कि इस स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी बिल के अन्दर जहां जहां गलतफहमियां हो जाती हैं वहां पर बिल के अन्दर स्पष्टीकरण देना आवश्यक पड़ जाता है, और आप देखेंगे बहुत सी टिप्पणियों में खास तौर से दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक इस प्रकार का स्पष्टीकरण हो चाहे बिल में हो या अलग से हो, लेकिन यह बात इस बात को स्पष्ट कर देती है, मन्दिर की जो परिभाषा है, वह सार्वजनिक मन्दिर के लिए है, व्यक्तिगत मन्दिर के लिए नहीं है, क्योंकि मन्दिर की जो परिभाषा है, वह तो स्पष्टरूप से समाज के लिए है, कहीं पर किसी व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं जम सकता। लेकिन फिर भी अदालतों में झगड़े पैदा हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से छोटी-छोटी अदालतों में इस प्रकार की कानून पेचीदगियां हो जाती हैं कि छोटे से मामले में बहुत कुछ रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए स्पष्टीकरण जहां रिडन्डेन्ट है वहां पर इस भ्रान्ति को साफ करने के लिए बड़ा आवश्यक भी है। हालांकि मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूं लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई बाधा न हो यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता मन्दिर की परिभाषा होते हुए नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मान्यवर, मैं भी इस मत का हूं, कि इस स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। इससे बजाय इसके कोई स्पष्टीकरण होता मैं समझता हूं और कन्फ्यूजन बढ़ गया है, और ज्यों-ज्यों भाषण ज्यादा होते जाते हैं, उनसे कन्फ्यूजन बढ़ता ही जाता है। यह सही है कि जिस भावना को लेकर माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण रखा और मैं समझता हूं प्रस्तावक महोदय की मंशा भी यह थी कि वह केवल इतना चाहते हैं कि जो स्थान या जो मन्दिर किसी व्यक्ति ने किसी समय केवल अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए बनाया हो, अपने या अपने कुटुम्ब के वास्ते उस पर यह विधेयक लागू न हो। जैसा बहुत से भाइयों ने कहा कि विधेयक में मन्दिर की परिभाषा स्पष्ट है और उसके माने केवल यही है कि जहां जनता को जाने का अधिकार है, यह ठीक है। मैं शायद इस पर ज्यादा समय नहीं लेता। बेचनराम जी ने यह कहा कि बनारस में ऐसे मन्दिर हैं जो हैं तो प्राइवेट मन्दिर, लेकिन इनमें जन्माष्टमी और शिवरात्री में जनता को उसके अन्दर जाने का अधिकार होता है। तो उनकी मंशा शायद यह थी कि यह भी मन्दिर इस विधेयक के अन्दर नहीं आता है। मान्यवर, मैं

उनसे थोड़ा सा अपना मत भिन्न रखता हूं। इसमें मन्दिर की परिभाषा में एक शब्द यह भी है कि "यूज्ड ऐज आफ राइट"। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने अपने यहां एक मन्दिर बनाया, वह उसमें पूजा करे, उसके अपने घर के लोग पूजा करें लेकिन यदि वहां बीस, तीस या पचास साल से उन लोगों ने या उनके खानदानियों ने जनता को कुछ अधिकार दे दिया है तो बहुत से अधिकार हमको बाई कस्टम भी मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो यह भी एक जुडिशल प्वाइन्ट हमारे सामने आ जायगा कि जिसमें कि यदि कुछ व्यक्तियों को या जनता को जन्माष्टमी या शिवरात्रि इन दो दिनों को ही हम मान लें, श्रीमन्, जाने का अधिकार है, तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि जनता के अन्दर दलित वर्ग या हरिजन भाई जो हैं, उनको भी अधिकार होगा या नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि यदि किसी मन्दिर में कुछ सालों से यह अधिकार है, आम जनता को आने-जाने का, उसमें चाहे दलित वर्ग अब तक एक्सक्लूडेड रहा हो, अब तक वह न आते हों, पर मैं समझता हूं कि इस विधेयक के बाद चाहे वह दो ही मौके क्यों न हों, जिनमें आम जनता जा सकती है, उन दो मौकों पर हरिजन भाई और दलित वर्ग के लोग भी वहां जा सकते हैं और उनको जाना चाहिए। इसलिये यदि किसी साहब ने अपना कोई मन्दिर बनाया तो यों तो हर हिन्दू के मकान में एक मन्दिर होता है, किसी ने कोई छोटा सा कमरा मन्दिर बना दिया और उसमें उसके घर के लोग पूजा करते हैं, किसी का छोटा मकान होता है तो उसने एक खिड़की ही बना दी और उसी को मन्दिर बना दिया। तो उसके अन्दर तो प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं होगा, और न यह इस विधेयक की मंशा है। तो जैसा कि यह स्पष्टीकरण उसमें रखा है, इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसा अभी कुछ लोगों ने संकेत किया कि जो हमारे कट्टरपंथी भाई हैं, कि जिनके कि हृदय परिवर्तन की बात कही जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और रहेंगे भी शायद कुछ समय तक हो जो इस स्पष्टीकरण का दुरुपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह तय करना कि कौन मन्दिर किस हद तक पब्लिक का है और किस हद तक प्राइवेट है, यह मुश्किल हो जायगा।

एक उदाहरण दिया गया कि माननीय कमलापति जी के घर में भी एक मन्दिर है। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं मान्यवर कि क्या उसके डीटेल्स हैं, त्रिपाठी जी के मन्दिर में आम जनता को जाने का अधिकार है या नहीं है, वैसे त्रिपाठी जी के मन्दिर में तो सभी को जाने का अधिकार होना चाहिए, वह तो जनता का मन्दिर होना चाहिए, लेकिन खैर, यह तो मैंने एक बात कही। यदि इस तरह के मन्दिर और किसी के घर में हों, और उसने चाहे दस बीस आदमियों को ही आज्ञा दे रखी हो, आपसी दोस्ती के नाते या बस्ती के नाते कि आप भी आयें और पूजा करें, उसमें एक बड़ी दिक्कत यह पड़ जायगी कि वह मन्दिर प्राइवेट रहेगा या पब्लिक का रहेगा। मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण को इसमें न रखा जाय। यह प्वाइन्ट भी जस्टिसियेबिल प्वाइन्ट है कि प्राइवेट मन्दिर कौन हैं। कुछ लोग आपत्ति कर सकेंगे कि इसमें कौन से मन्दिर आ पायेंगे और कौन से नहीं आ पायेंगे। लेकिन खैर, यह तो आगे की बात है।

कुछ भाइयों ने यह भी संकेत किया कि कुछ ऐसी नीति भी होती है कि किसी आदमी को मारना हो तो न चाकू का इस्तेमाल हो और न छुरी का इस्तेमाल हो और वह आदमी मर जाय। मान्यवर, जिन महानुभाव ने इस प्रस्ताव को रखा है मैं समझता हूं कि इस तरह का आरोप उन पर लगाना अन्याय होगा उनके साथ। मैं उनको जानता हूं, वह हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत समय से काम कर रहे हैं। उनके विचारों को भी हम जानते हैं। उनका तो मतलब केवल यह था कि जो बिलकुल एक्सक्लूसिव प्राइवेट मन्दिर हैं, कहीं ऐसा न हो कि वह इसमें आ जायं। यदि उनका कोई मन्दिर होता, तब वह सब का होता, पर यह तो शायद जहां तक मैं जानता हूं मन्दिर में विश्वास भी नहीं करते, लेकिन बहर हाल मैं वह कह नहीं रहा हूं, इसकी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। लेकिन उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था। उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं भी उन सब भाइयों के साथ सहमत हूं और उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस स्पष्टीकरण को वापिस ले लें। जैसी परिभाषा "मन्दिर" की इस विधेयक के अन्दर है, वह बिलकुल पर्याप्त है।

श्री रामेश्वरलाल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीश प्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर बहुत लम्बा विवाद हो गया । इस संशोधन को रखने में, जैसाकि कई भाइयों ने बतलाया ऐसी कोई भावना या ऐसा कोई विचार भी नहीं था कि जो अधिकार हरिजन भाइयों को दिये जा रहे हैं उनमें कोई कमी हो । इसका कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जहां तक भाषा का ताल्लुक है, मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा प्रायः सदन में आती रहती है और भाई अवधेश प्रताप जी ने माननीय राजनारायण जी को कुछ उत्तर भी दे दिया था, लेकिन ऐसी भाषा तो रोज सदन में मा० राजनारायण जी द्वारा सुनने में आती है और मैं समझता हूं कि जब मैं किसी व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी या रिऐक्शनरी कहता हूं तो तब कहता हूं जब मेरे पास कोई दलील नहीं रहती और निरस्त्र हो जाता हूं और ऐसा कह कर अपने को हल्का कर लेता हूं ।

जहां तक कि इस बिल का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक वास्तविकता और व्यावहारिक बात सदन के सामने इस संशोधन के द्वारा रखी थी । मेरे बुजुर्गों द्वारा बनाये हुये तीन मंदिर हैं और सबके लिये खुले हुये हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं है, परन्तु मैंने ऐसे मंदिर देखें हैं और ऐसे मंदिर सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं जैसा कि बतलाया गया, जो लोगों ने अपने निवास-स्थान में बनवा रखे हैं और अपने घर के एक कमरे में बनवा रखे हैं, उस पर मंदिर लिख छोड़ा है और वहां उनके घर के आदमी ही पूजा करते हैं, बाहर के आदमियों को वह इजाजत नहीं देते हैं । मेरे कहने का अर्थ यह था कि अगर स्पष्टीकरण हो जायगा तो ऐसे मंदिरों के लिये सुरक्षा हो जायगी । इसके लिये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, कुछ सुझाव भी दिये कि इसके आगे सार्वजनिक और "पब्लिक टैम्पिल" लिख दिया जाय, मेरा भाव भी ऐसा था और अगर ऐसा कोई संशोधन माननीय मुख्य मंत्री जो पसन्द करें कि "सार्वजनिक मंदिर" या "पब्लिक टैम्पिल" जोड़ दिया जाय और वह उनको स्वीकृत हो तो ऐसे भाषा के सुधार से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं स्वीकार करूंगा ।

माननीय काटजू साहब ने मेरे संशोधन का अजीब अर्थ लगाया । मैं नहीं समझता कि एक विज्ञ वकील, एक विज्ञ बैरिस्टर कैसे इस प्रकार का अर्थ लगा सकता है । हां, यह सम्भव है कि माननीय काटजू साहब दोनों तरफ उसके अर्थ लगा दें । जैसा कि प्रायः वकील करते हैं, मेरा संशोधन तो बिलकुल स्पष्ट है । जो मंदिर किसी व्यक्ति अथवा कुटुम्ब ने बनवाया हो, अपने व्यक्ति या अपने कुटुम्ब द्वारा उपासना के लिये, इसमें कोई ऐम्बीगुइटी, कोई संशय की बात नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका यही अर्थ किया था जो मैंने रखा था ।

कुछ बातों से मैं सहमत हो सकता हूं भाई शारदाबख्श जी ने कहा । मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं । यह हो सकता है कि मेरा यह संशोधन अनावश्यक हो । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक में मेरी भावना का समावेश हो गया है और उनका सम्मान किया जायगा, यह मैं मान सकता हूं लेकिन मेरा सारा संशोधन प्रतिक्रियावादी है यह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में यह भी शंका नहीं है कि यदि मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा तो प्राइवेट मंदिरों पर, जो व्यक्तिगत मंदिर हैं, उन पर कोई कुठाराघात हो जायगा । केन्द्रीय ऐक्ट में उसका समावेश पूर्णतया है । उसमें "पब्लिक टेम्पिल" दिया गया है, "लोक उपासना स्थान" दिया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसमें जो मंदिर की व्याख्या की गयी है उससे यह स्पष्ट है । मैं उसको मानता हूं वह सत्य है, लेकिन वही व्याख्या और लगभग वही शब्द केन्द्रीय ऐक्ट में भी हैं और उसके पश्चात् भी उन्होंने "लोक उपासना गृह स्थान" शब्द लगाया है, पब्लिक टेम्पिल शब्द रख दिया है । मैं आपके सामने उसे पढ़े देता हूं:

"लोक उपासना स्थान से ऐसा स्थान, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात क्यों न हो, अभिप्रेत है, जोकि लोक धार्मिक उपासना के स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जोकि वहां किसी धार्मिक क्रिया करने के लिये या वहां अर्चना करने के प्रयोजन के लिये किसी धर्म या किसी धार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्तियों को अर्पित किया गया है या उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और ऐसे स्थान के साथ अनुलग्न और संलग्न सब भूमियों और छोटे मंदिर इसके अन्तर्गत हैं।" वह शब्द जो इस विधेयक में हैं उससे कम अधिनियम में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इससे पहले लोक शब्द या पब्लिक टेम्पिल रख दिया जाय। यही मेरी भावना थी।

अंत में मैं यह समझते हुये कि मेरे भाव इसमें सन्निहित हैं और जो मैं सुरक्षा चाहता हूं वह इसमें दी गयी है और इस सदन का कोई बना हुआ अधिनियम उस सदन के बने अधिनियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, वह सुरक्षित है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी भावनाओं का सम्मान किया है और वह उससे सहमत हैं और मुझे विश्वास दिलाया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ में शब्द "धार्मिक सेवा" के बाद शब्द "अथवा कर्म" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन को रखकर मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। इस पर मुझे कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं है इससे जरा स्पष्ट हो जाता है, इसलिये मैंने रखा है।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के स्वीकार करने में जो दिक्कत मेरे सामने है उसे मैं श्री रामेश्वर लाल जी के सामने रख दूं तो मेरा विश्वास है कि वे भी मुझसे सहमत होंगे और वे इसको प्रेस नहीं करेंगे। वे देखेंगे कि इस विधेयक को सदन के सामने लाने में हमने बराबर यह कोशिश की है कि जहां तक हमारे लिये सम्भव हो हम कानूनी दाव पेंच से इसको बचायें। इसलिये हमने ऐसे शब्दों के रखने की कोशिश की है कि जहां तक हो सके हम कानूनी झगड़े से बचे रहें।

धर्म सम्बन्धी कानून इंगलैन्ड में भी बहुत से बने हैं और माननीय सदस्य को मालूम है कि आज भी वह कानून अदालतों में नजीर के रूप में पेश होते हैं। हमारे देश में भी कई बार हो चुके हैं। उनमें दो शब्द ही काम में आते हैं एक तो रिलीजस सर्विस और दूसरा वर्शिप। इसका हमने अनुवाद किया है धार्मिक सेवा और उपासना। बराबर यही शब्द आते रहते हैं। इसके बारे में मुकदमे बाजी हो चुकी है। अगर नये शब्द रखते हैं "कर्म" तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विधान के अनुसार हमें करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्द ही हाईकोर्ट में तथा अदालतों में प्रमाणित होते हैं। इसलिये अंग्रेजी शब्द रखना पड़ेगा ऐक्ट तो फौरन कानूनी दिक्कत हो जायगी कि ऐक्ट से क्या मतलब है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें जो प्रचलित हैं और जिनकी व्याख्या कई बार हो चुकी है नहीं तो झगड़े पैदा हो जायेंगे। कोई धार्मिक स्थान है वहां उपासना या रिलीजस सर्विस के अतिरिक्त और क्या चीज हो सकती है बताना मुश्किल है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको पेश न करें, नहीं तो दिक्कत हो जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) श्रीमन्, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और समर्थन करने में मैं समझता हूं कि मुझे कोई बहुत बड़ा भाष्य करने को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही अंग्रेजी के जिन दो शब्दों का प्रयोग करके माननीय रामेश्वरलाल जी से इसे वापस लेने का अनुरोध किया है उसी को यदि सामने रख कर देखा जाय तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि धार्मिक कर्म के लिये रेलिजस ऐक्टिविटीज़ शब्द का भी प्रयोग होता है। और धार्मिक कर्म यहां पर रखने से बहुत बातों की सफ़ाई हो जाती है। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी केवल 'धार्मिक सेवा" शब्द रख कर ही यह चाहते हैं कि माननीय रामेश्वरलालजी जो कर्म से अर्थ निकालना चाहते हैं उसकी पूर्ति हो जाय। मैं उसको मान सकता हूं। मगर मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करुंगा कि वह बात नहीं होगी। और यदि देखा जाय श्रीमान् तो आगे के जो बहुत से संशोधन आये हैं उन सबको कवर कर लेता है माननीय रामेश्वरलालजी का संशोधन।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि "वर्शिप" का अनुवाद उन्होंने उपासना किया। मगर मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा माननीय मुख्य मंत्रीजी उपासना का अर्थ समझते होंगे कल इसी सदन में एक सम्मानित ने उपासना शब्द की परिभाषा की और उन्होंने यह बताया कि उपासना का अर्थ यह होता है कि सन्निकट बैठना। तो जब आसन सन्निकट हो तब उपासना हो। अब आगे श्रीमन् इस विधेयक में कुछ रह नहीं गया है। इस विधेयक का लब्बों लुवाब एक ही बात में है कि हरिजन मन्दिर में प्रवेश करके, मूर्ति पर अर्चना करके जल चढ़ा पायेगा, आरती कर पायेगा या नहीं या जिन स्थानों में उस हरिजन को मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार भी प्राप्त है वहां भी वह जाकर स्पर्श कर पायेगा या नहीं। धार्मिक सेवा में ये चीजें नहीं आती हैं। उसमें तो यह भी बात मान ली जा सकती है जैसे कि हम लोगों के यहां घर पर या गांव में मन्दिर है एक पुजारी रखा हुआ है उसको तनख्वाह दी जाती है वह रोज आता है। मन्दिर में झाड़ू बुहारी लगाता है, कुये से पानी निकालता है, और मूर्ति पर जल चढ़ाता है और बगीचे से फूल तोड़ कर मूर्ति को उसकी माला चढ़ाता है। धार्मिक सेवा में इतनी ही चीज़ ली जा सकती है। अगर धार्मिक कर्म इसमें आ जायगा तो वहां पर अर्चना करना, जल चढ़ाना ये तमाम बातें आ जाती हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह एक इतना बढ़िया शब्द आ गया है जिसको कि बहुत ही समझ-बूझ कर माननीय रामेश्वरलालजी ने रखा है इसको उन्हें मान लेना चाहिये।

उपासना से तात्पर्य यह आता है जैसा कि माननीय रामेश्वरलालजी रखना चाहते हैं। "ऐसी धार्मिक सेवा अथवा कर्म जिसे किसी मंदिर में अधिकांश उपासक करते हों या करें अथवा उसमें भाग लें।" तो अगर वहां पर रेलिजस ऐक्टिविटीज़ का अनुवाद करके माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं रक्खेंगे तो मैं उनकी नीयत के बारे में तो नहीं कहता हूं लेकिन जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बताया कि उनकी भी यही मन्शा है कि जहां पर आज तक जिस रीति-रिवाज से अन्य दूसरे सवर्ण हिन्दू लोग पूजा करते रहे हैं उसी रीति-रिवाज से हरिजन भी जाकर पूजा-पाठ करें उसकी पूर्ति नहीं होगी, यह बात बिल्कुल साफ है। और श्रीमन् यदि यह भावना नहीं है कि हरिजन यदि मूर्ति स्पर्श कर लेगा तो प्राण प्रतिष्ठा हर ली जायगी तो न तो इस पर कोई लम्बा वाद विवाद होने की आवश्यकता है और न कोई बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता है केवल एक प्रिन्सिपिल (सिद्धांत) को इस समय मानना है कि क्या आज जो हरिजन माना जाता है अछूत अगर वह मूर्ति को स्पर्श करता है तो जो कुछ लोग मानते हैं कि प्राण-प्रतिष्ठा वहां से खत्म हो जायगी। मूर्ति की जिन्दगी नहीं रह जायगी, वह साधारण पत्थर हो जायगी, वह सिद्धांत सरकार मानेगी या सरकार इस सिद्धान्त को न मान कर आज जितने दूसरे सवर्ण हिन्दू हैं, जिनको मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार है वह अधिकार हरिजनों को भी देने को तैयार है। अगर सरकार इस अधिकार को देने के लिये तैयार है तो सफाई के साथ उस को आना चाहिये और उस समय में समझता हूं कि कोई कानूनी अड़चन इस कर्म-शब्द को बढ़ा देने में नहीं होगी। कर्म शब्द को न बढ़ाने से, मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरूर कानूनी अड़चन होगी, जरूर दिक्कत होगी क्योंकि जो

आज भावना अग्रसर हो रही है, जो भावना बढ़ रही है उसको कोई दबा नहीं सकता और यह बिल्कुल निर्विवाद बात है । चाहे आज कोई भी ठेकेदार बन जाय, या कोई कहे कि हमी मंन्दिर प्रवेश करायेंगे तभी मंन्दिर प्रवेश होगा, लेकिन मैं इन तमाम बातों को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एक नान हरिजन भी, जिसने हरिजन परिवार में जन्म नहीं लिया है, अगर अपने कर्तव्य को देखता है, समझता है और सामाजिक परिस्थितियों का विशलेषण करता है तो वह किसी भी हरिजन से ज्यादा अच्छी तरह से उन के हक उनको दिला सकता है । तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे कोई अपने को हरिजन परिवार का माने, चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट का होने से इस असेम्बली का मेम्बर बन जाय, हम किसी से पीछे नहीं है बल्कि आगे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप असंगत हो रहे हैं ।

श्री राजनारायण—ठीक है, मगर मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आज किसी से भी हरिजन आंदोलन को सफल बनाने में मैं पीछे नहीं हूं और इसी से मैं कर्तव्य प्रेरित हो कर जो माननीय रामेश्वर लाल जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये तैयार हुआ हूं। श्रीमान् इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि आगे देखा जाय सेन्ट्रल ऐक्ट को तो उसमें भी उपासना और अर्चना शब्द लिखा हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है उसमें अर्चना शब्द नहीं है । अर्चना शब्द की क्या परिभाषा होती है । यह भी एक व्यापक शब्द है । यह शब्द इसमें से हटा क्यों? क्यों मंन्दिर प्रवेश और उपासना शब्द है ? और क्यों उपासना के अनेक और विभिन्न अर्थ हो रहे हैं । वैसे तो हिन्दुस्तान मे अनेकत्व में एकत्व और एकत्व में अनेकत्व बराबर रहा है, एक ही शब्द के न मालूम कितने अर्थ होते हैं और न मालूम कितने अर्थों को लेकर अनर्थ भी होता है । तो मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और खास कर माननीय कमला पति जी से निवेदन करूंगा ,क्योंकि वह भी उतने ही महान विद्धान् और धार्मिक हैं । एक अपने को सनातनधर्मी कहते हैं तो दूसरे अपने को कट्टर सनातनधर्मी कहते हैं। यह उन्होंने कल ही यहां कहा है.....।

श्री अध्यक्ष—दूसरे समय जो कोई बात हुई है उसके रेफरेंस में आप इस समय जबाब नहीं दे सकते ।

श्री राजनारायण—जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि सनातनधर्मी और कट्टर सनातन-धर्मी दोनों यहां हैं ।

श्री अध्यक्ष—किसी समय की कही बात का जबाब आप यहां नहीं दे सकते ।

श्री राजनारायण—आप अर्चना और कर्म का क्या अर्थ लगायेंगे । उपासना का क्या अर्थ लगायेंगे । दोनों मैं इस चीज के लिये कह रहा था कि सनातनधर्मी भी हैं और कट्टर सनातनधर्मी भी हैं और श्री राम जी सहाय भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कल उपासना का अर्थ किया था । मैं उन को मानने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप जरा कृपा कर बैठ जायं । इस चीज को पहिले आप समझ लें। नियम में यह है कि डिबेट में कल कोई चीज किसी ने कही हो तो उसको रेफर करके उस का उत्तर आप आज नहीं दे सकते । इस समय जो प्रस्तुत विषय है उस पर यदि किसी ने कुछ आज कहा हो तो उस का उत्तर आप दे लें, लेकिन कल की बात आज आप नहीं ला सकते ।

श्री राजनारायण—मैं आज आप से निवेदन कर रहा हूं कि धार्मिक सेवा में उपासना आयेगा या नहीं ? धार्मिक सेवा में अर्चना आयेगा या नहीं ? धार्मिक सेवा में वहां जाकर मूर्ति को छूना आयेगा या नहीं ? जैसा कि हमारे एक मित्र ने यहां बताया, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, शायद नाम लेना अपराध है लेकिन ऐसे मन्दिर हैं कि जहां जाकर मूर्ति को स्पर्श किया जाता है जब तक स्पर्श नहीं किया तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती ।

[श्री राजनारायण]

तो मेरा ऐसा ख्याल है कि धार्मिक सेवा के अन्दर यह बात समावेश नहीं कर पा रही है मैं इसके समझने में असमर्थ हूं। क्योंकि बहुत से अर्थ इस विषय में किये गये हैं । सनातनधर्म का अर्थ कई तरह से लोग मानते है । कोई कहते हैं कि यह धर्म आदि काल से है । कोई कहते हैं कि जितने दुनिया के धर्म हैं वह सब इसमें आजाते हैं और वे सब धर्म सनातन धर्म में निहित हैं। इस तरह से सनातन धर्म का अर्थ किया जा रहा है। यह भी समझना चाहिये कि सनातन की परिभाषा जो यहां पर व्यक्त की जाती है उसमें सब बातें व्यक्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---अब आप संशोधन पर आ जांय ।

श्री राजनारायण---मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आप समय-समय पर मुझे अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करते रहते हैं। और मेरा ध्यान दिलाते रहते हैं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक सेवा की परिभाषा होनी चाहिये और धार्मिक सेवा की परिभाषा धार्मिक कर्म का नाम लेकर होनी चाहिये, इसी संशोधन के विषय में न मालूम कितनी तरह की बातें कही गयीं लेकिन मेरा यह सदन के सदस्यों से निवेदन है कि जिन चीजों को वह इसमें शामिल करना चाहते हैं वह उसको लेकर हमारे सामने आये और बतायें कि किस व्यक्ति को सनातन धर्म की कैसे और किस भाव से धार्मिक सेवा करनी चाहिये । मैं तो कहता हूं कि उसमें अर्चना, वन्दन और स्पर्श करना भी शामिल है। यह बात साफ हो जानी चाहिये ताकि यहां पर कोई विवाद की गुंजायश नहीं रहे, हम भी समझ लेंगे कि क्या हमारा तर्क है और उनका क्या तर्क है उसको भी समझ जायेंगे । मगर हर समय द्विविधा की बात की परिभाषा का प्रयोग करना जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और जिसको लेकर कोर्ट में जाना हो सकता हो जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि इस विधेयक को लेकर कोर्ट जाने की गुंजायश न हो उसका यहां पर प्रयोग करना उचित नहीं है। धार्मिक सेवा एक बड़ा वेग टर्म (अस्पष्ट शब्द) है और उसमें तमाम बातें आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं । अगर इस प्रकार का शब्द रखा जाय जिससे स्पर्श अर्चना और वन्दना का अर्थ निकलता हो तो यह उचित ही जान पड़ता है । ऐसे शब्द को यहां पर रामेश्वर-लाल जी ने रखा है जिससे वह मकसद हासिल होता है। धार्मिक सेवा शब्द को रखने से यह बात हो जायगी कि जो आज सरकार अधिकार उनको देने जा रही है वह व्यावहारिक रूप में नहीं होंगे उनकी करनी और कथना में फर्क हो जायगा । इस विधेयक की जो परिभाषा है वह सही रूप में चरितार्थ नहीं होगी । इसलिये रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं सहर्ष और मजबूती के साथ समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से बार-बार आग्रह करूंगा कि वह इस बात से सहमति प्रकट करें कि वह इस नीति को मानते हैं कि मूर्ति का स्पर्श करने से प्राण प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होगी और इस धार्मिक सेवा शब्द में इन शब्दों का समावेश होना चाहिये और रामेश्वरलाल जी का संशोधन मानना चाहिये ।

श्री शिवनाथ काटजू---श्रीमन् मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । माननीय राजनारायण ने बहुत सारी बातें काशी की स्थानीय स्थिति को देखते हुये कहीं, लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इससे उन बातों का विशेष रूप से सम्बन्ध नही है । श्रीमन् इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह है कि हिन्दू समाज के प्रत्येक अंग में समानता आजाय और किसी को चाहे वह परिगणित जाति का हो कोई ऐसी बात में बाधा नहीं आनी चाहिये जिससे कि दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हों वे उसको न मिले । यह इस संशोधन में कहा गया है कि "अथवा कर्म" बढ़ा दिया जाय। श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजनारायण जी को शायद और मन्दिरों में जाने का अवसर नहीं मिला है ।

श्री राजनारायण—आपसे ज्यादा गया हूं।

श्री शिवनाथ काटजू--नहीं मुझसे ज्यादा आप नहीं गये होंगे। मंन्दिरों की हर मंन्दिर की एक विशेष परिपाटी होती है। कहीं ३ बार, कहीं ५ बार, कहीं १ बार पूजा होती है कहीं स्पर्श कर सकते हैं कहो दूर से दर्शन होते हैं। बहुत सारे मंदिरो में मैंने देखा है अपने सूबे में और दूसरे सूबों में भी कि एक नियत स्थान तक जा सकते हैं। वहीं आरती हो जाती है और चरणामृत लेकर वापस आजाते हैं। मैं अभी चितौड़ गया वहां कालिका के मंन्दिर में १०, १५ कदम के फासले पर हम लोग खड़े थे उसके आगे पुजारी ही जा सकता था हम लोग नहीं जा सकते थे। अगर किसी मंन्दिर में यह परिपाटी है कि मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते तो वही अधिकार सबको होगा और अगर एक वर्ग स्पर्श कर सकता है तो सब कर सकते हैं। लेकिन अगर राजनारायण जी का विचार है कि मंदिरों की परम्परा और परिपाटी के विरुद्ध यहां वह कोई बात खड़ी करें तो वह विधेयक के बाहर जावेंगे। विधेयक का मंशा यही है कि जो एक वर्ग को अधिकार हैं वही दूसरे को भी होने चाहियें। "धार्मिक सेवा" के अन्दर सब बातें आजाती हैं जो मंन्दिर की परिपाटी में आती हैं जल चढ़ाने और आरती की सब बातें आ जाती हैं। कर्म करके कौनसी नई बात पैदा हो जायगी अगर वहां किसी को १० कदम तक जाने का अधिकार है तो कर्म जोड़ने से भी वही अधिकार रहेगा। यह सदन कभी नहीं कहेगा कि धार्मिक मर्यादा के विपरीत कोई बात हो। हमारे संविधान में यह घोषणा की गई है कि जो अधिकार एक वर्ग को प्राप्त हैं वही दूसरे को भी प्राप्त हैं। लेकिन जब तक नई बात को देखा न जाय देवता को टटोला न जाय या स्पर्श न किया जाय तो मंदिर प्रवेश नहीं होता ऐसी बात नहीं है। किसी को यह कहना कि,आप परम्परा के विरुद्ध काम करें यह इस बिल के बाहर की बात है। इसके अन्दर यह तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक हिन्दू मंदिर के अन्दर प्रवेश कर सकेगा और वहां उपासना में उसी प्रकार भाग ले सकेगा जैसे और सब लोग भाग लेते हैं। तो यहां मूर्ति को हिलाने या स्पर्श करने का सवाल कहां से आजाता है? इसलिये मूल खंड में जो बात रखी गई है वह काफी है और संशोधन से जो बढ़ाने की चेष्टा की गई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री रामेश्वर लाल--श्रीमन् मैंने अपने संशोधन पर जो विचार काटजू जी के सुने मैं उनसे सहमत नहीं हूं। शायद माननीय काटजू जी ने हमारे संशोधन को समझा नहीं है या उपासना की व्याख्या जो विधेयक में की गई है उसे नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की परिपाटी में फर्क है।

इसमें तो यह है "उपासना" से तात्पर्य है ऐसी धार्मिक सेवा जिसे किसी मंदिर में अधिकांश उपासक करते हों या करें अथवा उसमें भाग लें यानी अधिकांश उपासक करते हों इसमें किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं आता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पश्चिमी दुनियां की बातें बतलाई। मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है और न मैं उनकी विद्वता को चैलेन्ज ही करता हूं, लेकिन उपासना में मन्दिर प्रवेश, पूजा तथा स्नान करना आता है, कुएं पर चढ़ना, स्नान करना आदि हमारी प्रथा के अनुसार कर्म में सम्मिलित होता है। इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर मैंने यह उचित समझा कि यह प्रार्थना करूं कि इसमें "कर्म" बढ़ा दिया जाय, जिसमें सेवा और कर्म दोनों ही आ जांय। मैं अब भी इस मत का हूं कि मेरा यह संशोधन बहुत ही उपयोगी है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा तो निवेदन करना नहीं चाहता केवल एक बात कहूंगा। अभी माननीय रामेश्वर लाल जी ने कुछ बातों का जिक्र किया कि तालाब में नहाना इत्यादि हमारे यहां क्रिया में आता है। यह ठीक है, लेकिन यह सब उपासना में आ जाता है। जितनी बातों का उन्होंने जिक्र किया वे सब धार्मिक सेवा और उपासना में आ जाती हैं। एक नया शब्द जोड़ देने से ख्वाम्ख्वाह एक संशय पैदा हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मंन्दिर में जाना, तालाब में नहाना, जल चढ़ाना ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इसलिये नया शब्द बढ़ाकर संशय पैदा करने की आवश्यकता मालूम नहीं होती। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन रिडंडेंट है और इसको माननीय रामेश्वर लाल जी वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उप-खंड (घ) की पंक्ति १ में शब्द "धार्मिक सेवा" के बाद शब्द "अथवा कर्म" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३--(१) मंदिर से संलग्न किसी पावन तालाब (tank), कूप स्त्रोत अथवा जलप्रणाली चाहे वह मंन्दिर के प्रांगण (pr:cincts) के भीतर स्थित हो अथवा बाहर, के जल में स्नान करना अथवा उसका प्रयोग करना है।

(२) किसी ऐसे पवित्र स्थान से --जिसके अन्तर्गत कोई पहाड़ी या टीला या सड़क या गली या पथ भी है--होकर गुजरना है जो मंदिर में प्रवेश करने के निमित्त आवश्यक हो।

(३) संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा "अस्पृश्यता" का उन्मूलन हो जाने पर भी, कभी-कभी हिन्दुओं के कुछ उपवर्गों (Sections) के किसी हिन्दू मंदिर में उपासना करने तथा उसमें सम्मिलित होने के सम्बन्ध में शंकायें प्रकट की जाती रही हैं, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है :-

(क) किसी भी विधि, रीति-रिवाज, प्रथा अथवा व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक हिन्दू को, वह चाहे जिस जाति या उपवर्ग का हो, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करें, वहां उपासना और उपासना में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो, जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा उनका कोई उपवर्ग उपासना करता या उसमें सम्मिलित होता हो।

(ख) प्रत्येक रीति-रिवाज, प्रथा तथा व्यवहार, जो "अस्पृश्यता" के आधार पर, दलित वर्ग के किसी व्यक्ति के, किसी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करने, उसके वहां उपासना करने या उसमें सम्मिलित होने के अधिकार पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई निर्योग्यता (disablity) आरोपित करता हों, या अन्य किसी प्रकार से उसमें रुकावट पहुंचाता हो, सदैव ही शून्य और व्यर्थ रहेगा और समझा जायगा।

श्री नारायणदास--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति ४ में शब्द "उपासना" के आगे शब्द "तथा भोग लगावें आरती" बढ़ा दिया जाय। तथा पंक्ति ५ में शब्द "उपासना" के आगे शब्द "भोग लगाना आरती" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--आप ये शब्द बढ़ा रहे हैं "भोग लगाना आरती"?

श्री नारायणदास--मेरे संशोधन के पश्चात् खंड इस प्रकार हो जायगा-

"किसी भी विधि रीति-रिवाज, प्रथा अथवा व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक हिन्दू को वह चाहे जिस जाति या उपवर्ग का हो यह अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करे वहां उपासना तथा भोग लगावे आरती करे और उपासना, भोग लगाना आरती में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा उनका कोई उपवर्ग उपासना करता या उसमें सम्मिलित होता हो"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस संशोधन को लाने से मेरा खास कारण यह है कि...

श्री अध्यक्ष--आप "भोग लगावें" कहते हैं।

श्री नारायणदास---पहले "भोग लगावें" और बाद में "भोग लगाना" है।

अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा विवाद में इसलिये नहीं पड़ना चाहता हूं कि मेरे अयोध्या में किसी किस्म की रोकटोक भगवान के मन्दिरों में प्रवेश करने की नहीं है लेकिन हमारे यहां हर जाति के मन्दिर अयोध्या में हैं। उसमें हरिजनों के भी हैं पिछड़े वर्ग के भी हैं सभी के मन्दिर वहां मौजूद हैं लेकिन वहां एक कठिनाई यह है कि वहां पर मन्दिरों में चाहे वे चमार के हों, चाहे पासी के हों, चाहे अहीर के हों, चाहे तेली या तमोली के हों पुजारी ब्राम्हण ही रहते हैं। वे ही आरती पूजा तथा भोग लगाने का काम करते हैं भगवान के लिये। साथ ही साथ जो वहां पर पूजा चढ़ता है उसको भी वे ले लेते हैं। इस तरीके से आज मन्दिरों की बहुत ही क्षति होती है और साथ ही साथ बड़ी भारी अव्यवस्था भी वहां होती है। उसी को दूर करने के लिये मैं यह संशोधन लाया हूं।

दूसरे श्रीमान् जी आप देखें कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो इतने विशाल हृदय के एक महान व्यक्ति हैं वे अपने यहां काशी में हरिजनों को विश्वनाथ जी के मन्दिर में प्रवेश कराने के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं वह स्तुत्य है। लेकिन श्रीमान् जी यह बात सोचने की है कि चाहे वे हरिजन हों, चाहे सवर्ण हों हमने इस संशोधन में रखा है कि जो भी प्रतिबन्ध हो आरती, पूजा, भोग लगाने का वह रोक केवल मंन्दिर के खास नियमों को छोड़ कर किसी जाति विशेष के लिये नहीं होना चाहिये। इसके अलावा यह कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि हरिजन होने के नाते, शूद्र होने के नाते, भगवान शंकर को जल, वेलपत्र, धतूरा आदि न चढ़ा सके या भगवान राम, जानकी, हनुमान जी की मूर्ति या जितने भी मन्दिरों में हमारे देवी-देवता हैं, उनकी मूर्तियों को स्पर्श न कर सके चरणामृत न ले सके। तो वहां फिर उपासना का क्या हेतु रहता है। क्या गजब की बात हुई यह हमारी समझ में नहीं आता। न मालूम कैसे बनारस में यह विवाद पैदा हो गया है इसमें भी कोई राज हो सकता है। इसमें राजनीतिक बातें आज से नहीं बल्कि तीस वर्ष पहले से चल रही हैं। कुछ लोगों ने प्रयत्न किया यह दिखलाने का कि छुआछूत हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है और उसके कारण समाज गर्क में जा रहा है।

श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है मैंने विश्वनाथ जी पर जल भी चढाया है उनका दर्शन भी किया है, अन्य ज्योर्तिलिंग का भी दर्शन पूजा किया है और मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी ने किसी को वहां जाने से रोका हो। श्रीमन् जैसा कि मैंने बतलाया है कि हमारे यहां देवियां खासकर के काली और दुर्गा ये आदि शक्ति के रुप में मानी जाती हैं विन्धवासिनी भी आदि

[श्री नारायणदास]

शक्ति के रूप में मानी जाती हैं । ये वे देवियां हैं, वे शक्तियां हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है और वे ही आदि शक्तियां हैं । दूसरी जो देवियां हैं जैसे राम जानकी, लक्ष्मीनारायण, राधे-कृष्ण आदि इनके भी मन्दिर है लेकिन इनकी मान-मर्यादा और आरती-पूजा तथा उन आदि शक्तियों की मान-मर्यादा और आरती पूजा में बहुत फर्क है । ऐसी हालत में श्रीमन्, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि यह जो विधेयक हमारे सामने है वह काशी विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनों को प्रवेश कराने के लिये और उसमें उपासना कराने के लिये है । उसमें जो भी चाहे वह हरिजन हो या ब्राह्मण हो कोई भी हो उपासना कर सकता है । मैं तो यहां तक कह सकता हूं जैसा कि मेरे एक मुस्लिम भाई ने कहा कि मुसलमानों को भी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये मैं तो कहता हूं कि मुसलमान मजहब या इसाई मजहब जो हैं वे दो हजार वर्ष से कम के ही हैं लेकिन श्रीमन्, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है वह तो प्राचीन अनादि से है । उसका अनादि धर्म है । जब श्री रामचन्द्र, श्री कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तब भी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग था जिसे नाग जाति के आदिम लोग पूजते थे उनकी समानता का धर्म सारे विश्व में फैला हुआ है । और यहां तक कि काबे को ही ले लिया जाय हालां, कि मुहम्मद साहब काबे में ही पैदा हुए । . . . .

श्री अध्यक्ष--आप ज्यादा धार्मिक विवेचना न करें उसमें किसी को आपत्ति हो सकती है ।

श्री नारायणदास--इसमें तो आपत्ति की कोई बात नहीं है मैं तो यह कह रहा हूं कि काबा पहले से ही पूज्य था ।

श्री अध्यक्ष--मैं आप को यहां इस प्रसंग में दूसरे के धर्म के बारे में कहने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदास--तो मैं यह कह रहा था कि काशी विश्वनाथ जो हैं वह सारे विश्व में चाहें वह अंग्रेज हों, चाहे जर्मन हों, चाहे कोई ईसाई है, हिन्दू है, या मुसलमान है सारे योरोप में सारी एशिया में विश्वनाथ जी का जो धर्म है उस को माना जाता है और उसका सब जगह एक ही रूप है और वह धर्म प्रेम व समानता व भाईचारे के उसूल का धर्म है। यह काशी विश्वनाथ जी की उपासना की मुख्य चीज है, जो अनादिकाल से चली आती है और जिस पर बड़े-बड़े विद्वान् विवेचना कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ आर्य देवता हैं या अनार्य देवता और जो यहां की पुरानी जातियां हैं उनके वह देवता हैं, जैसे गोंड, भील, कोल शुद्र,नाग,पक्षी वानर, भर, हूंण ,चमार, पासी, आदि . . . . .

श्री अध्यक्ष--यह आप क्या कह रहे हैं यह सब संशोधन में नहीं आता ।

श्री नारायणदास --मैं श्रीमान जी, यह कहा रहा हूं कि जो अछूत लोग हैं जिन के मन्दिर के प्रवेश के लिए यह बिल लाया जा रहा है उनकी क्या स्थिति इस समय में है और क्या उनकी यह स्थिति अनादि काल से है । ऐसी बात नहीं है उनको पहले से तो पूरा हक था कि वह भी देवी देवताओं की पूंजा किसी भी हिन्दू की भांति करें यह उनका हक था जिनके ऊपर सिन्दूर चढ़ता था, नागचूर्ण से लेप होता था, उन काली, भैरव, चन्डा चामुन्डी, महाकाल आदि तो आदि वासियों के देवी-देवता हैं । उनका स्वाभाविक स्वयं सिद्ध अधिकार था कि वह भी अपने आदि देवी-देवताओं की उसी रूप से पूजा अर्चना करें जैसे ब्राह्मण आदि दूसरे लोग करते हैं । मैं आप से बहुत आदर के साथ निवेदन करूंगा कि आप वेद को ही लें, वेद में साफ लिखा है कि अछूतों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है और क्षुद्रों के लिए . . .

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप तो फिर वही संशोधन से दूर जाकर वेद और धर्म की विवेचना कर रहे हैं।

श्री नारायणदास---में जो शास्त्रीय अधिकार है अछूतों का जिस के लिए बिल लाया गया है उसी का जिक्र कर रहा था वह आपके संविधान के आधार पर है। हमारा संविधान जो बना है वह यह बतलाता है कि धर्म या धर्म स्थान जो हैं वह सब के हैं, धर्म के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, सबको समान अधिकार है, सब को वहां पूजा का अधिकार है धर्म सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समानता सबको प्रदान करता है और हमारे वेद और यजुर्वेद में उनके अधिकारों के विषय में स्पष्ट है, कि "यथेमा वाचं कल्याणी भावदानिजनेभ्यः ब्रह्म, राजन्याभ्यां शूद्रायच र्याय च स्वायु चार्णाय। उसका अर्थ है कि वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, अन्तयज, चांडाल, सेवक सबको है। ऐसी दशा में जो हमारे सब से बड़ी धर्म पुस्तक है जिसको हम सब मानते हैं और जिस से बढ़कर कोई नहीं है उस वेद में अछूतों को अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार का ही प्रयोग करके मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जहां आप ने इतना महान परिश्रम करके और जिसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं उन्होंने हम गरीबों पर इस तरह का बिल लाकर कृपा की है कि हम भी अब सब जगह जाकर दर्शन कर सकते हैं वहां पर जाकर अगर सनातनधर्मी हैं और अगर मूर्तियों में विश्वास है और देवताओं में विश्वास है तो हमें पूरा अधिकार होना चाहिये कि हम दर्शन करें और भोग, आरती और सेवा करें। वह कृपा करके समाज और जाति बंधन की मुक्ति के लिए कार्यवाही करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) आप अपना संशोधन भी पेश कर दें ताकि दोनों पर एक साथ ही बहस हो जाय।

श्री राजनारायण---मैं तो समर्थन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---आप का संशोधन भी मिलता-जुलता है नारायण दास जी के संशोधन से। दोनों ही खंड ३ के उपखंड (क) में हैं इसलिये दोनों एक साथ आ जायं, दोनों पर बहस हो जाय ताकि थोड़ा सा समय बच सके।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूं कि मेरे दोनों अधिकार आप सुरक्षित रखें। अभी तो उनके संशोधन पर बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष---फिर आखिर तक नहीं जा पायेंगे।

श्री राजनारायण---समय बढ़ा दीजियेगा, श्रीमन्। आप भी चाहेंगे, माननीय मुख्य मंत्री और हर माननीय सदस्य चाहेगा कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि समय बचाना चाहिये, जितना बच सके। आप दोनों पर एक साथ बोल लें।

श्री राजनारायण---जैसी आप की आज्ञा। हम तो सब को सहूलियत देते हैं लेकिन हमारी सहूलियत नहीं देखी जाती। जैसी कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी है मैं अब अपना संशोधन प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रति बन्ध यह है कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सब को बिना किसी भेद-भाव के सुरक्षित रहेगा और मन्दिर में जंगला आदि लगा कर मन्दिर का जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक ही मन्दिर का प्रश्न नहीं है। मन्दिर के पहले "किसी" बढ़ा दें।

श्री राजनारायण—"मंदिर में जंगला आदि लगा कर किसी मन्दिर का जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा।"

श्रीमन्, पहले तो मैं अपने मित्र श्री नारायण दास जी पासी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं और उसका समर्थन करने का मेरा कारण स्पष्ट है। माननीय नारायण दास जी पासी ने खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति ४ में शब्द "उपासना शब्द" तथा "भोग आरती" बढ़ा दिये जायं यह संशोधन प्रस्तुत किया है उनका मतलब इसमें यही है कि आज मन्दिरों में जो कुछ लोग विशेष सुविधा प्राप्त किये हुये हैं वह सुविधा सब को प्राप्त हो और उसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर उन्होंने अपने इस संशोधन को पेश किया है। मैं भी उसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज इस प्रश्न पर बड़ा विवाद है और बड़ा विवाद बढ़ता चला जा रहा है कि पूजा करने और कराने का अधिकार किसका है और वहां जो धन की प्राप्ति होती है उसको लेने का अधिकार किसका है। मैं इसको इसलिये कह रहा हूं क्योंकि श्रीमन्, मैं स्वतः भुक्त भोगी हूं। एक इस तरह की पंचायत का फैसला भी मैंने किया है, मिर्जापुर के जिले में। वहां शीतला का एक मन्दिर है। कई वर्षों तक लगातार जो वहां पर मल्लाह हैं वही वहां के मन्दिर की पूजा करते थे और वही वहां की पूजा कराते थे और वहां पर जो पैसा चढ़ता था उस पैसे को लेते थे। मगर श्रीमन्, दो वर्ष पूर्व उसके आसपास के कुछ ब्राह्मणों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने मल्लाहों को यह कहना शुरू किया यह मल्लाह जाति को कब से पूजा करने का हक़ है?

श्री अध्यक्ष—मुझे आश्चर्य है कि न आपके संशोधन का यह विषय है और न नारायण दास जी के संशोधन का। उसमें पूजा और आरती करने का या मन्दिर में किस पुजारी का अधिकार है, पुजारी का प्रश्न इस समय नहीं है, न आप के संशोधन में और न उसमें और आप उस चीज को ला रहे हैं। असंगत आप हो रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने स्पर्श करने की बात की है उसमें ही हमने पूजा सन्निहित कर रखी है। यदि आप कहते हैं नहीं तो मैं उस शब्द को न कह कर के अपना मकसद हल कर सकता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है बड़ा भारी विवाद यह हुआ कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार उनको नहीं है। श्रीमन्, मुकदमा भी गया। उन्होंने यह कोशिश की वहां की एक कमेटी बना कर के हम उसके चेयरमैन बन जायं। हमने कहा यह हमारा काम नहीं है। बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जिनका मैं चेयरमैन हूं। मगर इस झगड़े में हमने सारे कागत पत्र देखे और उससे यही बात साबित हुई कि वहां के मल्लाह बकायादा जा कर के स्पर्श करते थे मूर्ति का और वहां की सफ़ाई आदि भी करते थे और वहां जो पैसा चढ़ता था उसको भी रखते थे। मिर्जापुर कोर्ट में इसका मुकदमा गया, बहुत दिन तक चला। इस समय मुझे नहीं मालूम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया क्या नहीं दिया। मगर हमने उन लोगों से यह बात कही कि आपस में बिना झगड़ा किये हुए आप लोग जो रुपया, पैसा वहां का आता है उसको एक जगह रख लें फिर बाद में उसका निर्णय किया जायगा। मैंने केवल प्रसंगवश कहा। अब यह झगड़ा, अगर कहीं यह बात मान ली जायगी कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार, हमने जो जंगला लगाने का संशोधन रखा है मैं आप के द्वारा अपनी मंशा को व्यक्त कर देना चाहता हूं, जंगला लगाने और यह मूर्ति को स्पर्श करने का हमने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन हमने अब तक के जितने अनुभव हैं, और जो प्रयत्न हो रहा है जो सनातन धर्मावलम्बी लोग कहते हैं अपने को, उन तमाम पर आधारित है। मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा अगर कहीं पर एक आध शब्द के छूट जाने से हमारा भाव अच्छी तरह से व्यक्त न होने पाये तो आप उसको जोड़ दें। हम ईमानदारी के साथ इस बात को चाहते हैं कि हरिजन को वह अधिकार प्राप्त हो मन्दिर में जाने का, प्रवेश करने का, पूजा करने का, स्पर्श करने का, जो आज तक किसी को भी प्राप्त था। यह हमारा स्पष्ट मत है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि अगर हरिजन किसी मूर्ति

को जा कर के स्पर्श करेगा तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का अपहरण नहीं होगा। सारा विवाद आज इसी पर खड़ा है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। हमारे पास एक बार नहीं कई बार सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू आये और श्रीमन्, उन्होंने यह सुझाव रखा और उन्होंने अपने, तर्क में यही कहा है कि भाई देखो बात यह है कि हम एक विधि के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस विधि में हरिजन नहीं आता है। हरिजन अगर उस मूर्ति को स्पर्श कर देगा तो वह मूर्ति पत्थर हो जायगी। फिर उसमें प्राण नहीं रह जायगा। तो हमने दूसरा तर्क दिया अगर आप जंगला की बात करते हों तो उससे तो यही साबित होगी कि हरिजन को मूर्ति स्पर्श नहीं करने देंगे वह उसी सीमा तक का वह अर्थ लगा रहे हैं, वह इस विधेयक से प्रसन्न हैं। जहां तक सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं की बात है, करपात्री जी का कहना है कि हमारा मकसद हल हो जायगा। हम जंगला लगवा देंगे और वहां से आप दर्शन कर लेना। तो हमने क्या उनको तर्क दिया आप की आज्ञा से मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं: कि भाई वह बात, वह भावना, वह स्पिरिट कि हरिजन मन्दिर में मूर्ति स्पर्श करेगा तो प्राण मर जायगा वह तो ज्यों कि त्यों रह गई। फिर समानाधिकार तो हुआ नहीं। अगर आप यही चाहते हों तो हरिजन को पुजारी होने के अधिकार दो। और यही सब हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन किया था फोन पर जिस दिन कि वह यह विधेयक प्रस्तुत होने वाला था, वादविवाद के लिये। मैंने चाहा था, हर तरह से प्रयत्न किया था। माननीय कमलापति जी की भी सेवा में प्रस्तुत हुआ था। माननीय सम्पूर्णानन्द जी से भी निवेदन किया था, फोन पर, पत्र द्वारा, चिट्ठी द्वारा और जब इन तमाम चीजों का असर नहीं हुआ श्रीमन्, तो हमने सोचा कि शायद मौन व्याख्यान ही असर करे। तो हम लात खाये, हमने डंडे खाये, अपने कपड़े फड़वाये। हर तरह से हमने प्रयत्न किया। हमने व्याख्यान साक्षात दे कर के, लिख कर के, अपील कर के और फिर कर्म कर के प्रयत्न किया। मौन व्याख्यान का असर हमने सोचा कि शायद हो जाय हमारे इन माननीय सम्मानित विद्याबुद्धि विशारद जो हमारे सूबे के भाग्य विधायक बनारस शहर और बनारस देहात का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां पर उपस्थित हैं, उन पर, शायद उनको हम इस मत का बना पायें। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि जब मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं या इस संबंध में जब अपनी कोई बात कहता हूं आप की सेवा में आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में तो हमारे दिमाग में यह बात है कि हम ही कोई इसके ठेकेदार नहीं हैं।

हमारे दिमाग़ में यह बात है कि सोशलिस्ट पार्टी ही कोई इसकी ठेकेदार नहीं है। हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये सदन के सम्मानित सदस्य हमारे ऊपर यह आक्षेप नहीं करेंगे कि हम कोई ठेकेदारी लेना चाहते हैं या अगुवाई लेना चाहते हैं। या दूसरे लोगों की अगुवाई को छीनना चाहते हैं। हमारा केवल एक मकसद है कि आज हरिजनों को अधिकार प्राप्त हों मन्दिर में प्रवेश करने का, मूर्ति को स्पर्श करने का, अर्चना करने का, बन्दना करने का और जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य फैजाबाद के, अयोध्या के बोले, उन्होंने कहा कि उन्हें भोग चढ़ाने का या आरती करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। मगर वह भी मंशा पूरा नहीं होगा। उसमें भी पुजारी लोग कहेंगे कि लाओ थाली हमें दे दो, हम भोग चढ़ा देंगे, तुम समझ लो कि भोग चढ़ गया। तो उनके संशोधन से भी सारी बातें पूरी नहीं होती हैं, नहीं तो हम अपना संशोधन वापस ले लेते। मैं अपना संशोधन वापस ले लेने के लिये अब भी तैयार हूं अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मान लें कि हरिजन के मूर्ति स्पर्श करने से प्राण प्रतिष्ठा का हनन नहीं होगा, वह मूर्ति अपनी जगह या उसी प्रकार सम्मानित रहेगी जिस प्रकार पहले थी और वह चल कर के उसे करा दें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं। क्यों मैं एजीटेशन करूं, क्यों मैं आन्दोलन करूं, क्यों मैं तमाम परेशानी उठाऊं, बहुत से काम हैं श्रीमन् हमें करने को। आप जानते हैं, आर्थिक विषमता फैली हुई है। दाने-दाने को मुहताजी है, लोगों के घर नहीं रह गये हैं, बेकारी, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, यह तमाम बातें हमारे प्रदेश में होती चली जा रही हैं। इन तमाम कामों के लिये तो समय की आवश्यकता वैसे ही है फिर इसके बाद यह भी काम हमारे सिर पर आ पड़ा और हमारे सिर पर जब आ पड़ा तो हम लोग

[श्री राजनारायण]

उसको सहर्ष उठाने को तैयार हैं। हमारे ऊपर श्रीमन्, आप इसके साक्षी हैं, होंगे, सदन का कोई सम्मानित सदस्य कोई दोषारोपण, सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में नहीं कर सकता क्योंकि आप जानते हैं तीन बार काम रोको प्रस्ताव हमने रखा है मार्च के महीने में और आप की आज्ञा ले कर गया हूं जब कि हमारे कामरोको प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली चले गये और अन्त में जब उस पर बहस नहीं हुई, आप ने कहा कि हमारी फाइल भी वह ले गये होंगे हवाई जहाज पर, तो हमने कहा कि हम सच्चे सोशलिस्ट हैं, हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता। सोशलिस्ट होने का एक ही अर्थ हमने समझा है कि हमारी कथनी और करनी एक हो, ईमानदार हो और सदाचारी हो। और इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन जो कि खंड ३ के उपखंड (क) में प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ने का है, रखा है। यदि देखा जाय श्रीमन्, तो जो शब्द इसमें लिखे हुये हैं, हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो हमारे जजबात के साथ हैं वह लाबी में मुझको मिले, उनको हमारे संशोधन के बारे में यह कहना था भाई, तुम्हारे इस संशोधन को मान लेने से तो आज जिस मन्दिर में कोई भी मूर्ति स्पर्श नहीं करता था उसके लिए भी अधिकार हो जायगा। मैं उनसे निहायत अदब के साथ कहता हूं कि अगर कोई अधिकार हो तो वह दें उनको, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। अगर आज किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और आप समानता और सामाजिक न्याय को मानते हैं तो वह हक देने में हमें एतराज नहीं होना चाहिये, मगर उनकी संतुष्टि के लिये हम ईमानदारी के साथ इस बात को सहूलियत के साथ निपटाना चाहते हैं और यह हम बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते होंगे कि अगर आज यह सरकार सब का सहयोग प्राप्त नहीं करेगी, तो शान्ति के साथ इस मामले को निपटाना उनके लिये सम्भव नहीं हो सकेगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं श्रीमन्, कि अगर किसी भी सम्मानित सदस्य के पास ईमानदारी के साथ इसका आंकड़ा हो कि किस मंदिर में सन् १९४७ की २५ अप्रैल के पूर्व मूर्ति का स्पर्श नहीं था तो मैं मान लूंगा, उस मन्दिर को उसमें से निकाल दीजिये। मैंने २५ अप्रैल की तिथि क्यों रखी, इसका कारण है, कोई ऐसी बात नहीं कि यों ही रख दिया। यह ऐक्ट २५ अप्रैल, १९४७ को पास हुआ था। कल माननीय मुख्य मत्री जी ने कहा था कि अगर आप न चाहें तो कल का नाम न लें, लेकिन वह बिल-कुल इसी धारा से संबंधित है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको पढ़ा था। ४७ के ऐक्ट की भाषा को मैं भी पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "हैज एनी एक्सेस टु ऐनी पब्लिक टेम्पिल आर इंज्वाइंनिग दि ऐडवांटेजेज" इसका मतलब मैं जहां तक समझता हूं कि लाभ ही लोग लगाते हैं, "फ़ैसिलिटीज" इसके मतलब हम समझते हैं सहूलित ही हो सकते हैं, "प्रिविलेजेज" इसको "विशेषाधिकार" कहते हैं। तो जो ऐडवांटेजेज और फ़ैसिलिटीज है, "टु ऐनी सच टेम्पिल टु दि एक्सटेंट दि सेम आर अवेलेबिल टु अदर हिन्दूज ऐण्ड सब्जेक्ट टु सच कंडीशंस ऐण्ड आब्जरवेंस आफ़ सच सेरेमनीज ह्विच आर कस्टमरी टु ए टेम्पिल"। तो २५ अप्रैल, सन् १९४७ को जो विधेयक इस आदरणीय सदन ने पास किया, मैं आज इस सदन में कहता हूं कि सदन उसकी इज्जत करे, उसके सम्मान की सुरक्षा करे और आज मुक्त कंठ से घोषित करे कि सही माने में हमने यह अधि-नियम बनाया तो उस तारीख तक जितने प्रिविलेजेज, जितने ऐडवांटेजेज, जितनी फ़ैसिलिटीज वह तमाम लोगों को प्राप्त थीं वह हरिजनों को भी प्राप्त होंगी।

श्रीमन्, अगर हमारे संशोधनों को भी इस सदन के सम्मानित सदस्य नहीं मानते हैं तब आप हमें स्वतः बतायें कि हमारी भावनाओं को ठेस लगेगी या नहीं? मैं फिर किन शब्दों के साथ इन आदरणीय सदस्यों को जो उस समय भी अधिकार में थे, जो आज भी प्रस्तुत हैं कहूं कि उनके प्रति हमारी क्या भावनायें होंगी, उत्तर प्रदेश में क्या भावनाएं होंगी, सामान्य हरिजनों की क्या भावनाएं होंगी? मैं ऐसे हरिजनों को नहीं कहूंगा जो गरीब हरिजनों के अधिकार का शोषण करते हैं और फिर उनके अधिकार की अवहेलना करते हैं। श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं अपने संशोधन के द्वारा जो कि हमने तीसरे खंड के (क) में प्रस्तुत किया है वह सम्मानित सदस्यों को देख लेना चाहिये कि क्या बात है और क्या नहीं है

जिसको हम अपने प्रतिबन्धक वाक्य से जोड़ना चाहते हैं। इसके उद्देश्य और कारण को भी पढ़ जाना चाहिये। उद्देश्य और कारण में यह बात स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है कि बहुत से लोगों में शंका है। बहुत से लोग रीति-रिवाज और पुरानी परम्पराओं को दावा दे कर यह कहते हैं कि हरिजनों को मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं है और उसी शंका का समाधान करने के लिये यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है। तो मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो कमियां तथा त्रुटियां रह गई थीं उनको पूरा करने के लिये ही मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है क्योंकि 'क' में जो १९४७ के अधिनियम की भाषा थी कि ऐडवांटेजेज, फेसीलिटीज और प्रिवलेजेज, इसको निकाल दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि किसी भी रीति रिवाज, प्रथा अथवा व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक हिन्दू का, वह चाहे जिस जाति का उपवर्ग का हो, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दू मन्दिर में प्रवेश करे, वहां उपासना और उपसना में उसी प्रकार और उसी सीमा तक सम्मिलित हो, जिस प्रकार और जिस सीमा तक साधारणतया हिन्दू लोग अथवा कोई उपवर्ग उपासना करता या उसमें सम्मिलित होता हो। मैं मुख्य मंत्री जी से, कमलापति जी से और बनारस के रईस रामलखन जी जो हरिजन मन्दिर आन्दोलन के कर्ताधर्ता अपने को मानते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह शब्द क्यों निकाले गये।

श्रीमन्, १९४७ वाले शब्द होते तो कितना अच्छा था। आल ऐडवांटेजेज वह जो पुजारी लेता है दूसरे लोग भी लेगें तब आल फैसीलिटीज यानी जो तमाम हिन्दुओं को सुविधायें प्रदान की गई हैं। वही हरिजनों को मिलेंगी। तीसरे शब्द हैं प्रिविलेजेज यानी जो प्रिवलेजेज सवर्ण हिन्दुओं को हैं, वही हरिजनों को प्राप्त होंगी। यह १९४७ के अधिनियम की भाषा है। आज वह शब्द निकाले जा रहे हैं। और इस विधेयक में केवल उपसना शब्द रखा जा रहा है। माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन भी नहीं माना गया है कि कर्म भी जोड़ दिया जाय। वह भी व्यापक शब्द था। इसमें यही बात आती है जैसा कि कल पालीवाल जी ने कहा था कि इन सारी बातों को पढ़ कर सुनाया गया होता (ऐडवांटेजेज, फैसिलिटीज और प्रिवलेजेज की) तो कितना अच्छा होता। सारी चीजें इसमें आजातीं। इसमें यही कमी है, खामी है जो आज विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इसको केवल वाक्यजाल बिछाने से पूरा नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी का नाम लेने से पूरा नहीं किया जा सकता है, कांग्रेस के प्राचीन परम्परा की दुहाई देने से पूरा नहीं किया जा सकता है।

श्रीमन्, आप मानते हैं कि आज की कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी जी का नाम लेना अनुचित है। गांधी जी ने अन्तिम आदेश दिया था कि कांग्रेस भंग कर दो।

श्री अध्यक्ष--फिर आप असंगत हो रहे हैं।

श्री राजनारायण--मैं गांधी जी की परम्परा की दुहाई देकर कहना चाहता हूं कि हमारा संशोधन माना जाना चाहिये। अगर हम अपने को गांधी जी का उपासक कहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला कहते हैं, तो गांधी जी के मरते समय जो शब्द निकले थे कि कांग्रेस भंग कर दो तो क्यों नहीं की?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंगत है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इस बात पर आ रहा था कि इसमें कहा गया है कि उसी सीमा तक और उसी प्रकार हरिजनों को अधिकार प्राप्त होंगे जिस सीमा और जिस प्रकार तक दूसरे हिन्दुओं को हैं।

श्रीमन्, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। मैं आपसे कुछ सहारा लेना चाहूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारी बात साफ़ हो गई है या नहीं। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो तो मैं समझा देता।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त कर के देख लें कि दूसरे क्या कहते हैं उस से पता लग जायगा।

श्री राजनारायण---ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं सवर्ण हिन्दुओं के लिये सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं के लिये, उनके कई वर्ग हो गये हैं। उन वर्गों को छोड़िये। मगर आज तो सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं में एक वर्ग इस बात को कहता है कि हरिजन मूर्ति को स्पर्श करेगा तो उसका प्राण हर जायगा। और वही वर्ग आज वहां आपत्ति कर रहा है, सब नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमारे ऊपर लांछन लगाया गया, मैं उसको दोहराना नहीं चहाता हूं अपने संशोधन के पक्ष में लेने के लिये केवल संकेत करना चाहता हूं कि वहां के बहुत से लोग विरुद्ध हो गये, यह कहना गलत है। कोई विरुद्ध नहीं हुआ।

मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक पास होने दीजिये जिस दिन कहिये मैं हजारों और लाखों की तादाद में मंदिर में प्रवेश कर जाऊं। आज अगर वहां प्रवेश रुका हुआ है तो वहां के सनातन धर्मियों की वजह से नहीं रूका हुआ है। इस सरकार और पुलिस की वजह से रुका हुआ है जो उनको सहारा देती है और हमारे ऊपर डंडे मारती है। मैं दावे से कहता हूं कि किसी में हिम्मत नहीं कि किसी बढ़ते हुये जन समूह को जो वहां दर्शन करने की अभिलाषा से प्रेरित हो कर जाना चाहता है रोक सके। अगर आज यह चीज रुकी हुयी है तो स्टेट पावर से रुकी हुयी है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आज सरकार इस बात को साफ कहे, वह गारन्टी हमारी है श्रीमन् मैं इस अवसर पर इसलिये कह रहा हूं कि जब वही थोड़े से लोग जो कि आकर के यहां पर डेपुटेशन में मिला करते हैं और मेरी उपस्थिति में भी किसी सम्मानित मंत्री के पास भी पहुंचे थे दो तीन दिन घूमते घूमते वे हमारे पास भी आते हैं। ऐसा कोई माननीय मंत्री जी समझने की भूल न करें कि उन्हीं के पास लोग मिलने आया करते हैं दूसरों से नहीं मिलते। तो उन्होंने यही तर्क हमारे सामने रखा एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि वहां मंदिर की रखवाली करने वाले लोग दो-दो चार-चार रुपये प्रति दिन दे कर के बहुत बूढ़ी-बूढ़ी औरतों को विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठा देते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बताने का मौका नहीं मिला। वे भी समझ लें कि हमारा २४ घंटे का धरना चलता था। जिस दिन वह धरना ७ मई को उठाने का निश्चय हमने किया उस दिन बहुत से लोग हमारे पास आये और कहा कि यह धरना क्यों उठाया जा रहा है। तुम्हारा जब २४ घंटे का धरना चला करता था तो हमारी २-४-१० रुपये रोज की रोजी चलती थी। तो थोड़े से लोग इसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि अगर हरिजन मूर्ति को छू देगा तो प्राण निकल जायेंगे। तो सरकार इस विधेयक में इस तरह की गुंजाइश करके उन्हीं की इच्छा की तो पूर्ति करेगी। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती, मुख्य मंत्री जी इसका विरोध नहीं करते, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विरोध नहीं करती, कम्युनिस्ट पार्टी विरो ध नहीं करती। तो आखिर बनारस में इन पार्टियों का भी तो कोई अस्तित्व है। वहां की जनता इन पार्टियों के भी तो साथ हैं। वहां की जनता ने ही तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी को वाराणसी के एक क्षेत्र से चुना है। वह भी तो उनके साथ है। तो कहां से इतनी जनता उनके साथ आ गयी। कांग्रेस का उद्देश्य---माफ कीजिये मैं जब भी नाम लेता हूं तो कांग्रेस पार्टी कहा करता हूं क्योंकि कांग्रेस तो पुरानी थी अब तो कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य, कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य और यह श्रीमन् सम्मानित सदस्य बैठे हैं जन संघी ये भी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य भी वही है, तो यदि सब का उद्देश्य यह है कि हरिजन भी मूर्ति को स्पर्श कर सकता है और यदि सब लोग इस बात को मानते हैं कि हरिजन के मूर्ति स्पर्श करने से प्राण प्रतिष्ठा का अपहरण नहीं होगा तो इन तमाम लोगों के साथ भी तो कुछ जनता है।

मैं श्रीमन्, दम भरता हूं इस बात के लिये कि जिस समय हम चाहेंगे जितने आदमी किसी और के साथ निकल सकते हैं उससे कम आमदमी हमारे साथ नहीं निकलेंगे। हम भी योग देने के लिये तैयार हैं। तब फिर सफाई क्यों नहीं होती। स्पष्ट तरीके से आज यहां पर

कहा जाय कि हरिजन को भी मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार है और २५ अप्रैल सन् १९४७ से पहले जिस प्रकार एक सवर्ण मंदिर में जा कर जिस रीति और जिस नीति से पूजा करता था उसी भांति उसी रीति और उसी नीति से आज हरिजन भी पूजा करेगा। यही तो संशोधन है श्रीमन् हमारा और अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है मझे शंका नहीं है मैं शंका शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मेरा दृढ़ मत है कि जिस तरह की भाषा इस विधेयक में रखी गयी है उससे करपात्री जी की विचारधारा के सनातनधर्मावलम्बियों के रूढ़िवादी हिन्दुओं के हित का साधन होगा। वह एक जो परम्परा चल रही है कि हरिजन अगर मूर्ति को छूयेगा तो मूर्ति नष्ट हो जायगी वह परिपुष्टि होगी। इसलिये मैं कहूंगा कि विधेयक की भाषा गलत है और हरिजनों को उतने अधिकार नहीं देती है कि जितने उनको मिलने चाहिये। यह सही है कि उस सीमा में शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। जिस सीमा शब्द का प्रयोग सन् १९४७ के विधेयक में था मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस कंटेंशन (बात को) मानता हूं कि यहां भी वही सीमा शब्द हैं। ठीक है लेकिन इस में श्रीमन् यह नहीं हो सकता कि उस समय जो रीति रही हो आज उस से भिन्न न हो जाय। वह आज उससे भिन्न हो सकती है। इसलिये श्रीमन् मैं इस आदरणीय सदन को जिसने १९४७ में उस कानून को बनाया यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यदि उस के बाद भी मंदिर कुछ विकृत किया गया हो तो क्या होगा।

आप श्रीमन्, किसी दिन जायेंगे तो स्वतः देखेंगे कि अन्नपूर्णा जी के दरवाजे पर जंगला लगा दिया गया है और आप अगर साल भर पहले गये होंगे तो उस समय वहां पर जंगला नहीं था। इसी प्रकार से संकटमोचन के मंदिर में भी जंगला लगा दिया गया है दुर्गा जी के मंदिर में भी जंगला लगा दिया गया है और यह सब इसके बाद हुआ है और उस के बाद भी सरकार उनको गुंजाइश देना चाहती है। तो मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि अपने तमाम सम्मानित सदस्यों से और अपने तमाम उन सदस्यों से जो यह समझते हैं कि वह चूंकि हरिजन परिवार में पैदा हुये हैं इसलिये उनके नेतृत्व में ही सारी बातें होंगी कि वह हमको अपने नेतृत्व में ले चलें। मैं चलना चाहूंगा उन के नेतृत्व में लेकिन अगर वह यह कहेंगे कि हम अधिकार नहीं लेना चाहते जो कि उनको मिलना चाहिये तो मैं उन की इस बात को नहीं मानूंगा। अगर वह किसी अधिकार को अपना नहीं समझते हैं और वह अधिकार उन का है तो मैं उनको समझाऊंगा और मेरा मत यह भी है कि २५ अप्रैल की सीमा बांध दी जाय। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा निवेदन यह है कि मेरा राग द्वेष किसी सनातन धर्मावलम्बी से नहीं है। मैं उनसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह हृदय परिवर्तन की बात करते हैं तो पहले वह अपने हृदयों को परिवर्तित करें और धमकियां न दिया करें।

मैं श्रीमन्, आप को एक मिनट में यह बात बता देना चाहता हूं जिससे मुझे प्रेरणा हुयी है कि मैं इस संशोधन को अवश्य रखूं कि मुझे धमकियां दी गयीं। मैं आ रहा था ११ बजे रात को। एक साहब रिक्शे पर चलते हुये मिल गये। मैं उन को पहचानता नहीं था। उन्होंने मुझे रोका और मेरे साथ उनका नमस्कार आदि हुआ श्री खलीलुर्रहमान साहब एक मित्र बाराबंकी के हैं वह भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बताया मैं उन्हें जानता तो नहीं लेकिन उन को मेरी जिन्दगी से मोहब्बत है वह चाहते हैं कि हमारे जैसे आदमी फूलें फलें। उन्होंने कहा कि १० जून को आपने अपनी जिन्दगी को खतरे में डाला था। मैं वहां मौजद था और मैं समझ रहा था कि कहीं आप के प्राण पखेरू न उड़ जायं। अगर कोई बगल में हो और छुरा भोंक दे। मैंने कहा कि बड़ा अच्छा होगा अगर अपने कर्त्तव्य के पालन में अपन लक्ष्य की पूर्ति में अपने मकसद को हासिल करने में मेरी मृत्यु हो जाय। यह बहुत अच्छी बात होगी। महात्मा जी की मृत्यु भी इसी तरह हुयी। मैं भी अगर मर जाऊं तो क्या होगा। यदि बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे करपात्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो धमकियां दी जा रही हैं डरवाया जा रहा है और तरह-तरह से डरवाया जाता है। तो मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह की रूढ़िवादिता किसी भी तरह की सामाजिक विषमता को हम बरदास्त करने को तैयार नहीं हैं चाहे प्राणों का अपहरण हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्योंकि

[श्री राजनारायण]

वह वेदों का अध्ययन करने वाले हैं मैंने तो वेदों का अध्ययन सांगोपांग नहीं किया मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब जाता हूं फुरसत में कभी छट्टी होती है तो मैं जो वेद के ज्ञाता हैं उनका सत्संग जरूर करता हूं। हमारे पास बहुत से लेख आये हैं। और बहुत से वेदों के प्रकांड पंडितों ने बताया है कि ऋग्वेद में यह नहीं बताया गया है कि कहीं मूर्ति पूजा थी। ऋग्वेद में यह बात थी या नहीं इसको माननीय मुख्य मंत्री जी बतावेंगे कि वास्तव में क्या है। किन्तु उनका कहना यह है कि मूर्ति पूजा का स्थान ऋग्वेद में नहीं था उसमें अग्नि की पूजा थी और अग्नि की पूजा होती थी जिसके करने में किसी को कभी कहीं कोई बाधा नहीं थी। दूसरे जो वेद हैं मैं समझता हूं वह सब बाद के हैं। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है और उसी के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं कि उसी प्राचीन परम्परा को यहां पर दोहराया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप यहां पर धार्मिक बहस नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---श्रीमन् मैं ऋग्वेद की बात इसलिये कहता हूं कि वह प्राचीन रीति रिवाज का जो जिकर करते हैं वह कहते हैं कि उसमें उस रीति रिवाज का जिकर नहीं मिलता है। मैं अब थोड़े में इतना ही निवेदन करूंगा कि सम्मानित सदस्य हमारे इस संशोधन को मानें और हमारे संशोधन में वस्तुस्थिति को साफ किया गया है। हम कोई हठवादी नहीं हैं। हम तार्किक हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से अपने तर्क उपस्थित करते हैं। इसलिये अगर किसी शब्द में कोई हेर-फेर होगा तो हम वह संशोधन में करने के लिये तैयार हैं। मगर हमारा मकसद उसमें रहना चाहिये। हरिजनों को आप किसी शब्द जाल में यह वाक जाल में न डालें। मूर्ति के छूने का, स्पर्श करने का जो अधिकार अन्य हिन्दुओं को प्राप्त है वह हरिजनों को भी प्राप्त होना चाहिये। अगर वह अधिकार २५ अप्रैल सन् ४७ के पास विधेयक के अनुसार उनको नहीं प्राप्त होता है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप महात्मा गांधी का नाम न लें और यह सारे शब्द आपके जाल के रूप में होंगे मेरा मतलब है कि २५ अप्रैल सन् ४७ तक जिस मंदिर में जिस रूप से सवर्ण पूजा पाठ करते थे उसी रूप से आज हरिजन उस मंदिर में पूजा-पाठ तथा अन्य क्रिया कर्म करें।

श्री अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं इसके ऊपर १० मिनट से ज्यादा भाषण कोई न दे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (ज़िला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं अपने मित्र माननीय राज नारायण जी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं उनकी भावना का आदर करते हुये मैं उनसे सहमत नहीं हो पा रहा हूं और इससे बिवश होकर मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। मान्यवर, यदि गम्भीरता से सोचा जाय तो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण एक संशोधन समझा जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं उन आधारों को और उन तर्कों को जो माननीय राजनारायण जी ने सदन के सम्मुख रखे हैं, उसमें कोई सार नहीं देख रहा हूं। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि एक शिकायत उनको है उस जंगले की जो कि उस अन्नपूर्णा जी के मंदिर में और विश्वनाथ जी के मंदिर में बनाया गया। उससे वह यह समझते हैं कि वह एक तरह से अन्याय हुआ है। मान्यवर इस बात को सोचा जाय कि जहां तक कानून का प्रश्न है उनके लिये कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं था वह चाहे पुजारी हो, चाहे कोई ट्रस्टी हो और चाहे उसका अधिष्ठाता हो कोई भी हो उनको किसी तरह से कानूनन कोई ऐसी रुकावट नहीं थी कि जिससे वह जंगला न बनायें। अब यह सवाल पैदा होता है कि सरकार उसके लिये क्या करे। सरकार के पास वह कौन सा हथियार है, वह कौन अस्त्र है, जिससे उस जंगले बनाने को रोक दे। मान्यवर, यदि यह शिकायत थी तो उनके लिये एक रास्ता था कि वह जंगले के लिये एक इंजंक्शन्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अदालत से ले आते और जंगलें को बनाने से रोक देते। यह अपनी जगह पर चारा उनके लिये था। उस समय उनको रोकना था। माननीय राजनारायण जी या जिसको उससे आपत्ति हो सकती थी वह ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई गैर कुछ नहीं कर सकता। जिससे इस पर आपत्ति हो उसके लिये केवल इंजन्क्शन लाना ही एक चारा था। मैंने सुना, और माननीय राजनारायणजी का कहना है कि परम प्रतिष्ठा तो की गयी और साथ ही साथ प्राण अपहरण हो गया। एक साधारण बुद्धि की बात है कि वह कौन सा उपाय है कि सरकार या कोई व्यक्ति या समुदाय या केन्द्रीय सरकार या कोई भी उस प्राण--अपहरण को रोक सके। वह तो एक मंत्र या जादू की चीज है। मैं ऋग्वेद में नहीं जाता। सोमनाथ का मंदिर जब नष्टभ्रष्ट हुआ तो क्या कोई प्राण वहां गया था ? उस समय प्राण अपहरण करना बहुत साधारण बात थी। वह समय आज से कहीं भिन्न था। हर मंदिर में आप देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद न पुजारी है, न कोई देखभाल करने वाला है और लोग जाकर जल और भोग चढ़ाते हैं। इस में प्राण का अपहरण या हनन नहीं होता है। जैसा कि वह कहते हैं कोई छुरा भोंकने से उनको डराता है तो हो सकता है कि वह उससे पेरशान हो जावें। इसका कोई उपाय वह निकालें। भले ही कोई किसी विधेयक का विरोध न करें, सब उसका समर्थन करें, तब भी १५ मिनट तो किसी अधिनियम को पास करने में लगते ही हैं, तो यह एक ऐसी असंगत और असम्भव सी बात है जिसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्राण अपहरण को कोई रोक नहीं सकता। यह तो कर्मकांड है। आप भी जादू कीजिये और प्राण फिर पहनावें। प्राण अपहरण होता रहे और जीवन आता रहे, यही एक उपाय है।

राजनारायणजी के कुछ तर्क तो ऐसे हैं जिनके लिये मैं स्वयं बहुत चिंतित हूं कि उनका कैसे उत्तर दूं। यह कहा गया कि सदाचारी सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी में हैं। उसके बाद सब क्या हैं। मैं उनके लिये कहने का साहस भी नहीं कर सकता कि वे दुराचारी हैं। यह साहस माननीय राजनारायण जी का ही भले हो या न हो, परन्तु मुझमें तो नहीं है।

एक कानूनी चीज भी राजनारायण जी ने उठायी। एडवांटेज और प्रिविलेज का वह लाभ, सुविधा और विशेषाधिकार अनुसार करते हैं और कहते हैं कि उनके कथनानुसार वह अब भी होना चाहिये। यह मैं भी चाहता हूं कि यदि कोई और हिन्दू मूर्ति का जिस तरह से दर्शन या स्पर्श करता है या जल चढ़ाता है या सेवा करता है, वही अधिकार हरिजनों को भी होना चाहिये। हमारा संविधान भी यही कहता है। यदि आज उस मंदिर में सवर्ण हिन्दू मूर्तियों का स्पर्श करे और हरिजन केवल जंगले से ही दर्शन कर पावे, तो यह सर्वथा अनुचित है। यह नहीं हो सकता है, उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता परन्तु एक विधि उपासना की या पूजा-पाठ की एक रूप रेखा, यदि उसमें कोई परिवर्तन हुआ भी है, न तो वह वैधानिक रूप से रोका जा सकता है और न उसके लिये कोई आपत्ति ही उठायी जा सकती है। जब एक समुदाय को कोई विशेषाधिकार दिया जाय वही सवर्ण को दिया जाय और वही हरिजन को दिया जाय कि कोई भी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता तो वह समान अधिकार क्यों नहीं हुआ। समान अधिकार की आखिर परिभाषा क्या है। एक अधिकार जो पहले था उससे सवर्ण हिन्दू भी वंचित किया जा रहा है और हरिजन भी। नैपाल में पशुपति नाथ जीकी मूर्ति तथा दक्षिण में जितने मंदिर हैं उनकी मूर्तियों को कोई भी नहीं छू सकता है। फैजाबाद में भी नारायण दास जी ने देखा होगा कि हनुमान गढ़ी में एक मंदिर है वहां अगर सवर्ण हिन्दू भी जाय तो वह भी भोग लगाना, आरती लगाना या समीप जाना आदि कुछ भी नहीं कर सकता। न तो पहले ऐसा हुआ है और न होता है, इसके अलावा दतिया एक स्थान है, वहां पर सब लोग जाते हैं, भोग भी देते हैं और दर्शन भी करते हैं। इस संशोधन में भोग लगाना ठीक है। लेकिन इस आरती लगाने के क्या मानी होते हैं। क्या उसका अर्थ आग लगाना होता है ?

एक सदस्य—उसका अर्थ होता है प्रसाद देना।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--यदि वह भोग लगा सकता है तो प्रसाद भी स्वीकार हो सकता है। लेकिन यह भी बहुत से मंदिरों में नहीं होता। मैं अयोध्या की हनुमान गढ़ी के बारे में कह रहा हूं। जो वहां रहते हैं या जो बाहर से जाते हैं वे वहां अवश्य जाते हैं। कोई कह दे किसी ने भोग लगाया हो या प्रसाद लिया हो। श्रीमन्, यह तो एक विधि है, एक परम्परा है और यदि इसमें कोई भेदभाव नहीं है तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये। यही नहीं भारतीय समाज में जो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चल रहा है उसमें कभी मुख्य मंत्री जी आगे बढ़ जाते हैं तो कभी त्रिपाठी जी आगे जाने का प्रयत्न करते हैं। यह परिवर्तन तो हुआ ही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भेदभाव नहीं होना चाहिये। वही समानता इस विधेयक में विद्यमान है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको जरा गंभीरता से सोचें और अपने संशोधन को वापिस ले लें क्योंकि मैंने केवल विरोध के नाते उसका विरोध नहीं किया है।

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, यह जो दो संशोधन सदन के सामन प्रस्तुत हैं, मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि वह समझ नहीं पाये कि जो कुछ वह कह रहे हैं सदन कहां तक उसको समझ रहा है। मेरे ऊपर तो ऐसा प्रभाव उनके भाषण का पड़ा मानो कि वे किसी ऐसे,विधेयक के विरोध में तकरीर कर रहे हैं जो रिपील कर रहा हो। तथा जो अधिकार समाज को सोशल डिसएबिलिटीज़ रिमूवल ऐक्ट और अनटचेबिलिटीज़ आफेंसेस ऐक्ट के द्वारा दिये गये थे, और हरिजनों को प्राप्त हो चुके थे, उनको समाप्त कर रहा हो और इस नये कानून द्वारा उनका स्थान ले रहा हो। ऐसा तो है नहीं बल्कि जो ऐडवांटेज जो प्रिविलेज और फैसिलिटीज आप पहले दे चुके हैं उन्हीं को पुष्ट करने के लिये और जो रुकावट उसमें आ रही है उन्हें दूर करने के लिये यह ऐक्ट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कहा कि यह डिक्लेअरेटरी ऐक्ट है। इसमें कोई नयी चीज नहीं पैदा की जा रही है। जो अधिकार हैं वे सुरक्षित हैं और उनके मार्ग में जो कानूनी अड़चनें आ रही हैं उनको दूर करने का ही केवल प्रयत्न किया जा रहा है। ये जितने और सवाल भोग, आरती के जाने आने के, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और उसके अपहरण आदि के सम्बन्ध में जो बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, मैं समझता हूं कि जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं मठाधीश न हों, उस गद्दी के सम्बन्ध में तब तक कोई फतवा नहीं दे सकते। जहां तक मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा व उसके अपहरण की बात है, राजनारायण जी ने करीब ५ दफा अपनी स्पीच में माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रश्न किया कि मूर्तियों के हरिजन स्पर्श से प्राण का अपहरण होगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि बिना मठाधीश की गद्दी को सम्हाले हुये कोई कैसे फतवा दे सकता है। इस तरह से मैं समझता हूं कि उनकी यह बात तो बिलकुल इर्रेलिवेंट (निरर्थक) क्योंकि यह बात साफ तौर पर कह दी गयी है कि जहां पर जिस स्थान पर अन्य हिन्दुओं को जो-जो अधिकार प्राप्त हैं वे हरिजनों को भी प्राप्त होंगे। जैसे कहीं पर मूर्ति पर जल चढ़ाने अथवा मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार हरिजनों को भी समान प्राप्त होगा और जहां सवर्ण हिन्दू नहीं जा सकेगें वहां कोई हरिजन भी नहीं जा सकेगा।

माननीय राजनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बड़ा ही विचित्र है। उसके अनुसार तो किसी मंदिर में अगर कोई कहीं पर जंगला लगाना चाहे तो वह नहीं लगा सकता है। क्योंकि उन्होंने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जहां दर्शनार्थियों को आने जाने में बाधा पड़ती हो, या उनके अधिकारों का अपहरण होता हो वहां यह नहीं होना चाहिये। बल्कि उनके संशोधन में है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सबको बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित रहेगा और मंदिर में जंगला आदि लगा कर मंदिर का जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा।"

अगर किसी को जंगला ऊपर लगाना हो या इधर-उधर लगाना हो तो वह नहीं लगा सकेगा। चाहे कोई इंजीनियर ही आकर कहे कि किसी स्थान पर जंगला लगाना ज़रूरी है लेकिन इस संशोधन की बिना पर वह नहीं लग सकेगा चाहे वह मंदिर खंडहर भले ही हो जाय। इस संशोधन की

बिना पर मंदिर का जो स्वरूप २५ अप्रैल, ४७ को था वही बराबर कायम रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल निरर्थक है। राजनारायण जी ने काफी समय लिया और काफी दलीलें दीं, लेकिन मेरे ऊपर जो उसकी प्रतिक्रिया हुयी वह यह कि या तो उनकी बात हमारी समझ में नहीं आयी या वे अपनी बात समझा नहीं सके, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक समान अधिकार देने की बात है, उसमें जो कानूनी दिक्कतें आ चुकी हैं उन्हीं को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है जो अधिकार हरिजनों को मिले हुये हैं, वे तो रहेंगे ही और आइन्दा उनके मार्ग में कोई रुकावट और कठिनाई न हो उसी को दूर करने के लिये यह विधेयक आया है। इसलिये मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन का जो श्री नारायण दास जी ने प्रस्तुत किया है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उस में हरिजनों को मन्दिर प्रवेश कराने का पूरा प्रयत्न किया गया है और उसके द्वारा मन्दिर प्रवेश कराया जायगा। लेकिन साथ ही साथ जो हृदय में मन्दिर प्रवेश कराने की भावना पैदा हुई है वह मैं यह कह सकता हूं कि जितने संकुचित दायरे में नहीं रखना चाहिये था उतने में संकुचित रखी गयी है। वैसे तो जहां तक मन्दिर प्रवेश का संबंध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि आज हरिजनों का ही क्या सभी वर्गों की, आज कल के युग में मेजारिटी का यह सिद्धान्त है कि वह प्राचीन ढोंग में कम विश्वास रखने वाले हैं। आज का हरिजन यह जानता है कि उसका भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं है बल्कि उसके हृदय में है। आज का हरिजन यह भी पूर्णतः जानता है कि यदि वह अपनी उन्नति चाहता है तो उस को उसकी पूजा करनी चाहिये जो मानवता का पुजारी है लेकिन अगर हरिजन वर्ग में से किन्हीं चन्द लोगों को मूर्ति पूजा में विश्वास हो तो वह भी यह समझ ते हैं कि जो मूर्तियां मन्दिर में रखी हैं वह उन्हीं के हाथ की बनाई हुई हैं उन्हीं ने पत्थर को तराश कर उन्हें गढ़ कर रखा है और जिन भवनों में वह रखी हैं वह भी उन्हीं के हाथ के बनाए हुए हैं और वह किसी सवर्ण के बनाये हुए नहीं हैं तो जिस भगवान को उस ने स्वयं पत्थर को काट कर बनाया है और जिस भवन को उसने खुद अपने खून पसीने से बनाया उसी में जाने की और उस भगवान के दर्शन की उसी पर रोक हो तो वह उचित नहीं है, इसी के लिये वाराणसी का आन्दोलन हुआ, अस्पृश्यता के, आधार पर उन्हें मन्दिर प्रवेश न होने देना यह इसकी पृष्ठिभूमि है। उनको क्यों नहीं घुसने दिया जाता यह सवाल हरिजनों के सामने है और उसी को लेकर काशी विश्वनाथ जी के मन्दिर में आन्दोलन हुआ।

अब सवाल यह है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये हरिजन मन्दिर प्रवेश होना चाहिए और यदि अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया जाता है तो उसको कानूनी तौर पर खत्म करने का पूरा पूरा कदम हमारी सरकार उठायेगी और हमारा विश्वास है कि जब तक वह पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी तब तक सरकार उसके लिये आवश्यक कार्यवाही करती रहेगी। जब मन्दिर प्रवेश की बात पूरी होती है तो फिर कोई क्यों भोग न लगा सके या आरती न कर सके। यह रोक लगा कर हम एक संकुचित भावना का प्रदर्शन क्यों करें, यह देख कर हमें आश्चर्य होता है, जब उनका मन्दिर प्रवेश होता है तो हिन्दू समाज को अपना हृदय विशाल करना चाहिये और किसी प्रकार का प्रतिबन्ध चाहे वह अछूतों के लिए हो य सवर्णों के लिये हो नहीं रहना चाहिये और पूरा पूरा अधिकार सब को पूजा आदि का होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि किसी प्रकार का पूजा पाठ सम्बन्धी या उसकी जो विधि होती है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगा कर माननीय नारायण दास जी ने जो संशोधन पेश किया है उस को वह मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आज यह विधेयक समाप्त होना चाहिए सदन के उठने तक, इसलिये मुझ अब आगे का कार्य जरा शीघ्रता पूर्वक करना पड़ेगा। यदि समय ५ बजे तक ही रहा तो मैं ५ बजने में जब दस मिनट रह जायेंगे उस वक्त वादविवाद समाप्त कर दूंगा और उसके बाद जो संशोधन बाक़ी रह जायंगे उनको यदि लोग प्रेस करना चाहेंगे

[श्री अध्यक्ष]

और नाम पुकारने पर यदि वह खड़े हो जायंगे अपने स्थान पर तो मैं उनके (संशोधन) पर केवल राय ले लूंगा, लेकिन ५ बजने में जब दस मिनट रह जायेंगे उस के बाद वादविवाद नहीं होगा। यदि समय बढाया गया तो जिस वक्त समय समाप्त होने वाला होगा उस से दस मिनट पहले मैं यही कार्यवाही करूंगा जो मैंने अभी बताई।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कि यह बिल पास न हो तब तक के लिये कृपा कर के समय बढ़ा दिया जाय और आप सब के भाषणों पर स्वतः नियंत्रण कर दें तो दोनों बातें नियंत्रित हो जांयगी। एक आध घंटे की बात है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इस पर भी नियंत्रण करना होगा कि कितने व्यक्ति बोलें। आप प्रस्ताव रखिये।

श्री राजनारायण---हमारा यह प्रस्ताव है कि यह सदन जब तक यह विधेयक पूर्णरूप से समाप्त न हो जाय तब तक बैठे और हर वक्ता महोदय को दस मिनट से ज्यादा समय न दिया जाय और अध्यक्ष महोदय चाहें तो दो-चार मिनट बढ़ा दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं इसका विरोध करता हूं। प्रस्ताव यह था कि आज ५ बजे तक समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष---५ बजे तक के लिये नहीं---सदन उठने तक के लिये है।

श्री शान्ति प्रपन्न वर्मा---मैं इसका विरोध करता हूं कि आज समय नहीं बढ़ाना चाहिये। तीन रोज से यह चल रहा है।

श्री राजनारायण---मैंने जो प्रस्ताव रक्खा था उसमें माननीय मुख्य मंत्री की मौन स्वीकृति समझी थी, तो रख दिया। पता नहीं कैसे माननीय सदस्य ने विरोध कर दिया। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर अधिक समय ले कर बोलें और उन्होंने जो इतना ज्ञान अर्जित किया है उस पर कुछ प्रकाश मिले।

श्री नवल किशोर---इस सदन को यह मालूम है कि बिजनेस कमेटी ने पहले ८ घंटे का समय रक्खा था, लेकिन सदन ने इस बात पर प्रार्थना की थी कि ८ घंटे का समय कम है।

श्री अध्यक्ष---यह बहस का समय नहीं है।

श्री नवल किशोर---कल भी आध घंटे का समय बढ़ा था, इस लिये आज ५ बजे के उपरान्त कोई समय न बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी राय जाहिर नहीं की।

श्री अध्यक्ष---वह खड़े नहीं हुये, नहीं तो मैं उनको बोलने का अवसर देता।

प्रश्न यह है कि यह सदन तब तक ५ बजे के बाद भी बैठा रहे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय और प्रत्येक वक्ता को दस मिनट का समय दिया जाय और अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया जाय कि जितने सदस्यों के बोलने की वह सीमा नियुक्त करें उतने सदस्य बोलें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री रामेश्वर लाल**---श्रीमन्, जो दो संशोधन हमारे समक्ष उपस्थित हैं कि एक का विरोध और एक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो संशोधन माननीय नारायण दास जी ने रखा है मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता यहां नहीं है। एक तो बड़ा वेग है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें "भोग और आरती"। आरती श्रीमन्, कई तरह से होती है। व्यक्तिगत आरती होती है, सामुहिक आरती होती है। सामूहिक आरती करने में अगर हरिजन जांय तो किसी भी तरह की रुकावट हो ऐसा इस विधेयक से नहीं मालूम होता। और इसमें स्पष्ट है कि जो अधिकतर लोगों को करने का अधिकार है वह हरिजन को भी करने का अधिकार इस विधेयक में है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आरती वाला जो सवाल है वह उचित नहीं है।

जहां तक भोग का प्रश्न है मैं तो इस भोग का अर्थ ही नहीं समझ पाया यदि और खुलासा इसका किया गया होता तो मैं इसकी उपयोगिता के बारे में सोचता भी। लेकिन जिन शब्दों में यहां रखा गया है मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता यहां नहीं है। यह न हो तो अच्छा है। जहां तक श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी के संशोधन का प्रश्न है मैं उससे सहमत हूं और मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी तथा और कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। अवधेश प्रताप जी ने एक बड़ी दलील देने की चेष्टा की। उन्होंने यह कहा कि किसी मन्दिर में जंगला लग जाने के बाद यदि सवर्ण हिन्दुओं को मूर्ति तक पहुंचने का अधिकार नहीं है तो बराबर का अधिकार हरिजन को मिल जायगा। मैं समझता हूं यह एक चोर दरवाजा है जिसके द्वारा सवर्ण हिन्दुओं के तथा कथित अभिमान और स्वाभिमान की रक्षा करने की चेष्टा अवधेश प्रताप जी ने या और लोगों ने की। अगर माननीय मुख्य मंत्री का यह आश्वासन हो कि अपने प्रान्त के बहुत से उन लोगों को जो बहुत पिछड़े हुये हैं उनको इतना खाना दिया जायगा जितना विधान सभा के सदस्य खाते हैं। तो उसका अर्थ यह समझा जायगा जो दो सौ रुपया उनकी तनख्वाह है उसके अनुसार जो उनका खानपान है वैसा ही उन लोगों को भी मिलेगा जो पिछड़े हुये हैं। यह अर्थ नहीं होगा कि जो इनको भत्ता मिलता है वह काट कर दूसरे लोगों के बराबर सरकार करे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हरिजन को बराबर का अधिकार देने के लिये सवर्ण लोगों के अधिकारों की हत्या कर दी जाय। हमतो समझते हैं अगर सवर्ण का अधिकार है मन्दिर में जाने का, स्पर्श करने का तो इस विधेयक की मंशा है और होनी चाहिये कि उस को यह अधिकार हो वह वहां जायं, स्पर्श करे, पूजा करे, प्रसाद ले तथा भोग करे।

श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी के भाषण का सारांश मैंने सिर्फ़ यही समझा कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि जो हरिजन हैं, उनको किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं होगी उनकी पूजा में, अर्चना में और यदि माननीय राजनारायण जी के संशोधन का अभिप्राय यही है तो मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और करना चाहिये। इसलिये मैं इसकी सार्थकता को समझते हुये इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं सदन इसका समर्थन करेगा।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो संशोधन हैं और यह मेरा दुर्भाग्य समझिये कि मैं उन दोनों का विरोध कर रहा हूं। माननीय नारायणदास जी के संशोधन को मैंने कई बार पढ़ा और उसका ठीक अर्थ मेरी समझ में उस वक्त तक नहीं आया था जब कि मैंने उनका भाषण नहीं सुना, क्योंकि "उपासना" शब्द बहुत व्यापक है और वह चाहते थे कि उपासना के साथ आरती और भोग जोड़ दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता था कि उपासना में जितने भी लोग मन्दिर में जाते हैं किसी मन्दिर में अगर भोग बंटता है तो वह उसको सब लोग लेंगे और हरिजन भी होगा तो वह भी लेगा, आरती होती है तो और सब लोग लेंगे तो वह भी आरती लेगा, और जो कुछ भी सब लोग करते होंगे वह सब वह भी करेगा। फिर इसमें यह शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। अपने भाषण में उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि इतना ही नहीं कि आरती होती है या भोग बंटता है तो उसको हरिजन भी ले सकें बल्कि जैसे किसी मन्दिर में होता है कि कोई एक खास व्यक्ति होता है, जिसको भोग चढ़ाना होता है, वह उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है और वह व्यक्ति भोग चढ़ा कर लौटा देता है आरती करनी होती है तो वही व्यक्ति आरती करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है, तो इस किस्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये और जो कोई हरिजन हो वह भी इस किस्म का काम कर सके। यह अगर मैं ठीक-ठीक समझा तो मैं इसका विरोध करता हूं और पहले भी मैं इसका विरोध कर चुका हूं क्योंकि यह बात बिलकुल अलग है कि केवल ब्राह्मण को ही पुजारी होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। यह बात ग़लत या सही जो कुछ भी है इसका निपटारा किसी दूसरे तरीक़े से, किसी और जगह चाहे आन्दोलन कर के, चाहे विरोध कर के, चाहे जैसे कहीं और इसका फैसला किया जाय, लेकिन इस कानून के द्वारा, जिसमें कि केवल यह है कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करने का और लोगों की तरह उपासना करने का अधिकार है, उसके द्वारा यह बात नहीं की जा सकती। मैं स्वयं कोई जन्मना ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे कोई वह अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी क्षत्री को वह अधिकार प्राप्त है नहीं। किसी वैश्य को भी प्राप्त नहीं है। फिर किसी एक वर्ग विशेष को एक अधिकार दिया जाय जो कि सही या गलत और लोगों को प्राप्त नहीं है, यह चीज़ ग़लत है।

जहां तक माननीय राजनारायण जी का सवाल है, कई बार उन्होंने मुझ से एक प्रश्न पूछा कि हरिजनों के मूर्ति स्पर्श करने से प्राण प्रतिष्ठा ख़त्म होती है या नहीं। यों तो जैसा शम्भूनाथ जी ने कहा मैं कोई व्यवस्था देने का अधिकारी नहीं हूं। कोई और विद्वान होत होंगे, या कोई शंकराचार्य होते होंगे, जो इस पर व्यवस्था दे सकते हों। मैं केवल अपनी राय दे सकता हूं और वह अपनी राय मेरी यह है कि किसी भी व्यक्ति के स्पर्श करने से हरिजन हो या कोई हो, मूर्ति अपवित्र नहीं हो सकती और जहां तक कि विश्वनाथ जी की मूर्ति की बात है वह तो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वह तो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन यह दृढ़ विश्वास होते हुये भी, यह मानते हुये भी, मैं समझता हूं कि यह संशोधन नहीं आना चाहिए। उसमें दो तीन दिक्क़तें हैं। उसमें पहला वाक्य है कि किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सब को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित रहेगा। सभी मूर्तियां इस प्रकार से इसमें आ जाती हैं। अब कई मन्दिर ऐसे हैं संख्या में और कई प्रकार के मन्दिर ऐसे हैं जहां तक मैं जानता हूं वैष्णव मन्दिरों में कोई मूर्ति को स्पर्श नहीं करता है। और भी कई प्रकार के मन्दिर हैं जहां मूर्तियों का स्पर्श नहीं होता है। अब माननीय राजनारायण जी के मन में चाहे जो कुछ भी हो लेकिन जब कानून बन जायगा और अदालत में मामला जायगा तो वहां शब्दों को देखा जायगा और वहां यही चीजें आयेंगी कि हरिजनों को सब मूर्तियों को स्पर्श करने का अधिकार है। और इसके पीछे बड़ी दिक्क़त और झगड़ा पैदा हो जायगा। इसलिये इसको नहीं आना चाहिये।

दूसरी बात इसके अन्दर यह है कि "और मन्दिर में जंगला आदि लगा कर मन्दिर का जो स्वरूप २५अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा"। माननीय राजनारायण जी के सामने शायद काशी विश्वनाथ के मन्दिर की बात हो। लेकिन इस प्रदेश में हजारों मन्दिर हैं। अब २५ अप्रैल, १९४७ से अब तक न जाने कितने परिवर्तन उनमें हुए होंगे। अब अगर यह कानून बन गया तो इसके मानी हैं कि जहां पर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ होगा, जहां बाहर जंगला इत्यादि लगा होगा, उस को सब को तोड़ना होगा। फिर दूसरा शब्द विकृत है। एक कहेगा कि जंगला लगाने से मन्दिर का स्वरूप विकृत हुआ। दूसरा कहेगा कि नहीं हुआ। तो इससे सारे प्रदेश में कितनी अव्यवस्था फैल जायगी। फौजदारियां होने लगेंगी। तमाम झगड़े पैदा हो जायंगे। उस वक्त हम में से किस के मन में क्या है यह नहीं देखा जायगा।

तो हम सब को समान रूप से एक अधिकार दे रहे हैं। अब जिस किसी मन्दिर में प्रवेश की बात हो वहां जो लोग प्रवेश कराने वाले हों, उनको वहां की व्यवस्था को देख कर अपने ढंग से प्रवेश कराने का अधिकार होना चाहिए। इस कानून में हर प्रकार के मन्दिर के लिये यह बात है। किसी एक मन्दिर विशेष को अपने ध्यान में हम रखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिये जिससे सारे प्रदेश में अव्यवस्था पैदा हो जाय। सब के लिये एक प्रकार का कानून होना चाहिये चाहे वह काशी विश्वनाथ का मन्दिर हो चाहे

किसी और जगह का मन्दिर हो। जो लोग मन्दिर प्रवेश की व्यवस्था करते हैं वह देखेंगे कि क्या व्यवस्था थी, अस्पृश्यता की व्यवस्था थी या नहीं थी, जंगला लगना चाहिये या नहीं, किस प्रकार से मन्दिर की पूजा होनी चाहिये, जो मन्दिर प्रवेश करना चाहें उनकी क्या इच्छा है, कहां तक जाना चाहते हैं, सब बातों को देख कर मन्दिर प्रवेश का प्रबन्ध होना चाहिये। कानून बनने के बाद जहां तक सरकार की बात है जहांतक हो सकेगा इस सम्बन्ध में सहायता करने की कोशिश करेगी। तो अपनी संस्थाओं की इन दिक्कतों को देखते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इन संशोधनों को वापस लें। अगर वापस नहीं होंगे तो मजबूर हो कर मुझे उनका विरोध करना पड़ेगा।

श्री नारायणदास—अध्यक्षम होदय, हमारे नेता सदन तो हमारी नाव के पतवार के चलाने वाले हैं और वह हमारे हित के लिये जितना हम नहीं सोच सकते हैं उससे अधिक सोच सकते हैं। हम उनके आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय —

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे कुछ कहने का मौक़ा दिया जाय, अभी कुछ समय बाक़ी है।

श्री अध्यक्ष—अब समय नहीं है, पूरे १० मिनट हैं।

श्री राजनारायण—अभी डेढ़ मिनट का समय है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—मैं सामने की घड़ी देखता हूं। आप कृपा कर के बैठें। जब मैं बोलने खड़ा होऊं तो आप को खड़े नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सबको बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित रहेगा और किसी मन्दिर में जंगला आदि लगाकर उसका जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई—)

हरिजन संघ सेवा विधेयक, १९५४ की प्रवर समिति के लिए नामांकित सदस्यों के नाम वापस लेने की तिथि का बढ़ाया जाना

श्री अध्यक्ष—मैं इस बीच में एक सूचना देना चाहता हूं कि हरिजन संघ सेवा विधेयक, १९५४, जो श्री रामसुमेर जी ने यहां पर उपस्थित किया था उसकी प्रवर समिति के नामवापस लेने की तिथि मैंने ३ तारीख़ रखी थी, लेकिन उसके अभी कुछ लोग बाहर हैं, तो मौका मैं देना चाहता हूं कि नाम वापस लेने की तिथि बढ़ा दूं। इस वजह से ९ तारीख़ इसको कर दी जाय।

उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सबका बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित रहेगा और किसी मन्दिर में जंगला आदि लगा कर उसका जो स्वरूप २५ अप्रैल, १९४७ को था उसे विकृत न किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में ----३,

विपक्ष में----७१।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) के बाद नया उपखंड (ग) निम्न प्रकार रख दिया जाय--

(ग) "प्रत्येक निर्योग्यता आरोपित करने वाली पुस्तकें जो दलित वर्ग अथवा उसके किसी व्यक्ति पर किसी रीति, रिवाज, प्रथा अथवा दुपरांत के आधार पर लिखी गई हों राज्य सरकार के आदेश पर अन्त की जावेगी और लेखक के प्रति विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक जिस क्रम से चल रहा है उस को देख कर यह आवश्यक है कि जब तक यह पारित न हो जाय, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह तो मुझे अधिकार है, मैं सदन का समय मतदान के लिये बढ़ा सकता हूं। जिस समय राय लेने का सवाल आया था उसी समय मैंने कह दिया था।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय हम लोगों को भी बोलने के लिये मिलना चाहिये। हमें भी बोलने का अधिकार होना चाहिये वर्ना आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है।

श्री अध्यक्ष--मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूं।

(कुछ ठहर कर)

श्री रामसुन्दर पांडेय और श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के संशोधन ७--क और ८ अवैधानिक हैं क्योंकि इनमें जुरमाने वगैरह की सजा रखी है और संविधान के अनुसार कोई पनिशमेंट इस विधेयक में नहीं लाया ज़ा सकता है इसलिये मैं नहीं ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४--कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, किसी भी वाद अथवा कार्यवाही में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय लंबित (pending) हो, अथवा तत्पश्चात् निविष्ट की जाय, किसी ऐसे रीति-रिवाज प्रथा या व्यवहार पर, जो धारा ३ के खंड (ख) में अभिदिष्ट है, विचार न करेगा और न उसे अन्य किसी प्रकार से मान्यता देगा, तथा, धारा ६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार का प्रत्येक वाद अथवा कार्यवाही इस प्रकार निर्णीत होगी मानों वह रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार किसी भी सारवान (material) दिनांक पर विद्यमान न रहा हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५--कोई भी व्यक्ति , जो हिन्दू हो और किसी हिन्दू मन्दिर में प्रवेश करे और वहां उपासना करे, अथवा उपासना में सम्मिलित हो तो उसके विषय में केवल ऐसे प्रवेश, उपासना या सम्मिलन के कारण ही यह न समझा जायगा कि उसने कोई अभिभोज्य , अपकृत्य या अपराध (actionable wrong or offience) किया है और उसके लिये उसके विरुद्ध न तो कोई वाद ही प्रस्तुत किया जा सकेगा और न अभियोग ही लगाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति १ में शब्द "जो हिन्दू हो" के आगे यह वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"या हिन्दू उपासना विधि के, प्रति समान आदर भाव रखता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६-८

६--(१) यदि किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त (involved) कोई दावा, अथवा किसी डिक्री या आज्ञा का पारित किया जाना, अथवा निष्पादन (execution), किसी भी प्रकार इस अधिनियम द्वारा घोषित अधिकारों के प्रतिकूल हो, तो कोई भी दीवानी न्यायालय किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाही को न तो ग्रहण करेगा (entertain), न उसे जारी रक्खेगा, न उसके सम्बन्ध में कोई डिक्री पारित करेगा, न आज्ञा देगा और न पूर्णतः अथवा अंशतः किसी ऐसी डिक्री या आज्ञा को निष्पादित ही करेगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय लंबित (pending) प्रत्येक वाद, चाहे वह प्राथमिक न्यायालय (court of the first instance) में हो अथवा अपील न्यायालय में अथवा पुनरीक्षण (revision) न्यायालय में, जो--इस आधार पर कि दलित वर्ग के किसी व्यक्त द्वारा किसी हिन्दू मंदिर में प्रवेश करना, वहां उपासना करना अथवा उपासना में सम्मिलित होना किसी विधि, रीति-रिवाज प्रथा या व्यवहार के विरुद्ध है, अथवा इस आधार पर कि

ऐसेवर्गों को उक्त प्रवेश, उपासना या सम्मिलन से अपवर्जित कर दिया जाय—क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा (injunction) अथवा घोषणा सम्बन्धी अन्य अथवा किसी उपशम सम्बन्धी हो, समाप्त हो जायगा और एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है तथा प्रत्येक निषेधाज्ञा, चाहे वह किसी अन्तर्वादीय कार्यवाही (inter locutory proceedings) में अथवा अन्य किसी प्रकार से जारी की गयी हो, अथवा किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में दी गयी हो, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी उपबन्ध के रहते हुए भी उक्त प्रकार से खारिज हो जायगी, तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

७—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

८—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सभी हिन्दू मंदिरों में हिन्दुओं के समस्त वर्गों और उपवर्गों (classes and sections) के प्रवेश करने तथा वहां उपासना करने के अधिकार का घोषणा करने का तथा कतिपय अन्य सम्बद्ध विषयों का

विधेयक

संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है तथा किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषिद्ध है;

और दलित वर्गों (depressed classes) के व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के सम्बन्ध में शंकाओं के निराकरण के निमित्त यह आवश्यक है कि हिन्दुओं के समस्त वर्गों अथवा किसी भी वर्ग की तत्सम्बन्धी सभी निर्योग्यताओं (disabilities) को हटाने की विधि द्वारा घोषणा की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सोमवार, ६ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर सोमवार, ६ अगस्त, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
३ अगस्त, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५६

शिक्षा सैनिक दलों के संघटन की व्यवस्था करने का विधेयक

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम राज्य शिक्षा सैनिक दल अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:—

(क) "सैनिक दल" (corps) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन संघटित राज्य शिक्षा सैनिक दल ;

(ख) "प्रविष्ट" (enrolled) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट;

(ग) "अधिकारी" (officer) का तात्पर्य है धारा ९ के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ;

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत;

(ङ) "स्कूल" का तात्पर्य है हायर सेकेंडरी स्कूल तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात (recognized) इन्टरमीडियेट कालेज भी है;

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार;

(छ) समाज सेवा प्रशिक्षण, या अनिवार्य सैनिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त (amalgamated) योजनाओं के अभिदेश से तात्पर्य होगा क्रमशः उन नामों से राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं से ।

राज्य शिक्षा सैनिक दलों का संघटन।

३—(१) राज्य सरकार द्वारा एक सैनिक दल (corps) का आयोजन, संघटन तथा सम्पोषण होगा और इसका नाम राज्य शिक्षा सैनिक दल होगा ।

(२) किसी भी क्षेत्र के सैनिक दल में एक या एकाधिक ऐसे एकांश (units) हो सकते हैं जिनके सदस्यगण उस क्षेत्र के, जिससे वह एकांश (units) संबद्ध हो, स्कूलों के विद्यार्थियों में से भर्ती किये जायेंगे।

(३) राज्य सरकार नियत रीति से किसी भी एकांश (units) को विघटित कर सकती है अथवा इस प्रकार संघटित किसी एकांश (units) को पुनस्संघटित कर सकती है ।

प्रवेश (enrolment)

४--प्रत्येक स्कूल का प्रत्येक बालक (male) विद्यार्थी जो नियत आयु से कम का न हो सैनिक दल में प्रविष्ट किया जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत प्राधिकारी किसी भी विद्यार्थी स्वास्थ्य, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर जो नियत किया जाये, प्रवेश से मुक्त कर सकता है ।

कृत्य (functions ।

५--इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट सैनिक दल का प्रत्येक सदस्य कवायद (drill) करने के लिये तथा आयुध प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन (discharge) करेगा जो नियत किये जायं।

घोषणायें

६--प्रविष्ट होने पर सैनिक दल का प्रत्येक सदस्य एक ऐसे आकार-पत्र (form) में, जो नियत किया जाय, घोषणा करेगा ।

कार्यच्युति (discharge)।

७--सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक सदस्य, नियत अवधि की समाप्ति पर, अथवा उस स्कूल की, जिससे वह सम्बद्ध हो, उपस्थिति पंजी (roll) में नाम न रहने पर सैनिक दल से कार्यच्युत हो जाने का (receive his discharge) अधिकारी होगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रविष्ट सदस्य, उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, किसी भी समय नियत प्राधिकारी द्वारा दल से कार्य च्युत किया जा सकता है ।

अधिकारियों की नियुक्ति।

८--(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त,

(क) एक सैनिक शिक्षा संचालक,

(ख) एक या एकाधिक सैनिक शिक्षा के सहायक संचालक,

(ग) एक या एकाधिक कमान्डेन्ट, असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, क्वार्टर मास्टर, स्टाफ इन्सट्रक्टर्स नियुक्त कर सकती है ।

(२) सैनिक शिक्षा संचालक, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये और ऐसे निबन्धनों (terms) पर, जो नियत किये जायं, समय-समय पर अपेक्षित अन्य अधिकारियों को नियुक्ति कर सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन सैनिक शिक्षा संचालक द्वारा की गयी प्रत्येक नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को दिया जायगा तथा ये नियुक्तियां तब तक प्रभावी न होंगी जब तक राज्य सरकार इनका अनुमोदन (approval) न कर दे ।

अधिकार और कर्तव्य।

९--(१) सैनिक शिक्षा संचालक तथा सैनिक शिक्षा का प्रत्येक सहायक संचालक ऐसे कर्तव्य का पालन करेगा तथा कमान्डेन्टों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (supervision and superintendence) सम्बन्धी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं ।

(२) कोई भी कमान्डेन्ट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अथवा उन पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

अधिनियम के अधीन अपराध तथा दंड।

१०--(१) अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अथवा सैनिक दल में प्रविष्ट कोई सैनिक शिक्षार्थी (cadet) यदि वह निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है तो वह काम अपराध होगा, अर्थात्--

(क) परेड के समय, समाज सेवा कार्य करते हुये अथवा गणवेश (uniform) पहने हुए--

(१) अपने ज्येष्ठ (superior) अधिकारी को धक्का देता है अथवा उसे चोट पहुंचाता है अथवा चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है (uses or offers violence) अथवा धमकी पूर्ण (threatening) अथवा अपमानजनक (insubordinate) भाषा का प्रयोग करता है अथवा उससे अमानपूर्ण रीति से (with contempt) व्यवहार करता है, अथवा

(२) अपने ज्येष्ठ अधिकारी की किसी स्थायी आज्ञा अथवा विधिसंगत समादेश (command) का उल्लंघन करता है, अथवा

(३) उस इकाई या उसके भाग के, जिससे कि वह संबद्ध हो, आफिसर कमांडिंग की किसी भी उस आज्ञा की अवहेलना करता है जो राज्य शिक्षा सैनिक दल पर विशेष रूप से लागू (applicable) होती है, अथवा

(४) नशे की हालत में हो।

(ख) निश्चित समय पर परेड के स्थान पर, अथवा जब उससे राज्य शिक्षा सैनिक दल के सदस्य की हैसियत से किसी स्थान पर उपस्थित होने की उपेक्षा की जाय, तो बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित न हो; अथवा

(ग) परेड के समय बिना पर्याप्त कारण के अपनी पंक्ति (ranks) छोड़े अथवा प्रशिक्षण के किसी भी ऐसे अंश को न करे जिसके करने की अपेक्षा उससे इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन की जाय ;

(घ) जब सरकार या किसी इकाई या प्रादेशिक शिक्षा सैनिक दल के किसी भाग की किसी सम्पत्ति का अवधायक (incharge) होने की दशा में वह उस सम्पत्ति को नष्ट करे या ऐसी सम्पत्ति के नष्ट करने में उसका हाथ हो ;

(ङ) खंड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति को अथवा सैनिक दल की सेवा में रत किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को जानबूझ कर (wilfully) क्षति पहुंचाता है अथवा दंड्य असावधानी (culpable neglect) के कारण उसे खो देता है अथवा क्षति पहुंचाता है ;

(च) अपने समादेश अथवा अवधान (command or charge) के अधीन व्यक्तियों की संख्या अथवा स्थिति (state) के विषय में, अथवा अपने अवधान में रखी हुयी किसी भी धनराशि आयुध या अस्त्रोपकरण (arms or ammunition) कपड़ों, साज-सामान (equipment)'

भंडार (stores) अथवा अन्य सम्पत्ति के विषय में जानबूझ कर झूठी विवरणी (returns) अथवा प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करता है;

(छ) षडयंत्र (design) अथवा दंड्य असावधानी (culpable neglect) से खंड (च) में उल्लिखित किसी भी वस्तु के विषय में कोई भी विवरणी, जिसका तैयार करना अथवा भेजना उसका कर्तव्य हो, तैयार नहीं करता है अथवा भेजता नहीं है ;

(ज) जब किसी विषय के बारे में कोई घोषणा करना अधिकारी के रूप में उसका कर्तव्य हो और वह उस विषय के सम्बन्ध में कोई ऐसी घोषणा करे जिसे वह असत्य समझता हो अथवा जिसके असत्य होने का उसे विश्वास हो अथवा जिसकी सत्यता में वह विश्वास न करता हो ;

(झ) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिनियम के अधीन हो, कोई ऐसा दोषारोपण करता है, जिसे वह असत्य समझता हो अथवा जिसके असत्य होने का उसे विश्वास हो, अथवा जिसकी सत्यता में वह विश्वास न करता हो ;

(ञ) किसी परेड के समय अथवा किसी ऐसे अवसर पर, जबकि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने अथवा किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाय, उस व्यक्ति का झूठा वेश धारण करता है (falsely personates) अथवा छद्मवेशन के ऐसे किसी कार्य का प्रोत्साहन देता है (abets) ।

(२) इस धारा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिये किसी अधिकारी या युद्ध शिक्षार्थी (cadet) के विरुद्ध लगाये गये किसी भी आरोप (charge) के सम्बन्ध में अपराधी के इकाई का कमांडेंट या सहायक कमांडेंट जांच करेगा और तत्पश्चात् उस पर निम्नलिखित किसी भी रीति से कार्यवाही करेगा अर्थात् वह—

(क) यदि साक्ष्य के आधार पर कोई अपराध सिद्ध न हो अथवा यदि उसकी राय हो कि उस आरोप के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जानी चाहिये तो वह आरोप को खारिज (dismiss) कर देगा, अथवा

(ख) निम्नलिखित किसी भी रीति से मामले को सरसरी तौर से निस्तारित कर देगा, अर्थात्

(१) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना (reprimand) ;

(२) अतिरिक्त परेडें अथवा ड्यूटी जो दो से अधिक न हों,

(३) उक्त ड्यूटी पर किये गये अपराधों के लिये सन्तरी (guards) की अथवा धरने (picquets) की अधिकाधिक दो अतिरिक्त ड्यूटी देना,

(४) प्रशिक्षण शिविर की अवधि में, अधिकाधिक ७ दिन तक "लाइन" पर हाजिर रहना ,

(५) युद्ध शिक्षार्थी होने की दशा में, सैनिक दल से च्युत (dismissal) अथवा किसी नीचे के पद पर रखा जाना।

(६) युद्ध शिक्षार्थी होने की दशा में, अधिकाधिक ५ रुपया तक अर्थ-दंड तथा अधिकारी होने की दशा में, अधिकाधिक २० रुपया तक अर्थ दंड; अथवा

(ग) इस विषय को सैनिक शिक्षा संचालक (Director of Military Education) के पास भेज देगा जो निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकता है—

(१) धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारी को दशा में :—

(क) सैनिक दल से च्युत (dismissal);

(ख) नीचे के पद पर रखना ;

(ग) पदोन्नति (promotion) के निमित्त ज्येष्ठता अथवा सेवा का अधिकाधिक चौबीस महीनों के लिये अपहरण (forfeiture);

(घ) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना (reprimand) ;

(ङ) कार्यच्युति (dismissal) की दशा में, कार्यच्युति के समय उसको देय भत्ते की बकाया अथवा अन्य सार्वजनिक धन (public money due to him) का अपहरण (forfeiture);

(च) उस समय तक के लिये भत्ते का रोका जाना जब तक अपराधी पर लगाये गये अपराध के कारण हुयी हानि या क्षति की जो सिद्ध हो चुकी हो, पूर्ति न हो जाय ।

(छ) पचास रुपये से अनधिक अर्थ-दंड देना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपखंड (क), (ख) अथवा (ग) में निर्दिष्ट कोई भी दंड तब तक न दिया जायगा जब तक उस अधिकारी को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित हो, तदर्थ कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(२) युद्ध शिक्षार्थी (cadet) की दशा में—

(क) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना अथवा चेतावनी (admonishment),

(ख) सैनिक दल से मुक्ति अथवा नीचे के पद पर रखना,

(ग) बीस रुपये से अनधिक अर्थ-दंड,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दंड देने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह लिखित रूप से दंड दे और दंड के कारण भी अभिलिखित करे।

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई भी दंड पृथक् रूप से, अथवा एक या एकाधिक अन्य दंडों के साथ, दिया जा सकता है।

(४) उपधारा (५) में की गयी व्यवस्था से भिन्न स्थिति में, इस धारा के अधीन पारित आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(५) धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारी की दशा में सैनिक शिक्षा के संचालक द्वारा खंड (६) के अधीन दी गयी च्युति, नीचे के पद पर रखने (reduction) अथवा अपहरण (forfeiture) की आज्ञा के विरुद्ध, ऐसी आज्ञा के दिनांक से ६ महीने के भीतर, राज्य सरकार के पास अपील हो सकेगी तथा राज्य सरकार अपील होने पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह न्याय-संगत और उचित समझे।

(६) उपधारा (२) के अधीन आरोपित अर्थ-दंड ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी द्वारा वसूल किया जायगा जो नियत किया जाय।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों से रक्षा।

११—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या अन्य विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुयी अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation).

१२—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियत करे, प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं।

प्रकीर्ण।

१३—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समाज सेवा प्रशिक्षण, अनिवार्य सैनिक शिक्षा अथवा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजनाओं के अधीन निर्मित कोई नियम, दी गयी कोई आज्ञा अथवा दिया गया निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन नियत, निर्मित, प्रचारित अथवा दिया गया हो तथा वह तदनुसार निरस्त, प्रत्यावर्तित, परिवर्तित अथवा संशोधित (repealed, revoked or varied or amended) किया जा सकता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना के अधीन प्रविष्ट कोई व्यक्ति अथवा नियुक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट अथवा नियुक्त बना रहेगा और प्रविष्ट अथवा नियुक्त किया गया समझा जायगा।

नियम बनाने का अधिकार।

१४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है :—

(१) वे शर्तें, जिनके अनुसार किसी स्कूल को इस अधिनियम के अधीन एकांश (units) संघटित करने की अनुमति दी जायगी;

(२) सैनिक दलों में नाम लिखाने के लिये व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग की पात्रता;

(३) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की अथवा उनके वर्गों की अधिकारियों के रूप में नियुक्ति;

(४) वह रीति, अवधि और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग सैनिक दल में प्रविष्ट किया जा सकेगा ;

(५) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के निमित्त प्रारंभिक (preliminary) तथा सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम (courses) ;

(६) सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना ;

(७) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य, अधिकार तथा कृत्य;

(८) सैनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों को देय भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(९) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति का हटाया जाना अथवा च्युति (removal or discharge);

(१०) वह रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन आरोपित अर्थ–दंड वसूल किये जायेंगे;

(११) पोशाक, गणवेश तथा पदों के बिल्ले (badges of ranks) जो विद्यार्थियों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक हों; तथा

(१२) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जायं ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में १९४७ ई० में समाज-सेवा प्रशिक्षण और १९४८ ई० में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की एक योजना चालू की गयी थी। इन्टरमीडियेट कक्षाओं के विद्यार्थियों को गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन करने, कृषि-कार्यों में सहायता देने, सड़कें बनाने, सिंचाई की गूलें (channels) तैयार करने, सफाई की व्यवस्था करने तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने का प्रशिक्षण देने के निमित्त कालेज शिविरों में तथा गांवों में किये जाने वाले रचनात्मक कार्यों के साथ ही साथ उन्हें सैनिक प्रशिक्षण में शस्त्रास्त्रों के उपयोग की ट्रेनिंग देने के निमित्त १९५३ में इन दोनों योजनाओं को एक में मिला दिया गया था। जुलाई, १९५५ में इस योजना का विस्तार राज्य के सभी ५१ जिलों के मुख्यावासों (head quarters) में किया गया था और अब इसके अन्तर्गत इन्टरमीडियेट कक्षाओं के अधिकतर विद्यार्थी आ जाते हैं। अनिवार्य उपस्थिति, अनुशासन बनाये रखने और पदों (ranks) के प्रदान करने से संबंधित कार्यों को सुनिश्चित करने के निमित्त यह आवश्यक हो गया है कि एतदर्थ उपयुक्त विधायन की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार यह विधेयक सदन के विचार के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १४४ एल० ए०--१९५६-७९६।